खण्ड-464, अंक-10
मंगलवार, 19 आषाढ़, शक संवत् 1929
(10 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 464 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
नियम 311 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं को सुने जाने की मांग ...	1-2
प्रश्नोत्तर	2-43
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	44-46
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	46-47
ऐशबाग लखनऊ स्थित पूर्वांचल टेन्ट हाउस पर श्री शत्रुघन सिंह उर्फ छोटू तथा उनके नौकर जितेन्द्र हत्याकाण्ड की जांच एस0टी0एफ0 से करा कर हत्यारों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत बागों का बेरोकटोक कटान एवं नए वृक्ष न लगाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	48-49
पशुधन विकास एवं दुग्ध उत्पादन की महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये व्यय होने के बावजूद असफल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
जनपद इलाहाबाद के वेलन प्रखण्ड के जलाशय में पानी न होने के कारण तहसील कोरांव एवं मेजा की नहरें बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
प्रदेश के इण्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
श्रावस्ती के तहसील इकौना में तहसील का अवशेष कार्य पूर्ण कराकर कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की कतिपय न्याय पंचायतों में इन्दिरा आवासों की स्थाई सूची दुरुस्त कर पात्र व्यक्तियों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद की सरने माइनर की खुदाई अन्तिम छोर तक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52-53

विषय	पृष्ठ-संख्या
डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की 2005-06 की बी0एड0 परीक्षाएं कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप न होने की जांच कराकर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53-54
आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत बेसो नदी की खुदाई/सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद चित्रकूट थाना मानिकपुर के ग्राम मऊ गुरदरी निवासी श्री मुन्नीलाल मिश्रा एवं हरिश्चन्द्र की हत्या की सही रिपोर्ट दर्ज न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
इलाहाबाद की फूलपुर तहसील में बरना नदी के छिछले होने व जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानकों के विपरीत योग्यता वाले तैनात प्रभारी के कथित घोटाले का भौतिक सत्यापन कराकर जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	56
विधान सभा का सत्र चलते समय जिलाधिकारी हाथरस की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय बैठक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर से बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचत्य का प्रश्न	56-61
पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 4-2002-क-2005, दिनांक 10-10-2005 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचत्य का प्रश्न	61-68
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो सदन में पारित हुआ था को वर्तमान सरकार द्वारा वापस लिये जाने के सम्बन्ध में औचत्य का प्रश्न	68-73
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखे गये)	73
उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित भारत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या-41, दिनांक 19 मार्च, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	73

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	74
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	74
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	74
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	74
उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरः स्थापित)	75
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	76--109
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय व्ययक में अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (जारी) ...	109-110
अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (जारी) ...	110
अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (जारी) ...	110-111
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	111-123
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)...	123-124
अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	124
अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	124
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग (स्वीकृत)... ...	125

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	125
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-60-वन विभाग (स्वीकृत)	126-127
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	127-128
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग) (स्वीकृत)	128
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	128-131
उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 (पारित)	131-132
उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधनों पर विचार (पारित)	132-134
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	134-136
नियम-51 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर सम्बन्धित सदस्यों के उपस्थित होने की तरफ पीठ का ध्यानाकर्षण	136
जनपद सीतापुर में बेहटा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली घाघरा, शारदा और सरयू नदियों द्वारा हो रहे कटान तथा बचाव के लिये प्रस्तावित ठोकर के निर्माण को शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य..	136-137
प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बांधों में सिल्ट जमाव से पानी की अनुपलब्धता तथा नहरों में समय से पानी न आने के कारण सूखे जैसी स्थिति के मद्देनजर बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने तथा किसानों से बकायों की वसूली रोके जाने के सम्बन्ध में प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	137-140

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों में सरकारी किताबों के उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	140-141
जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में प्रदूषित रसायनिक नाले के पानी के हैण्डपम्पों में आने से जन जीवन के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में श्री मदन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	141-143
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पाण्डेयपुर राधे में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में श्री काली चरण राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	143-144
गोरखपुर नगर निगम द्वारा लोमोफेन जैसी प्रतिबन्धित दवा के वितरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	144-146
जनपद इटावा के लखना क्षेत्र में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	146
उन्नाव के सिकन्दरपुर कर्ण ब्लाक के ग्राम महरामऊ के कोटेदार और लेखपाल द्वारा खाद्यान्न और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	147

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य 350

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	अर्मीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अजय कपूर, श्री	कानपुर देहात	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अजय तोमर, डा0	बागपत	अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अजय यादव, श्री	एटा	अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अजय सिंह, श्री	जालौन	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज	अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर	अशोक कुमार, श्री	औरैया
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अब्दुल वारिस खां, श्री	मुजफ्फरनगर	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी	आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
अब्बास अली जैदी उर्फ रब्बी मियां, श्री	फैजाबाद	आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी	आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
		आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी

आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	वस्ती
जितेन्द्र कुमार वल्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट

दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर

महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, कुं0 "राजा भइया"	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़

राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूं
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
रेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-311 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं को सुने जाने की मांग

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरी महत्वपूर्ण सूचना है। नियम-311 की नोटिस है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, देश के महान सपूत डा0 अम्बेदकर के नाम से स्टेडियम स्थापित है और यह सरकार हठकर्मी से काम कराये जा रही है, करोड़ों रुपये की लागत से बना हुआ यह स्टेडियम है। हमारे कितने महान क्रिकेटर वहां से निकले हैं, उसको गिराने का षड़यंत्र किया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है इस पर तुरन्त कार्यवाही नहीं होगी तो ...

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-311 की एक सूचना है, बरेली की महत्वपूर्ण घटना है, जहां एक निर्दोष का इनकाउन्टर कर दिया गया ..

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह साहब, माननीय खन्ना साहब, माननीय अग्रवाल साहब। माननीय हुकुम सिंह जी, आपकी नियम-311 की सूचना को मैंने देखा है। महत्वपूर्ण सूचना आप दिये हैं। माननीय अग्रवाल साहब, माननीय प्रमोद तिवारी जी अन्य लोगों ने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना दी है। कुछ माननीय सदस्यों की सूचना नियम-56 में है, कुछ की नियम-311 में है। माननीय हुकुम सिंह साहब की सूचना को मैंने देखा है उसको सुनने के लिये मैंने चयनित कर लिया है। अगर सुनाना चाहते है तो नियम-56 में सुना दें, अब तक जो हुआ है, उसमें मदद कर दें। नियम-56 में आप दोनों लोगों का सुन लेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, बरेली में इस शासनकाल का पहला इनकाउन्टर है, वह भी एक निर्दोष व्यक्ति का हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता, भारतीय जनता पार्टी, मैंने इस सूचना को लिया है। आप भी उसको सुना दीजियेगा। अगर पहले कोई औचित्य बनता हो तो कहें। प्रश्नकाल होने दें।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

खन्ना साहब आपका लिया हूं, उसको भी सुन लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इतनी बड़ी घटना एक नौजवान, निरपराध, निर्दोष ...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं सुन लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको पहले सुन लें, परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब अगर परम्परा रही है तो सुनवाइये, यही आप लोग मदद किये हैं और आज फिर दबाव बना रहे हैं कि ऐसा करिये। जब रही है परम्परा तो कुछ तो चलाइये।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मच्छरों के प्रकोप से होने वाली बीमारियों के रोकथाम की कार्ययोजना

*1-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्षा ऋतु में मच्छरों का भयंकर प्रकोप होने के कारण मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से भयंकर खतरा पैदा हो जाता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

जी हां।

जी हां।

सरकार द्वारा डेंगू चिकुनगुनिया तथा वेक्टर जनित रोगों यथा-मलेरिया, फाइलेरिया आदि के नियंत्रण हेतु कार्य योजना बनायी गयी है, जिसमें प्रत्येक जिला चिकित्सालय, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगों के निदान तथा उपचार हेतु व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण, मच्छरों से काटे जाने से बचने हेतु आम जनता को स्वास्थ्य शिक्षा, वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण हेतु कीटनाशक छिड़काव तथा लार्वा निरोधक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

(उत्तर पढ़े जाने के बाद)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक नई परम्परा बन गयी है कि आप आ गये, सदन चल गया और सम्बन्धित मंत्री जी तब न आये, जब सदन में जवाब देना हो और मंत्री जी अब आये भी हैं तो सदन में पत्रावली नहीं लाये हैं। यह तो बहुत हल्केपन से लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं सही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको दिखवा लें, माननीय मंत्री जी यदि यहां हैं तो उनको समय से आना चाहिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से इसके लिये मुझे खेद है। मैं इसको दिखवा लेता हूं और मैं आपके निर्देशों के अनुसार सभी माननीय मंत्रियों से निवेदन कर लूंगा कि वह समय से सदन में उपस्थित रहें।

श्री विद्यासागर गुप्ता-

मलेरिया विभाग पूरे तरीके से निष्प्रभावी है, कहीं भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा है, जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि बीमारियों का प्रकोप बढ़ने के कारण हर साल हजारों की तादाद में लोग मर जाते हैं। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी रोकथाम के लिये कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी जाए, जिससे पूरे प्रदेश में कीटनाशक, मलेरिया जैसे जो मच्छर हैं उनको नाश करने वाली दवाओं का छिड़काव किया जाए और मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है सरकार को कि वह बताये कि क्या यह सम्भव है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को मलेरिया विभाग रिपोर्ट करे और उनके क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए ताकि प्रदेश में इन बीमारियों के ऊपर रोकथाम की जा सके , यह मेरा निवेदन है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

शायद मंत्री जी प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाये हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री अनन्त मिश्रा)-

मान्यवर, समझ गये हैं, कृपया आप बैठ जाएं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गुप्ता जी, प्रश्न फिर से पूछ लें।

श्री विद्यासागर गुप्ता-

मान्यवर, मलेरिया विभाग पूरे प्रदेश में निष्प्रभावी है। कहीं भी मलेरिया मारने वाली दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा है और जहां हो भी रहा है उनको इतना डायल्यूट कर दिया जाता है कि छिड़काव के बाद भी मच्छर नहीं मरते हैं। जिसके कारण पूरे प्रदेश में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप हो रहा है। बरसात के दिन हैं अगर तुरन्त कार्यवाही नहीं की जायेगी तो बहुत सारे लोग बीमार होंगे और उनकी मौत भी हो सकती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा सरकार से कि मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या इन दवाओं का पूरे प्रदेश में छिड़काव करायेंगे ? जनप्रतिनिधियों से मलेरिया विभाग के जो कर्मचारी हैं वह रिपोर्ट करें तथा उनके क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो मलेरिया और डेंगू जैसे बुखार की बीमारी है इसके कीटाणुओं को मारने के लिए कोई प्रदेश स्तर पर छिड़काव या कोई ऐसी स्कीम

चलायेंगे, जिससे इसकी रोकथाम की जा सके और उस क्षेत्र के जो हमारे माननीय सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं क्या उनको भी इस कार्यक्रम से अवगत कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री अनन्त मिश्रा-

मान्यवर, इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। समस्त मण्डलायुक्तों, अपर निदेशक, जिलाधिकारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देश दे दिये गये हैं। निदान तथा उपचार हेतु समस्त सुविधाएं सभी मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध हैं। नियंत्रण हेतु जनसाधारण को स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जा रही है। अतिरिक्त हैण्डबिल बांटकर मार्किंग द्वारा समाचार-पत्रों में सूचना छपवाकर जनता को भी शिक्षित किया जा रहा है। नालियों को ढकवा देना, खुली नालियों में जला मोबिल-आयल डाल दिया जा रहा है। आसपास सफाई रखी जा रही है, जल एकत्रित न हो सके इसके लिए भी व्यवस्था की गई है।

विपक्ष की ओर से-

कहां-कहां हो रहा है ?

श्री अनन्त मिश्रा-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन लें।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, चिकनगुनिया की बीमारी गंदे पानी में नहीं साफ पानी में जन्म लेती है और इसके मच्छर रात को नहीं, दिन को काटते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री अनन्त मिश्रा-

मान्यवर, मच्छरों का घनत्व बढ़ने पर रोक प्रसार पर त्वरित नियंत्रण हेतु कीटनाशक छिड़काव फागिंग टीम के सदस्य सर्विलेंस लैब व पैथालोजिस्ट प्रयोगशाला तथा वेक्टर जनित रोगों जे0ई0 से बचाव हेतु 7 जनपदों में तथा वर्ष 2007 में 11 जनपदों में एक वर्ष से 15 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण प्रिवेन्टिव आंलरेडी दे दिया जा चुका है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तर को सुन करके स्कूल की वह कहानी याद हो रही है कि इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं कुछ और लड़का जवाब दे रहा है कुछ ? वही कहानी याद आ रही और कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें ओम प्रकाश सिंह जी, इंस्पेक्टर साहब और लड़के को मौका दिया गया था कि बाद में अध्ययन करके बताईयेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में मलेरिया और डेंगू के कितने मरीज आये हैं और सरकार ने इस हेतु कितने धन की व्यवस्था जिलेवार की है ? दूसरी चीज डेंगू बीमारी की सबसे बड़ी समस्या होती है वह प्लेट्लट्स की कमी की होती है। डेंगू बीमारी जानलेवा इसलिए बनती है कि शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने अपने विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों में डेंगू के मरीज न मर सकें इसके लिए जो प्लेटलट्स ट्रांसफर किया जाता है, पूरे प्रदेश में यह सुविधा सिर्फ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, लखनऊ में है उपलब्ध है। ढेर सारे जिलों से मरीज निकलकर इस छोटे से काम के लिए संजय गांधी संस्थान आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। क्या यह सरकार डेंगू के मरीज न मर सके इसके लिए प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्लेट्लट्स ट्रांसफ्यूजन की समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

पहला प्रश्न आपका काफी विस्तृत है उसके लिए जिलेवार रिपोर्ट मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री अनन्त मिश्रा-

मान्यवर, जो मेडिकल कालेजज हैं चिकित्सा शिक्षा में आते हैं, संजय गांधी में इसका पूर्ण उपचार है। फर्स्ट एड की व्यवस्था है जो रोकथाम के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं 11 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है वहां पर हम लोगों ने जितने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, हमारी दवाईयां उपलब्ध हैं, वहां लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि वहां पर पानी न इकट्ठा होने दें क्योंकि पानी इकट्ठा होने पर अमूमन यह बीमारी होती है। सुअरों के बाड़े बन्द किये जा रहे हैं, फागिग का इंतजाम किया जा रहा है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

प्रश्न हमारा कुछ और है और उत्तर कुछ और दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं डेंगू के बारे में पूछ रहा हूं जिसका सुअर बाड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका 11 जिलों से कोई सम्बन्ध नहीं है। सीधी-सीधी बात है कि इसके जो मरीज होते हैं, प्लेट्लट्स की कमी से मरते हैं, नार्मल काउन्ट पौने दो लाख होता है, जो घटकर 20-22 हजार तक आ जाता है और जब तक मरीज अपने जिले से संजय गांधी पहुंचता है तब तक वह मर चुका होता है इसलिए आवश्यक है

कि उन जिलों में जहां मेडिकल कालेज हैं वहां प्लेट्लट्स ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था की जाए, बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत आवश्यक प्रश्न है और जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है सिर्फ इसलिए कि प्लेट्लट्स चढ़ नहीं पाता और मरीज मरते हैं तथा जो खर्चा वह किसी मेडिकल कालेज में 500-700 में कर सकते हैं संजय गांधी आने में 10-12 हजार रुपया खर्च हो जाता है। एक छोटा सा सवाल है जिसको मैं जानना चाहता था कि आज व्यवस्था नहीं है क्या सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री अनन्त मिश्रा-

मान्यवर, एस0जी0पी0जी0आई0 के अलावा के0जी0एम0यू0 और कानपुर मेडिकल कालेज में भी प्लेट्लट्स ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ में तो इन्होंने सारी व्यवस्था दे दिया है लेकिन गोरखपुर, झांसी और अन्य जगहों पर कौन देगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बड़ा गम्भीर विषय है और बरसात का मौसम आ जाना चाहिए था, आने वाला है निश्चित रूप से जिन बीमारियों की चर्चा की गई है यह मच्छर वाहक बीमारियां है यह वर्षाकाल में विशेष रूप से फैलती हैं और जो गरीब तबका है वह चिकित्सा नहीं करा पाता है। अब तक इसके उत्तर से यह सिद्ध नहीं हुआ कि माननीय मंत्री जी ने या सरकार ने कोई गम्भीर व्यवस्था की हुई है या मंत्री जी उत्तर देने के लिए कोई विशेष तैयारी करके आए हुए हैं। जो प्लेटलेट्स की बात है पूरे प्रदेश में तीन मेडिकल कालेज में इसकी व्यवस्था करा पाई गई है। सरकार की कोई कार्य योजना अब तक है कि नहीं आगे कोई योजना होगी कि नहीं ? होगी तो कितने दिन में लागू होगी ? सरकार कह देती है कि इसका परीक्षण कराएंगे और कार्यान्वित कराएंगे लेकिन पांच साल बीत जाते हैं ? सरकार इसको गम्भीरता से ले रही है कि नहीं। सरकार की ओर से क्या गम्भीर प्रयास हुआ है, यही हम जानना चाहते हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल और श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने जो प्रश्न किया उस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ में एस0जी0पी0जी0आई0, कानपुर मेडिकल कालेज और छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्लेटलेट्स की सुविधा है जहां तक अन्य मेडिकल कालेजों में यह सुविधा मुहैया कराये जाने की बात है हम इसका परीक्षण करा लेंगे और वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए .....

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रदेश की सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर नहीं है और इस प्रश्न को लापरवाही से ले रही है। सरकार की इस लापरवाही के विरोध में मैं और मेरा दल सदन में बर्हिगमन करता है।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपेन दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री लाल जी वर्मा-

प्रदेश की जनता के हितों को दृष्टि में रखते हुए निश्चित रूप से इसमें विचार किया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

संसदीय कार्य मंत्री जी यह आपके विभाग से सम्बन्धित है सदस्य ने यह जानना चाहा था कि प्रदेश के जितने मेडिकल कालेज हैं क्योंकि देवरिया, गोरखपुर आदि दूर-दूर जिलों से मरीजों को कानपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में इसके रोकथाम की व्यवस्था करने के लिए आपको क्या दिक्कत है। मैं जानना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, केन्द्र सरकार से क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी चिकित्सा के लिए कोई धन की मांग की है और यदि की है तो उन्होंने इसके लिए क्या जवाब दिया ?

श्री लाल जी वर्मा-

इसके लिये सूचना की जरूरत होगी मांग की गई है या नहीं यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। जहां तक अन्य मेडिकल कालेजों में इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात है हमने इसमें कहा कि इसका परीक्षण करा लिया जाएगा और प्रदेश की आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए व प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न का उत्तर आ गया हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हमारा प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित ही है। हमने केवल यही जानना चाहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल काजेलों में इसके उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं तो इसको स्थगित कर दीजिए और अगली बार पूरा उत्तर लेकर आयें। यह प्रश्न आम जनता से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब मंत्री जी ने कहा है कि परीक्षण करा रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अगर मंत्री जी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो हम लोग भी सदन त्याग कर चले जाएंगे क्योंकि हमारे प्रश्न को वह गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। यह प्रश्न की आम जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने कह दिया कि हम परीक्षण करवाकर व्यवस्था कर रहे हैं। आश्वस्त तो कर दिया। उत्तर आ गया है।

प्रदेश में बढ़ती आबादी के अनुरूप कन्याओं के लिए विद्यालयों में डबल शिफ्ट चालू करने की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप कन्याओं के लिए कक्षा 6, 9 व 11 में वर्तमान विद्यालयों में प्रवेश पाने के अवसर नहीं बढ़े हैं, न ही नये स्कूल खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में डबल शिफ्ट चालू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी नहीं।

जी नहीं।

4958 कन्या विद्यालय संचालित हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर का पहला पैरा देख लें और मेरे प्रश्न का पहला पैरा देख लें। मैंने प्रश्न किया था कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप कन्याओं के लिए कक्षा 6,9,11 में वर्तमान विद्यालयों में प्रवेश पाने के अवसर नहीं बढ़े हैं, न ही नये स्कूल खोले गये हैं ? माननीय मंत्री जी का उत्तर आया जी नहीं। मान्यवर, मैंने यह प्रश्न पूछना चाहा था कि जिस अनुपात में आबादी बढ़ी है उस अनुपात में स्कूल नहीं बढ़े हैं माननीय मंत्री जी ने कहा है जी नहीं। मान्यवर, यह उत्तर सत्य से परे है। शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसमें आज की तारीख में जितनी कन्याओं के एडमीशन की मांग है कक्षा 6, 9 और 11 में उसके अनुरूप अवसर उपलब्ध हों। मान्यवर, कोई जनपद ले लें। मेरा ही जनपद ले लें मुझे जानकारी है हमारे जनपद में ही कन्याओं के एडमीशन की भीड़ है। मंत्री जी ने खासतौर से कन्याओं के संचालित विद्यालयों का जिक्र किया है। मैंने सीधा सा सवाल किया था कि कन्याओं के एडमीशन की भीड़ को देखते हुए सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में डबल शिफ्ट चालू करने

पर विचार करेगी ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया जी नहीं। मान्यवर, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं। पूरे प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर यह समस्या न हो। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप डी0आई0ओ0एस0 से रिपोर्ट मंगा लें। हमारे यहां जी0जी0आई0सी0 में 3 डिग्री कालेज हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि 150 से कम बच्चे हों। बच्चों को गैलरी तक में बैठना पड़ रहा है। उनके बैठने के लिये जगह नहीं है। प्रिंसिपल मिलने से बचने के लिये घर बन्द करके भाग जाती है। मंत्री जी ने तो जैसा उन्हें विभाग से उत्तर मिला पढ़ दिया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में सम्वेदनशीलता दर्शाते हुए कि कन्याओं की पढ़ाई हो सके डबल शिफ्ट लागू करने पर विचार करेगी। आप डी0आई0ओ0एस0 से रिपोर्ट मंगवा सकते हैं।

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2003 में 2576 कन्या विद्यालय थे जो कि आज वर्ष 2007 में 4958 हो गये है। इस तरह से विद्यालयों की संख्या दुगनी हो गई है। वर्ष 2003 में 18 लाख बालिका विद्यालय में भर्ती हुई और 2007 में 29 लाख बालिका विद्यालय में भर्ती हुई है। इसलिये विद्यालय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि किसी भी बालिका को शिक्षा से और प्रवेश से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा। यह सरकार की प्रतिबद्धता है।

(प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में कन्याओं का शिक्षा का प्रतिशत क्या है और राष्ट्रीय औसत कन्याओं की शिक्षा का क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

जब मंत्री जी ने बता दिया कि इतनी संख्या थी और बढ़कर इतनी हो गई तो आप उससे निकाल लीजिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आपका संरक्षण हम लोगों को मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

संरक्षण तो है ही। मैं तो कह रहा हूं कि जब संख्या बता दी है तो प्रतिशत आप निकाल लीजिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कालेज में कन्याओं का एडमीशन नहीं हुआ तो उन कन्याओं के एडमीशन के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है ? कालेज फुल हो गये और कन्याएं एडमीशन के लिये बैठी हैं। आपने कहा कि हमारी सरकार कन्याओं की शिक्षा के

लिये प्रतिबद्ध है। कौन सा ऐसा आदेश जारी हुआ है कि जो कन्याएं बची रह जायेंगी उनको एडमीशन मिलेगा ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं पूरे प्रदेश में 15,413 माध्यमिक विद्यालय हैं। जिसमें 558 राजकीय, 4,478 अशासकीय और 10 हजार 371 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय हैं। कुल 15 हजार 413 विद्यालय हैं। यदि बालिकायें, जिस विद्यालय में बालिकायें प्रवेश लेना चाहती हैं और उस विद्यालय में वह विषय उपलब्ध नहीं है तो बालिकाओं को बालिकों के स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ऐसे निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं इसलिए प्रवेश की कोई समस्या नहीं है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि कोई भी बालिका शिक्षा से प्रवेश से वंचित नहीं रहेगी। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो लिखित में आप मुझे अवगत करा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह समस्या प्रदेश में है और शाहजहांपुर में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी इसमें निदेशित कर दें कि एक भी बच्चा, एक भी कन्या बगैर प्रवेश के नहीं रहेगी। यह व्यवस्था करा दें और यह कब तक हो जाएगी। यह शासनादेश कब तक जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कह दिया है कि कोई बालिका नहीं बचने पाएगी। अगर कहीं विद्यालय से शिकायत हो तो मा0 मंत्री जी आमंत्रित भी किए हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह निर्देश कब तक जारी हो जायेंगे ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

दे दिए गए हैं।

प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने की कार्यवाही

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक नहीं लगने के कारण पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में लगातार कमी से संतुलन बिगड़ रहा है ? क्या सरकार कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान (लिंग चयन प्रतिषेध) (तकनीक अधिनियम) (पी0पी0 एन0डी0टी0 अधिनियम) का क्रियान्वयन किया जा

रहा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 876 महिलायें थीं, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या बढ़कर 898 हो गयी है।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान (लिंग चयन प्रतिषेध) तकनीक अधिनियम (पी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम) पूर्व से ही बनाया जा चुका है, जो समान रूप से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर इस प्रदेश सहित पूरे देश में लागू हैं अधिनियम में दिये गये निर्देशों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश में की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी आपने कहा कि एक भी बच्ची बच नहीं पाएगी। मेरा भी प्रश्न यही है कि बच्चियां बची रहें। मंत्री जी ने उत्तर दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो भी निषेध और प्रतिरोधक कदम है जो सरकार का अधिकार प्राप्त है। वैसे उसका उल्लेख इन्होंने कर दिया है लेकिन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। विगत दो-तीन वर्षों में प्रतिरोधक क्या कार्यवाही की गई और उसका परिणाम क्या रहा ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, अधिनियम के उल्लंघन से सम्बन्धित 18 वाद जनपद मेरठ में 11 वाद, जनपद सहारनपुर में तीन, जनपद आगरा में तीन और जनपद लखनऊ में एक वाद, जनपद आगरा के तीन वाद खारिज हो चुके हैं। जनपद सहारनपुर का एक वाद संख्या-3517/2002 निस्तारित किया जा चुका है। 14 वाद अब भी विचाराधीन है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 मंत्री जी जानना चाहूंगा कि पी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट जिसमें हमने प्राविधान किया है कि कोई चिकित्सक ऐसे केस में पकड़ा जाएगा तो तीन वर्ष की सजा होगी और कुछ रुपयों का दण्ड होगा जहां तक मैं जानता हूं, श्रीमन्, कोई सामान्य हत्या होती है तो उस पर 302 का मुकदमा चलाया जाता है। यह सरकार क्यों नहीं मानती है कि पेट का अजन्मा बच्चा, उतने ही नागरिक अधिकार रखता है, जितना इस धरती पर रहने वाला सामान्य नागरिक। यह जो दो प्रकार की सजा का प्राविधान किया गया है, जिसमें हत्या के लिए 302 के तहत् कार्यवाई के मामले हैं और दूसरी ओर वह बच्चा जिसके लिए हम सब लोग यहां पर चर्चा कर रहे है जो शायद उतना ज्ञानी होता है, यदि होता तो शायद उतना ज्ञानी होता जितना अभिमन्यु भी होता। हम जानते हैं

कि भ्रूण के बच्चे भी सीखते और समझते हैं, समाज में पूरी कहानी हमारे यहां बताई जाती है, हम उन अजन्मे हुए बच्चों के लिए सिर्फ 3 साल की सजा का प्राविधान करते हैं, सामान्य हत्या के लिए कुछ और। यह जो अन्तर है, दोनों की सजा में, जब तक यह अन्तर दूर नहीं होगा, सम्भवतः आर्थिक लालच में किये जाने वाले इस अपराधों पर रोक नहीं लगेगी। क्योंकि आदमी यह देख रहा है कि लाभ कितना मिल रहा है और उसके बदले में खतरा कितना उठाना पड़ रहा है। लाभ बहुत है, खतरा बहुत कम है। तो क्या यह सरकार, भले ही पी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट केन्द्र सरकार बनाती हो, क्या इसके प्राविधानों में परिवर्तन करके यह प्राविधान कराने का प्रयास करेगी कि ऐसी हत्याओं के दोषियों को हत्या के तुल्य अपराधियों के समकक्ष मानकर कम से कम 304 के तहत् कार्यवाई की जाय ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, यह जो आप सी0आर0पी0सी0, आई0पी0सी0 एक्ट को संशोधित करने की बात कर रहे हैं, इसमें और कोई प्रश्न पूछिये कि इसमें कितना प्रिवेंशन हुआ है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, चूंकि यह प्रश्न भ्रूण हत्या पर है। यह प्रश्न पूछे इसलिए जाते हैं कि हम इनके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। भ्रूण हत्या हमारे लिए एक सामाजिक समस्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो पूरे प्रदेश का आंकड़ा बता दिया अगर इसी आंकड़े को पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांट दिया जाए तो स्थितियां बहुत खराब निकलने वाली हैं। उद्देश्य इन बहसों का यह है कि हम इनके माध्यम से समाज में परिवर्तन ले आयें जो स्थिति आज के दिन है, डाक्टर जब जांच करते हैं तो आफिशियली नहीं लिखते हैं कि वह लड़का है या लड़की, अनाफिशियली बताते हैं कि वह लड़का है या लड़की। दक्षिण भारत से लेकर अन्य प्रान्तों में जांच अधिक होती है लेकिन उनका मिसयूज कम होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में जांच कम होती है, मिसयूज अधिक होता है। जब तक इस पर प्रभावी रोक नियमों में परिवर्तन करके नहीं लगायी जायेगी, मैं नहीं कहता हूं कि सरकार बदल देगी, सरकार महसूस तो कर सकती है कि इनमें परिवर्तन किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह सुझाव आपका है, ठीक है।

डा0 पी0 के0 राय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो पुरुष और महिलाओं का अनुपात है, क्या कोई प्रदेश स्तर पर इस तरह का सर्वे कराया गया है कि यह किन जिलों और शहरों में ज्यादा है और निश्चित तौर पर कुछ शहर और जिले ऐसे हैं

जहां पर यह अनुपात ज्यादा है और ज्यादा ही होता जा रहा है। क्या उन जनपदों को चिन्हित करके और कोई विशेष अभियान चला करके इसके ऊपर प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य आपके द्वारा किया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या घटने के बाद एक असमानता हो रही है और इसके लिए नियम भी बने हैं, अधिनियम भी बने हैं जिसके अनुसार भ्रूण हत्या पर कार्यवाई होती है लेकिन इस बात को हम सब लोग भी स्वीकार करते हैं कि केवल अधिनियम और कानून से ही इस अन्तर को घटाया नहीं जा सकता है। बल्कि आम लोगों को प्रशिक्षित करके ही इस अनुपात को जो आज यह अनुपात घट रहा है, एक हजार पुरुषों पर 898 महिलाएं हैं। हालांकि सरकार ने, प्रदेश और देश की सरकार ने इस पर कार्य किया है और वर्ष 1991-2001 की तुलना में परिवर्तन आया है लेकिन फिर भी यह बहुत सार्थक परिवर्तन नहीं हैं हम सब लोगों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है अगर हम सब लोग मिलकर लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य करें और इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे तभी हम इस अनुपात को जो यह अनुपात घट रहा है, इसको तभी समकक्ष ला सकते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए कानून है और उस कानून के अनुसार कार्यवाई हो रही है, जैसा मंत्री जी ने बताया कि 18 लोगों का चालान भी किया गया था लेकिन उन सब कदमों के बावजूद भी हम मिलकर इस ओर प्रयास करेंगे, आम लोगों को, जनमानस को समझाने का प्रयास करेंगे और मेरा मानना है कि इसमें जन प्रतिनिधियों का रोल महत्वपूर्ण हैं हम सब मिलकर इसका निदान करें और कोई बहुत कारगर उपाय नहीं होगा और सरकार लोगों को प्रशिक्षित करके ऐसा काम कर रही है, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, प्रश्न बहुत गम्भीर है और इसके दो पक्ष हैं। एक सामाजिक पक्ष है और एक आर्थिक पक्ष है। मेरे यह पूछने पर कि आपने क्या कार्रवाई की है, तो उसके उत्तर में जैसाकि माननीय मंत्री जी ने 3-4 घटनाओं का उल्लेख किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जहां प्रदेश के अन्दर तमाम अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र खुले हुए हैं और लोग चन्द रुपये कमाने के लिए इस व्यवसाय में लिप्त हैं, लेकिन इस पर सरकार को जितना गम्भीर होना चाहिए, जो अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि संख्या को देखते हुए सरकार उतनी गम्भीर नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा और यह अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या सरकार इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए जो तमाम अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक खुले हुए हैं और इस धन्धे में लिप्त हैं और इसमें लिप्त लोगों को दण्डित करने की कार्यवाही में कुछ तेजी लाएगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसके लिए अधिनियम बना है और उसके अनुसार छापे मारे गये तभी 18 मुकदमे कायम हुए। अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों को बन्द कराने से तो तमाम दिक्कतें आयेंगी। बहुत

अधिक कड़ाई से भी जनमानस को दिक्कतें होती हैं लेकिन फिर भी आपके सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए जिससे आम जनता को कठिनाई न हो, इस ढंग से जो भी कार्यवाही हुई है वह की जायेगी।

प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों में मानक के अनुरूप अध्यापकों की कमी

*4-श्री उदय भान करवरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों में मानक के अनुरूप अध्यापक कम हैं, इसके बावजूद अध्यापन कार्य के अतिरिक्त गैर शैक्षिक कार्य जैसे भवन निर्माण, जनगणना आदि में शिक्षकों को लगाया जाता है ? क्या सरकार द्वारा गैर शैक्षिक कार्य न कराने हेतु कोई आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-6972/15-5-2000-385/2000, दिनांक 29-12-2000 में की गयी व्यवस्थानुसार शिक्षकों से शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त स्कूल भवन निर्माण, साक्षरता अभियान, परीक्षा सम्बन्धी कार्य, जनगणना, पल्सपोलियो, वोटर लिस्ट तैयार किया जाना एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में शिक्षकों से उनका योगदान लिया जाता है।

श्री अशोक सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मूल प्रश्नकर्ता का मौन धारण है तो मेरी इसमें रुचि है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों पर जो अतिरिक्त काम का बोझ लादा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त जितने भी कार्य अध्यापकों से लिए जाते हैं उससे कहीं ज्यादा शिक्षा का क्षरण हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी कि इन विद्यालयों में बच्चे पढ़ाई कर सकें और शिक्षण के कार्य में लगे हुए अध्यापक अन्य कार्यों से मुक्त हो सकें ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कार्य तो निश्चित रूप से लिया जाना जरूरी है लेकिन अभी-अभी माननीय नेता सदन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो शिक्षकों की कमी आपने बताई है तो उन्होंने सदन में यह घोषणा की थी कि जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। मान्यवर, इससे शिक्षकों की कमी भी पूरी होगी और शिक्षण कार्य भी पूर्ण होगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा की नींव प्राथमिक शिक्षा है और गांवों की प्राथमिक शिक्षा में काफी गिरावट आई है क्योंकि शिक्षक को और कामों में ज्यादा रुचि है और शिक्षा के कार्य में कम रुचि है। जैसे उन्हें ठेकेदार बना दिया गया है तो एक-एक शिक्षक 3-4 विद्यालयों का ठेका लिए हुए है और वह विद्यालय का भवन बनाने में रुचि ले रहा है और पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहा है। तो इस बात पर प्रश्नकर्ता ने अपनी रुचि दिखायी है। मैं माननीय मंत्री जी से जनहित के इस सवाल पर यह कहना चाहता हूं कि वह शिक्षा के अलावा ठेकेदारी का काम न करें। जहां तक निर्माण की बात है बहुत सी हमारे पास निर्माण एजेन्सियां पी0आर0ई0एस0 हैं, पी0डब्ल्यू0डी0 है, इनसे करवायें। शिक्षक केवल पढ़ाई में रुचि लें और विद्यालय बनाने का काम निर्माण एजेन्सी करे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सुझाव भी है, अनुरोध भी है सरकार ऐसा कोई निर्णय लागू करे कि शिक्षकों को ठेकेदारी प्रथा से दूर किया जायेगा, जिससे कोई भी शिक्षक विद्यालय बनाने में इन्वाल्व नहीं किया जायेगा, उसका योगदान नहीं होगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, 1989 तक आर0ई0एस0 और पी0डब्ल्यू0डी0 भवन निर्माण करते थे लेकिन कुछ कमियां और व्यावहारिता के कारण कमी देखी गयी, अनियमितताएं पायी गयीं इसलिए ग्रामीण शिक्षा समिति को यह कार्य सौंप दिया गया। वह भवन का निर्माण करती है जिसमें हमारा नियमित अध्यापक देखरेख करता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, मान लीजिये कि कोई शिक्षक विद्यालय में पोस्टेड है, कोई ब्लाक का गांव है, उसने तीन विद्यालय बनाने का काम लिया, वह विद्यालय बनाने जायेगा तो शिक्षा में रुचि कहां लेगा। आप अपनी निर्माण एजेन्सी बना लें। बेसिक शिक्षा विभाग में निर्माण एजेन्सी तैयार कर लें। मैं जनहित में पूछ रहा हूं कि क्या सरकार शिक्षकों को अन्य कामों से दूर करके शिक्षकों को शिक्षा में इन्वाल्व करने की घोषणा करेगी जिससे प्राइमरी शिक्षा का स्वरूप अच्छा आयेगा और बच्चों की नींव अच्छी हो सके ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जैसा कि अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि पहले विद्यालय का निर्माण विभिन्न एजेन्सियों द्वारा होता था। हमने देखा कि पैसा होने के बावजूद भी उन भवनों के निर्माण नहीं हुआ करते थे, इसलिए सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, पारदर्शिता के आधार पर भवनों का निर्माण हो, शिक्षा समिति को इस दायित्व को देने का काम किया। यह कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हैं निश्चित रूप से हमेशा कोई विद्यालय नहीं बनते, कहीं-कहीं पर यह अवसर आते हैं। इसमें शिक्षा समिति द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होती है। ग्रामीण शिक्षा समिति में ग्राम प्रधान, प्रधान होता है, उस विद्यालय का प्रधानाचार्य या अन्य शिक्षक उसका सचिव होता है। तो

इससे निश्चत रूप से शिकायतों में काफी कमी आयी है। जहां तक अन्य कार्यक्रम का सवाल है, राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम एक नींव है इसलिए योगदान लेना आवश्यक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सुधार के लिए निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया था उसी के अनुरूप है। इसमें किसी तरह के अनियमितता के चांस अपेक्षाकृत कम हुए हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हमारा भी अनुभव है और लगभग सभी सदस्यों का अनुभव है, कहीं-कहीं अध्यापक और ग्राम प्रधान के बीच विवाद होने के कारण साल, दो साल तक निर्माण पड़े हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करते हुए कहना चाहूंगा कि प्रदेश भर के ऐसे विद्यालयों को जो पूर्ण नहीं हुए हैं, उन्हें चिन्हित करके निर्माण करने का रास्ता निकालेंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, 31 जुलाई, 2007 तक के आदेश दिये गये हैं कि जां भवन निर्माण में अधूरे पड़े हैं वह पूर्ण करा दिये जायें। अगर इस तरह का कोई सुझाव है तो उसको संज्ञान में लेकर कार्य पूरा होगा।

श्री अशोक कुमार सिंह चौहान-

मान्यवर, ग्रामीण शिक्षा समिति द्वारा भवनों का निर्माण होता है। लेकिन यह भी ठीक है कि एक ही अध्यापक एक भवन निर्माण करा कर दूसरे ग्राम सभा में पहुंच जाता है कई ऐसे आपको उदाहरण बता दें जहां एक-एक अध्यापक चार-चार, पांच-पांच भवन निर्माण करवाता है। क्या शिक्षा समिति में एक ही अध्यापक है ? क्या वही भवन निर्माण का ठेकेदार है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी एजेन्सी से भवन निर्माण कार्य कराने में क्या कठिनाई है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एजेन्सी से भवन निर्माण कराने में बहुत सी खामियां नजर आई है, इसलिए यह कदम उठाया गया।

श्री अध्यक्ष-

वह बात तो आपकी आ गई, माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि एक-एक अध्यापक कई-कई जगह भवन प्रभारी बन जाते हैं, दूसरे-दूसरे विद्यालयों के, उसके बारे में आप कोई रुकावट करने का काम करेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह चीज स्पष्ट हो जाये कि जिस विद्यालय में वह अध्यापक पोस्टेड है उसके अलावा वह किसी अन्य जगह के विद्यालय का भवन नहीं बनायेगा। आप इसको कर दीजिए तो कम से कम जो एक पेशा शिक्षकों ने अपना लिया है, उसमें कमी आ जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बहुत स्पष्ट था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया, मैं प्रश्न दोबारा स्पष्ट किये दे रहा हूं वही। मान्यवर, एक-एक अध्यापक, एक विद्यालय बनाने के बाद फिर दूसरी जगह उसकी पोस्टिंग हो जाती है जहां विद्यालय भवन का निर्माण होता है फिर तीसरी जगह पर और वस्तुतः वह अध्यापक न रह कर के पेशेवर ठेकेदार की तरह काम कर रहा हैं तो क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था सुनिश्चित कर देंगे कि किसी भी स्थिति में एक अध्यापक एक से अधिक विद्यालय या उसके कक्ष निर्माण से सम्बन्धित नहीं किया जायेगा, यह मान्यवर, सीधा-सीधा प्रश्न है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर ऐसा है तो इसे दिखवा लिया जायेगा। एक अध्यापक एक ही ब्लाक में रहेगा दूसरे ब्लाक में जाकर वह भवन निर्माण नहीं करायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं फिर से प्रश्न को स्पष्ट किये दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय चौधरी साहब यह कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी विद्यालय में कोई अध्यापक अपने विद्यालय का भवन प्रभारी हो गया एक विद्यालय का और वही अध्यापक अन्य भिन्न-भिन्न विद्यालयों के भवन प्रभारी बन जाते हैं। तो माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि जिस विद्यालय पर प्रधानाध्यापक जो भी हो, उसी विद्यालय का जहां पर भवन बनना है तो वहीं का प्रभारी रहेगा किसी दूसरे विद्यालय में नहीं जायेगा, यह जानना चाहते हैं चौधरी साहब।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, अगर इसमें इस तरह की बात है तो इसमें सुधार किया जायेगा, इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस बात में कि एक ही अध्यापक दूसरे विद्यालय में भवन निर्माण कराये निश्चितरूप से इस पर जो माननीय सदस्य की चाहत है और जनहित में उस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर हम सुनिश्चित करेंगे कि वह जिस विद्यालय में नियुक्त है, उससे बाहर वह भवन बनवाने न जाये। जिस विद्यालय में वह नियुक्त है उसके अतिरिक्त भवन बनना है तो वह उसमें नहीं शामिल होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न यह है कि एक जगह निर्माण करा लिया और फिर उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह उस विद्यालय में हो गई जहां भवन निर्माण होना है और फिर तीसरे पर हो गई जहां भवन निर्माण होना है, इसलिए मान्यवर मेरा यह कहना है कि निर्माण के लिए उसकी बार-बार पोस्टिंग इस तरह से होती रहे और वह एक ठेकेदार की तरह काम करता रहे। तो क्या सरकार ऐसा कोई आदेश निर्गत करेगी जिससे यह प्रतिबन्ध लग जाये कि एक अध्यापक एक से अधिक भवन का निर्माण कभी नहीं करायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय चौधरी साहब, आप स्वतः इस बात से अवगत हैं कि यह सुनिश्चित कर लेना या यह कह देना कि एक अध्यापक कहीं फिर उसका स्थानान्तरण नहीं होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

स्थानान्तरण हो लेकिन भवन निर्माण के लिए न हो।

श्री लालजी वर्मा-

क्षमता के अनुसार कभी-कभी ऐसी स्थिति जनहित में आवश्यक होती है और उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह कोई तरीका थोड़े है कि माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप बीच में बोले चले जा रहे हैं।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना किसान एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपका सम्मान करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कह दिया कि इस पर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता कि किसी का स्थानान्तरण न हो और अगर स्थानान्तरण होगा और वहां वह उस समिति में है तो निश्चित रूप से वह भवन बनायेगा। इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पाया। मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करके पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। मान्यवर, एक व्यक्ति एक विद्यालय पर तैनात होता है और वहां पर उसके द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है। फिर जब दूसरे विद्यालय में निर्माण कार्य उपलब्ध होता है तो वह सम्बन्धित दफ्तर में जाकर दूसरी जगह अपनी पोस्टिंग करा

लेता हैं इसी तरह से फिर तीसरी जगह कराता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक अध्यापक कई जगह निर्माण कार्य कराता रहा। हम चाहते हैं कि अध्यापक की तरह से वे कार्य करें एक ठेकेदार की तरह से कार्य न करें। इसमें प्रबन्ध करने में कोई अहित नहीं है। यह जनहित में है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर कोई स्पेसिफिक मामला आयेगा तो जांच करके कार्यवाही की जायेगी। यह सामान्य रोक नहीं लगायी जा सकती कि किसी शिक्षक का स्थानान्तरण न हो और जब वह स्थानान्तरण पर जाता है तो ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, विद्यालयों में निर्माण कार्यों में जिस तरह से धपले किये जा रहे हैं वह शिकायतें आम हैं। मान्यवर, स्थानान्तरण की जो बात आयी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब एक अध्यापक एक विद्यालय में निर्माण करा लेता है फिर दूसरी जगह जाकर वह निर्माण कार्य पूरा कराता हैं कभी-कभी तो बगैर स्थानान्तरण के विकास केन्द्र स्थल पर जाकर अपने को सम्बद्ध करा लेता है और निर्माण कार्य कराता है। तो इस तरीके से अध्यापक सम्बद्ध होकर ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं और पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ऐसे अध्यापक एस0डी0आई0 से मिलकर अपनी सम्बद्धता दूसरे विद्यालय में करा लेते हैं। तो इस तरह से एस0डी0आई0 स्तर से जो सम्बद्धता की कार्यवाही करा ली जाती है उस पर रोक लगाने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने इस पर उत्तर दे दिया है। आपकी बात है कि एक विद्यालय में बनाते हैं और फिर सम्बद्ध कराकर दूसरे विद्यालय में कार्य कराते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसके सन्दर्भ में कोई रोक लगायेंगे यह वह जानना चाहते हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने कहा कि वह उसी विद्यालय में शिक्षक होकर कार्य करेगा। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है अगर कोई स्पेसिफिक मामला हमारे संज्ञान में आता है तो उस पर जांच कराकर कार्यवाही होगी।

प्रदेश में पोलियो उन्मूलन के लिए विशेष कार्य योजना

*5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2007 से अब तक प्रदेश में पोलियो के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ? क्या सरकार प्रदेश में पोलियो उन्मूलन के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जनवरी, 2007 से अब तक प्रदेश में पोलियो के कुल 64 मामले प्रकाश में आये हैं।

जी नहीं। प्रदेश में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, भारत सरकार की नीतियों एवं दिशा-निदेशों के अनुसार सहयोगी संस्थाओं के समन्वय से चलाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, जो भी सरकार आती है वह सदन में यह संकल्प लेती है कि हम पोलियो जैसे भयानक रोग के लिए उसका उन्मूलन करने के लिये योजनायें चलायेंगे। सघन अभियान चलायेंगे। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि पल्स पोलियो अभियान सघन तरीके से चलाये गये हैं। लेकिन इसके बाद भी पोलियो के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आज की हालत यह है कि केवल जनवरी से अब तक प्रदेश में पोलियो के कुल 64 मामले प्रकाश में आये हैं। हमारे प्रश्न का दूसरा भाग था कि "क्या सरकार प्रदेश में पोलियो उन्मूलन के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी।" उत्तर में कहा गया है कि "जी नहीं। प्रदेश में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, भारत सरकार की नीतियों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार सहयोगी संस्थाओं के समन्वय से चलाया जाता है।"

मान्यवर, यह ठीक है कि पल्स पोलियो अभियान या पोलियो के उन्मूलन का कार्यक्रम भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार चलता है। मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने प्रदेश सरकार के ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगा रखा है कि आप कोई ऐसी योजना नहीं बना सकते। जबकि आप देखें मान्यवर, कि यह भयानक रोग रोके रूक नहीं रहा है और इसमें संख्या में निरन्तर वृद्धि ही हो रही है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार पल्स पोलियो अभियान के प्रभावी न होने के कारण यह विचार करेगी कि वैक्सीन इंजेक्शन लोगों को दिये जायें ताकि पोलियो पर नियन्त्रण किया जा सके।

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने जुलाई, 2007 से प्रारम्भ अभियान में एक लाख आठ हजार बत्तीय बूथ पर 60 हजार 339 घर-घर पर भ्रमण टीम, 10 हजार 137 ट्रांजिट पर मोबाइल टीमें, 5 लाख 5 हजार 113 वैक्सीनेटर्स तथा 41 हजार 719 पर्यवेक्षकों को 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को पोलियो ड्राप्स पिलाने हेतु लगाया गया है। सम्बन्धित संवेदनशील जनपदों में अभियान के परीक्षण हेतु राज्य स्तर से निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को भेजा गया है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरा ऐसा मानना है कि पोलियो की वैक्सीन का कोल्ड चेन को मेन्टेन नहीं किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि कहीं पर फ्रिज नहीं है बर्फ के अन्दर

रखकर पोलियो वैक्सीन को नहीं ले जाया जा रहा है। हम लोग बार-बार इस बात को उठाते हैं लेकिन हमेशा सोचते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर यदि कोल्ड चेन को मेन्टेन नहीं किया जायेगा तो यह केसेज बढ़ते ही चले जायेंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर कोल्ड चेन को मेन्टेन करने के लिए फ्रिज की जनरेटर की, विद्युत की अबाध सप्लाई की व्यवस्था हर जगह पर की गयी है या नहीं की गयी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह एक राष्ट्रीय अभियान है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर भारत सरकार पूरी ताकत से इस पोलियो को जड़ से समाप्त करने पर लगी हुई है। जहां तक, जहां पर यह पोलियो ड्राप्स, वैक्सीन रखी जाती है वहां पर इसके फ्रिजेशन के लिए पूरी व्यवस्था रहती है। कहीं भी अगर इस तरह का कोई उदाहरण माननीय सदस्य अवगत करायेंगे कि अमुक जगह पर ऐसी व्यवस्था नहीं की, वैसे ड्राप्स वैसे ही पड़े रह गये तो निश्चित रूप से इसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

श्री विद्या सागर गुप्ता-

मान्यवर, पोलियो ड्राप्स रखने के लिए माइनस 10 डिग्री पर रखे जाते हैं फ्रीजर की व्यवस्था होती है लेकिन वह जो फ्रीजर हैं उसकी मानरस टेन डिग्री टेम्प्रेचर तक 5-6 घण्टे तक मेन्टेन रहती है। जब बिजली चली जाती है 12 घण्टे के लिए तो वह जो टेम्प्रेचर है वह ऊपर चली जाती है ऊपर जाने की वजह से पोलियो ड्राप खराब हो जाती हैं वही पोलियो ड्राप बच्चों को दे दिये जाते हैं जो निष्प्रभावी होते हैं जिनसे पोलियो की बीमारी होती है। मेरा सवाल यह है कि जहां पर इसको फ्रीज किया जाता है जहां पर यह रखे जाते हैं जिस प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर रखे जाते हैं वहां पर जनरेटर की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अगर जनरेटर नहीं होता है और 12 घण्टे के लिए बिजली चली जाती है और वही ड्राप पिलाया जाता है तो वह खराब हो जाते हैं तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही इसका जवाब दिया कि फ्रीजर की व्यवस्था निश्चित तौर पर है और हर उन जगहों पर जनरेटर की भी व्यवस्था है। अब अगर कहीं से किन्हीं कारणों से ऐसी शिकायत मिलती है, सामान्य तौर से यह देखा गया है कि पोलियो ड्राप पिलाने के उपरान्त कम ऐसे अवसर आये हैं जहां यह बीमारी हुई है। कुछ कहीं-कहीं पर यह स्थिति आई है कि पूरी तरह से अभी जागरुक नहीं कर पाये और शिक्षा के कारण या किन्हीं कारणों पोलियो ड्राप पीने या पिलाने में वह रुचि नहीं लिये हैं ऐसी स्थिति में भी निश्चित तौर पर उसके लिए व्यवस्था भी की जा रही है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसको पूरी तरह से जनरेटर की व्यवस्था भी की गयी है।

मान्यवर, कहीं भी दिक्कत होगी तो उनके लिये फिर से सुनिश्चित किया जायेगा कि यह व्यवस्था हो।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के जवाब पर मेरा प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जो पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं, उनमें अधिकांश वह है, जिनको टीके नहीं पिलाये गये, यह बात सही नहीं है। अब जो अनुभव है और जो 64 केस पोलियो के सामने आये हैं और जो अध्ययन हो रहा है, इनमें बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, जिनको 3-3, 4-4 बार पोलियो ड्राप पिलाया गया है उसके बावजूद पोलियो हो रहा है। दोनों बातों में अन्तर है, नागरिक नहीं पिला रहे हैं, यह एक सामाजिक समस्या हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पिलाने से कुछ विशेष प्रकार की अपंगता होगी। लेकिन जो नागरिक बार-बार पिला रहे हैं, फिर भी पोलियो हो रहा है, उससे इस पूरे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है और इससे जुड़ा प्रश्न इलेक्ट्रिक सप्लाई का खड़ा होता है। अगर बार-बार बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाया जा रहा है फिर भी पोलियो हो रहा है तो इसका सिर्फ एक कारण है कि वह जो पोलियो ड्राप दिया गया, उसकी गुणवत्ता मेन्टेन नहीं की गयी, कोल्डचेन मेन्टेन नहीं की गयी और कितनी बिजली मिलती है, फ्रीजर जो होंगे, सबमें है या नहीं, वह पता नहीं। अगर है तो सरकार यह बता दे कि जहां-जहां पोलियो केन्द्र बनाये गये हैं, जहां-जहां फ्रीजर रखे गये हैं, सरकार 24 घण्टे बिजली देना सुनिश्चित कर लेगी। शायद हो सकता है क्योंकि यह चिन्हित जिले हैं, पूरे प्रदेश के यह केसेस नहीं है। तो क्या जहां पालियो ड्राप के लिये फ्रीजर्स रखे गये हैं, सरकार वहां विशेष रूप से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करा लेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां-जहां भी फ्रीजर है, जहां केन्द्र बनाये गये हैं, बिजली की व्यवस्था के अतिरिक्त जनरेटर की व्यवस्था अगर कहीं नहीं भी होगी तो वह निश्चित रूप से सुनिश्चित कर ली जायेगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह किसी सरकार का या केन्द्र और प्रदेश का केवल प्रश्न मानकर नहीं चलना चाहिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह राष्ट्रीय अभियान है, सब व्यवस्था सरकार कर रही है। हर सरकार उत्तर देती है लेकिन यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है क्योंकि इससे प्रभावित बच्चा जीवन भर के लिये अपंग हो जाता है और उत्तर प्रदेश में यह नियंत्रित नहीं हो पा रहा है यह प्रदेश भी चिन्तित है और संस्थायें राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिन्तित है तो सारी व्यवस्था करने के बाद भी यह क्यों नहीं नियंत्रित हो पा रहा है इसकी कोई उच्चस्तरीय जांच पहले पूर्व की सरकार ने कराई है, अगर है तो उन कारणों के नियंत्रण के लिये

क्या विशेष व्यवस्था की गयी है या तो यह बता दें अगर नहीं किया है पहले तो क्या यह उच्च स्तरीय जांच करायेंगे कि सब प्रयास के बाद भी यह नियंत्रित क्यों नहीं हो पा रहा है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जितने भी केसेस आते हैं उसका परीक्षण होने की एक सामान्य प्रक्रिया है वह होती रहती है और उसके अनुसार फिर से उसमें सुधार के लिये प्रयास भी होते रहते हैं और इस पर सम्पूर्ण परिवार कल्याण विभाग चिन्तित रहता है और इसमें पहले से ही उसके परीक्षण की व्यवस्था है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि पोलियो के ड्राप्स पिलाने से पोलियो का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है और इसी चिन्ता के कारण 03 जून को दिल्ली में इण्डिया एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप की एक बैठक हुयी जिसमें उत्तर प्रदेश के परिवार कल्याण महानिदेशक डा0 एल0वी0 प्रसाद वहां उपस्थित थे और वहां पर यह विषय आया कि अब वैक्सीन को इंजेक्शन के द्वारा दिया जाय तभी यह इफेक्टिव हो सकता है। इसलिये मैंने माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल किया था कि क्या सरकार वैक्सीन को इंजेक्शन से देने पर विचार कर रही है, जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया, मैं चाहता हूं कि मुझे इसका उत्तर दिलाने का कष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, एक व्यवस्था बता रहे हैं, माननीय श्रीवास्तव जी कि कोई बैठक हुयी जिसमें कहा गया कि हम वैक्सीन को इंजेक्शन के माध्यम से प्रयोग करें क्या इस तरह का आपके संज्ञान में है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह व्यवस्था कोई अनिवार्य नहीं हुई है, बल्कि यह आप्शनल है।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न ले लें, प्रश्न सं0-6 खां साहब बस हो गया।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पोलियो के सम्बन्ध में पूरा देश बहुत ज्यादा फिक्रमंद है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अन्दर एक दुष्प्रचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के प्रति कि वह लोग दवा नहीं पिला रहे हैं। दुष्प्रचार हो रहा है कि दवा पिलाने से जो परिणाम आयेंगे, वह अच्छे नहीं होंगे तो इस दुष्प्रचार को रोकने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, इस प्रकार की कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आयी है और जहां तक मेरी जानकारी है कि इस मामले में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, प्रश्न संख्या 6, 9 और 10 तीनों प्रश्न एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तो अनुरोध है कि इन तीनों प्रश्नों को एक साथ ले लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले एक प्रश्न को तो लीजिए।

पूर्वी जिलों में बढ़ते जापानी बुखार की रोकथाम हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराये जाने की मांग

*6-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय ने पूर्वी जिलों में बढ़ते जापानी बुखार की रोकथाम के लिए कोई निर्देश अभी हाल में दिये हैं ? यदि हां, तो मा0 न्यायालय के आदेश क्या हैं ? क्या उक्त आदेश का अनुपालन सरकार द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनन्त मिश्रा)-

जी हां, सिविल मिस अवमाननावाद संख्या-820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम ए0पी0 वर्मा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विभिन्न तिथियों पर जे0ई0 रोग की रोकथाम हेतु निर्देश/आदेश दिये गये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रभावित जनपदों में टीकाकरण, गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेन्टर की स्थापना, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में रिहैबिलीटेशन सेन्टर की स्थापना, वायरल इन्सेफ्लाइटिस पर नियंत्रण हेतु नोडल सेन्टर की स्थापना, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में वेक्टर वोर्न डिजीज कन्ट्रोल सर्वेलेन्स यूनिट की स्थापना, जे0ई0 प्रभावित जनपद के कर्मियों को प्रशिक्षण, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर तथा जे0ई0 से प्रभावित 34 जनपदों के जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, सुअरों को आबादी से दूर करने तथा फागिंग के निर्देश दिये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार निर्देश दिया है, यह इस बात का द्योतक है कि मामला कितना गम्भीर है। मान्यवर, इस बीमारी से अभी स्वीकार किया गया कि 2400 लोगों की मृत्यु

पिछली बार हुई है लेकिन मेरा आंकलन यह है कि यह मृत्यु संख्या 5000 से भी ऊपर है। गन्ने के खेत में और धान के खेत में जब पूर्वांचल में पानी भर जाता है तो इस बीमारी की शुरुआत होती है और लोग कुत्ते की मौत मरते हैं। अभी माननीय सदस्य हमारे बगल में बैठे हुए हैं आजाद जी ने बताया कि जब सी0एम0ओ0 से इन्होंने पूछा कि फागिंग के लिए कितनी मशीनें हैं और दवा कितनी उपलब्ध है तो महाराजगंज के सी0एम0ओ0 ने स्पष्ट जवाब दिया कि हमारे पास कोई दवा नहीं है केवल एक ही यंत्र उपलब्ध है वह भी फागिंग के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपने उत्तर दिया कि स्थापना के निर्देश दे दिये गये, रिहैबिलीटेशन के लिए निर्देश दे दिये गये। सारी चीजों का तो आपने निर्देश दिया है बी0आर0डी0 कालेज में। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने निर्देश दिया उसका परिपालन हुआ या नहीं ? और परिपालन के लिए धन की आवश्यकता होती है तो शासन ने विभिन्न मदों के लिए कितने धन की व्यवस्था कर दी है उपलब्ध करा दिया है।

श्री अनन्त मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा द्वारा मेरे निर्देशानुसार 7-7-2007 को एक बैठक की गई जिसमें पूर्वांचल के सभी मण्डलायुक्त आये, अपर निदेशक स्वास्थ्य आये, पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। वहां इसकी रोकथाम के लिए और जो लोग इससे इफेक्टेड हैं उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करना, फागिंग की व्यवस्था करने के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं, वह दिये गये हैं तथा जो भी धन की जरूरत है उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि जो सेंटर आपने स्थापित किया उसके लिए धन की, स्टाफ की, दवाओं की तथा दूसरे उपकरण की भी आवश्यकता होती है। इसकी व्यवस्था के लिए आपने कितना धन बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को दिया यही बता दें, क्योंकि बीमारी का आमद सिर पर है। अभी तक एक दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, ओझा जी का पूछना है कि कितने धन की व्यवस्था की गयी है ?

(श्री अनन्त मिश्रा खड़े हुये)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मेरी निजी जानकारी है कि इस मद में आज की तारीख तक कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया है और माननीय मंत्री जी का बयान सत्य से परे है।

श्री अध्यक्ष-

आप ही उत्तर दे रहे हैं।

श्री अनन्त मिश्रा-

मान्यवर, आवश्यकता जिन जिलों पर है उसके अनुसार धन दिया जायेगा, पूर्वांचल के जिले हैं उनमें आवश्यकता ज्यादा है, जहां पर कम है उनमें कम दिया जायेगा। 34 जिलों में एक ही तरह से धन नहीं दिया जायेगा, आवश्यकतानुसार धन दिया जायेगा। वहां से आंकड़े मांगे गये हैं, जितनी आवश्यकता होगी, धन दिया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तारांकित प्रश्न संख्या-9 के उत्तर में स्वीकार किया है कि पिछले वर्ष में जापानी इन्सेफ्लाइटिस से 509 मौतें प्रदेश में हुई है, मंत्री जी का यह भी कहना है कि 34 जिले इससे प्रभावित होते हैं पूर्वांचल के और कुछ तराई के जिलों जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच आदि में हर साल प्रभावित होते हैं। इस रोग की पहचान ब्लड टेस्ट से होती है और उत्तर प्रदेश में ब्लड टेस्ट की व्यवस्था लखनऊ में तो है, पूर्वांचल और तराई के उन जिलों में जहां पर यह रोग ज्यादा होता है ब्लड टेस्ट की कोई सुविधा नहीं है जिससे रोग पकड़ में नहीं आता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ब्लड टेस्ट का इंतजाम इन जिलों में क्या किया गया है, यदि किया गया है तो कितनी क्षमता का है ? लखनऊ में ब्लड टेस्ट का जो लैब है, उसमें महीने भर में कितना ब्लड टेस्ट हो सकता है ? आपने कहा कि धन उपलब्ध करा दिया गया है तो आप यह बता दें कि कितने बजट का प्रावधान किया गया है ? योजना तो हर साल बनती है, हर साल यह रोग फैल रहा है तो रोकथाम के लिए अब तक तो योजना बन जानी चाहिए, बल्कि लागू हो जानी चाहिए थी। तो मंत्री जी यह बता दें कि आखिर बजट में कितना प्राविधान किया गया है और किस-किस जनपद को कितना धन दिया है, स्पष्ट रूप से बता दें।

श्री अनन्त मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, ब्लड टेस्ट की पैथालोजी लखनऊ में है उसको गम्भीरता से देखा गया है, निरीक्षण किया गया उसमें जो स्टाक की आपूर्ति थी उसको पूर्ण किया गया है और सुदृढ़ीकरण किया गया है। जहां तक माननीय सदस्य यह जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं तो जितने भी मेडिकल कालेज है उसमें यह व्यवस्था पूर्ण रूप से है, यह उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने अपने आसन पर खड़े होकर कहा कि नहीं है। शोर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, लखनऊ में है लेकिन गोरखपुर में नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप फिर से देख लीजिए। ब्लड टेस्ट का जो इंतजाम है, लखनऊ में है लेकिन पूर्वांचल व तराई के क्षेत्रों में नहीं है जिस कारण प्रारम्भिक स्तर पर यह पता ही नहीं चल पाता है कि मस्तिष्क ज्वर की बीमारी है और अन्तिम स्टेज पर पता चलता है और तब तक मरीज मर जाता है। आपने स्वीकार किया है कि पिछले वर्ष 509 मौतें हुई हैं इस प्रदेश में, 509 मौतें बहुत हुई। जब 509

मौतें हुई तो आपने उन जनपदों में ब्लड टेस्ट करने का क्या इंतजाम किया ? अगर नहीं किया गया है तो सरकार इस पर गम्भीरता से सोचेगी और क्या इंतजाम करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन्सेफ्लाइटिस से हुई मौतों के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती सरकार ने जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको 50 हजार रुपये और जो स्थाई रूप से विकलांग हो जाते हैं उनको 25 हजार का अनुदान देते थे। क्या यह सरकार उस योजना को लागू रखेगी उस राशि का बढ़ायेगी उसमें क्या स्थिति होगी क्या मंत्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अनन्त मिश्रा-

यह प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है।

श्री अम्बिका चौधरी-

इन्सेफ्लाइटिस को रोकने के लिए क्या कार्य योजना है ? यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आप एक प्रश्न लगा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मौतों के मामले में अनुदान दिए जाने का प्रबन्ध करेंगे कि नहीं ? इसको मूल प्रश्न से अलग कैसे करेंगे ? आप यही बता दें कि इसको मुलायम सिंह सरकार ने प्रारम्भ किया था इसलिए समाप्त करेंगे। पूर्व सरकार ने जो किया था उस सबको उलटना है।

श्री लालजी वर्मा-

जो माननीय सदस्य ने अनुदान के सम्बन्ध में कहा इस पर पहले भी जवाब आ चुका है। एक दिन इसे आपने कार्य-स्थगन के रूप में उठाया था। मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि लगभग एक वर्षों से किसी को भी इसमें अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरा प्रश्न सीधा है कि क्या उस योजना को समाप्त करेंगे या उस योजना को लागू करेंगे और राशि बढ़ायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

वर्षों तक जब कोई सहायता दी ही नहीं गई तो फिर बढ़ाने का और लागू करने का सवाल कहां से पैदा होता है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रश्न यह है कि इस योजना को आप चालू रखेंगे ? क्या इसकी राशि में वृद्धि करेंगे या इसको समाप्त करेंगे जो भी इसका उत्तर हो वह उत्तर दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने पहले भी उत्तर दिया कि वर्ष 2006-07 में ही इसे समाप्त कर दिया गया तो फिर इसे चालू रखने या बन्द करने का सवाल कहां उठता है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। यह पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी इस बारे में आपको यह बताना है कि इसको चालू रखेंगे या बन्द कर देंगे। आप कह दीजिए कि बन्द करेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

वर्ष 2006-07 में एक भी पैसा नहीं दिया गया तो 2006-07 में आपने बन्द कर दिया उसके बाद अब चालू करने या बन्द करने का प्रश्न कहां उठता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं अगर 2006 में यह योजना बन्द हो गयी होगी तो मैं अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा मेरे जीवन में इससे अधिक मूल्यवान कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर मंत्री जी में थोड़ी सी नैतिकता हो व यह सहायता अगर दी गई हो तो वह पद त्याग दें। वर्ष 2006-07 में पैसा दिया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी ऐसा किया जा सकता है। दोनों तरफ से चुनौती आ गई है। अम्बिका चौधरी ने कहा है कि अगर दी गई हो संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं नहीं दी गई है। फैसला आप पर छोड़ते हैं आप यह देख लीजिए अगर यह पैसा दिया गया है तो और नहीं दिया गया है तो आपका निर्देश या आदेश क्या होगा यह आप पर छोड़ देते हैं। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि पिछली सरकार में अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसे बदला जाना है। पैसा दिया गया है कि नहीं ? योजना खत्म कर दी गई है तो कह दीजिए या इसे जारी रखेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने स्पष्ट कहा कि वर्ष 2006-07 में एक पैसा नहीं दिया गया। केवल वर्ष 2005 में आकस्मिकता निधि से उसके पहले भी नहीं और उसके बाद भी नहीं वर्ष 2005 में आकस्मिकता निधि से इसमें सहायता दी गयी थी उसके उपरान्त नहीं दी गई। जब 2006-07 में पैसा नहीं दिया गया। तो मान्यवर, निश्चित रूप से शुरू करने और बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कहा कि कितना धन व्यय होगा इसको देख रहे हैं। इसके लिये आंकड़े मंगाये गये हैं। मेरा कहना है कि विकलांगों को 50 हजार और मृतकों को 25 हजार दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा-

नहीं मान्यवर, उत्तर नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा था कि कितने धन की आवश्यकता होगी देखेंगे। क्या इसमें जो लोग मर गये हैं, विकलांग हो गये हैं या जिनको मच्छरदानी बांटी गयी थी उनको भी शामिल किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय खत्म हुआ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, एक प्रश्न इससे हटकर है। हमारा जिला महराजगंज इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य अपने जिले महाराजगंज के बारे में व्यक्तिगत तौर पर जो सूचना लिखकर देंगे आप उसको देख लीजियेगा।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां करने पर विचार

*7-श्री लल्लू सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को नियमित करते हुए शेष शिक्षकों की नियुक्तियां करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

शिक्षकों के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है तथा शिक्षा मित्रों हेतु इण्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता है। शिक्षकों का बी0टी0सी0 का 2 वर्ष के प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा चयन कर विद्यालयों हेतु नियुक्ति की जाती है जबकि शिक्षा मित्रों को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से चयन कर विद्यालय हेतु कक्षा 1 से 2 पढ़ाने हेतु एक माह का प्रशिक्षण देकर आबद्ध किया जाता है।

प्रदेश में 12वीं पास लड़कियों को कन्या धन योजना लाभ को पुनः चालू करने की मांग

*8-श्री आलोक कुमार शाक्य, श्री अवधेश प्रसाद, श्री नरेश अग्रवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कक्षा 12 की लड़कियों को पूर्व सरकार ने 20 हजार रुपये कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया था ? क्या सरकार द्वारा उक्त योजना समाप्त कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त योजना को पुनः लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

जी हां।

उद्देश्य की प्राप्ति में सफल न होने तथा दुरुपयोग के कारण।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एच0आई0वी0 जापानी इन्सेफलाइटिस व चिकनगुनिया रोग से होने वाली मृत्यु एवं इसके रोकने के उपाए

*9-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष एच0आई0वी0, जापानी इन्सेफलाइटिस व चिकनगुनिया रोग से हजारों लोगों की मृ्् होती है ? यदि हां, तो क्या इसका मुख्य कारण प्रदेश में इन रोगों की आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध न होना है ? क्या यह भी सत्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार द्वारा इसके निदान हेतु जो सहायता दी जाती है प्रदेश सरकार उसका उपयोग नहीं कर पाती है और इस कारण अब सहायता बंद कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार द्वारा इन रोगों से मृत्यु रोकने हेतु क्या कोई योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

वर्ष 2006 से जून, 2007 तक प्रदेश में एच0आई0वी0/एड्स से 204 तथा जापानी इन्सेफलाइटिस/वायरल इन्सेफलाइटिस से 509 मौतें हुई हैं। चिकुनगुनिया से कोई मृत्यु सूचित नहीं

है। जी नहीं। एच0आई0वी0/एड्स के नवीनतम उपचार पद्धति एण्टी रिट्रोवायरल थेरेपी छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, मेडिकल कालेज, मेरठ तथा आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी में उपलब्ध है तथा प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों, जिला चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों पर जापानी इन्सेफलाइटिस तथा चिकुनगुनिया के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा चलाया जा रहा है। यह शत-प्रतिशत विश्व बैंक सहायतित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसी प्रकार राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जापानी इन्सेफलाइटिस व चिकुनगुनिया रोगों की रोकथाम तथा उपचार हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम की निर्धारित नीति

*10-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) के रोकथाम एवं उन्मूलन हेतु क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

जी हां।

प्रदेश में इन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु मस्तिष्क ज्वर (जे0ई0) नियंत्रण कार्ययोजना, 2007 तैयार कर समस्त जनपदों को क्रियान्वयन हेतु प्रेषित की गयी है, जिसके अन्तर्गत रोग वाहक पर नियंत्रण, टीकाकरण, सर्वेक्षण, निदान एवं उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वासन सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कोआपरेटिव बैंकों के घाटे का प्रमुख कारण

*11-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने को-आपरेटिव बैंक घाटे में चल रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन बैंकों के घाटे में चलने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार घाटे में चल रहे बैंकों को घाटे से उबारने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

प्रदेश में 50 जिला सहकारी बैंक कार्यरत है जिसमें से 34 बैंक संकलित हानि पर कार्यरत है।

बैंकों के घाटे के प्रमुख कारण निम्नवत् है :-

पैक्स सचिवों के वेतन भुगतान हेतु दिये गये ओवर ड्राफ्ट के कारण बैंकों को हुई हानि।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बैंकों को हुई हानि।

वर्ष 1990 में लागू ऋण राहत योजना के अन्तर्गत धनराशि समय से न मिलने के कारण बैंकों को हुई ब्याज की हानि।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों पर आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्राविधानीकरण नियम लागू किया जाना।

संसाधनों में वृद्धि हेतु सहकारी बैंकों में शासकीय धन जमा करने पर प्रतिबन्ध।

नाबार्ड से सभी बैंकों को सस्ते ब्याज दर पर पुनर्वित्त न मिलने से हुई हानि।

जी हां।

जिला सहकारी बैंकों की लाभप्रदत्ता में वृद्धि हेतु उनके ऋण व्यवसाय को बढ़ाने के लिए फसली ऋण 6-7 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराकर, वसूली एवं निक्षेप संचय में वृद्धि करके तथा प्रो0 ए0 वैद्यनाथन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में रिवाइवल पैकेज लागू कराके बैंकों को घाटे से उबारने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। रिवाइवल पैकेज के अन्तर्गत 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार समितियों/बैंकों की विशेष लेखा परीक्षा में आंकलित संकलित हानि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*12-श्री बृजेश सौरभ-

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर 3सरे मंगलवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका महाविद्यालय डिथुई एवं मंगरौरा में प्रवक्ता, रीडर, आचार्य के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका महाविद्यालय, डिथुई एवं मंगरौरा, जनपद-प्रतापगढ़ में किन-किन विषयों के प्रवक्ता, रीडर, आचार्य आदि के पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर कब तक तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

राजकीय महिला महाविद्यालय ढिंगुई पट्टी प्रतापगढ़ में प्रवक्ता अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान व शारीरिक शिक्षा के पद रिक्त हैं तथा राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा, प्रतापगढ़ में प्रवक्ता-इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, सांख्यिकी एवं शारीरिक शिक्षा के पद रिक्त हैं।

शासन के पत्र संख्या-3354/सत्तर-5-2006-70 (1)/05 दिनांक 16 अक्टूबर, 2006 द्वारा राजकीय महाविद्यालय में रिक्त प्रवक्ता पदों पर संविदा पर चयन की कार्यवाही की गयी है। राजकीय महाविद्यालय ढिंगुई प्रतापगढ़ में अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र तथा गृह विज्ञान में एवं राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा प्रतापगढ़ में शिक्षा शास्त्र विषय में संविदा के आधार पर प्रवक्ताओं की तैनाती की गयी तथा शेष पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तैनाती किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कन्या हाई स्कूल की स्थापना योजनान्तर्गत स्वीकृत सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज लखीमपुर खीरी को अनुदान प्रदान करने की मांग

2-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि असेवित विकास खण्डों में कन्या हाईस्कूलों की स्थापना योजनान्तर्गत स्वीकृत सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज दमुदपुर न्याय पंचायत आषाढ़ी विकास खण्ड-बिजुआ, जिला लखीमपुर खीरी को शासन द्वारा अभी तक अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उक्त विद्यालय को अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

अनुदान योग्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के कतिपय ब्लाकों में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की मांग

3-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर जनपद-खीरी में एक भी राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र/छात्राओं को काफी कठिनाई होती है , यदि हां, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक बिजुआ, ब्लाक फूलबेहड़, ब्लाक नकहा में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं, जनपद में 01 राजकीय महाविद्यालय, 03 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 09 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय अर्थात् कुल 13 महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं जो छात्रों के अध्ययन हेतु पर्याप्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में असेवित क्षेत्र में निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति है।

प्रदेश में निजी क्षेत्र के विद्यालयों में वसूली जाने वाली अधिकतम फीस की सीमा निर्धारित करने की मांग

4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र के प्राइमरी/जूनियर मान्यता प्राप्त विद्यालय बच्चों से मनमानी फीस वसूलते हैं ? क्या मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री प्रदेश के मान्यता प्राप्त प्राइमरी/जूनियर विद्यालयों में छात्रों से वसूली जाने वाली (शिक्षण कार्य हेतु) फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

मान्यता की शर्तों में निर्धारित दरों पर ही शुल्क लेने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिविल अस्पताल झांसी में सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन की स्थायी नियुक्ति की मांग

5-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी स्थित सिविल अस्पताल में सी0टी0 स्कैन मशीन लगी होने के बावजूद किसी स्थायी टेक्नीशियन की नियुक्ति न होने के कारण मरीजों को बाहर से सी0टी0 स्कैन कराना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में स्थायी टेक्नीशियन की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

जी हां।

प्रदेश में अभी तक सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन का पद सृजित नहीं हैं सिविल चिकित्सालय, झांसी में कार्यरत किसी एक्सरे टेक्नीशियन को सी0टी0 स्कैन मशीन के संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरान्त उससे सी0टी0 स्कैन के संचालन का कार्य लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में आशुलिपिकों को स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति प्रदान करने की मांग

6-श्री उदयराज-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग के शासनादेश संख्या 13-ई-एम/87-क-4/2005, दिनांक 26 अगस्त, 2005 द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत आशुलिपिकों को स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु समस्त राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालयों के आशुलिपिकों के पदों का संवर्गीय पुनर्गठन शासनादेश संख्या-13-ई-एम/87-का-4/2005 दिनांक 26 अगस्त, 2005 से आच्छादित नहीं है।

जनपद गोरखपुर के बाबू स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय दहला में अतिरिक्त कक्षाओं के अध्यापन हेतु अध्यापकों के पदों की स्वीकृत प्रदान करने की मांग

7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998 में निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा बाबू स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय दहला, मैनाभागर, जिला-गोरखपुर को कक्षा 6, 7 एवं 8 की अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अतिरिक्त कक्षाओं में अध्यापन हेतु अध्यापकों के नये पदों की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नये पदों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण परीक्षण में है। परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विशिष्ट बी0टी0सी0 में नियुक्त सहायक अध्यापकों को मकान किराया भत्ता दिलाये जाने की मांग

8-श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विशिष्ट बी0टी0सी0 2004 के पहले से नियुक्त सहायक अध्यापकों को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उन्हीं विद्यालयों में तैनात विशिष्ट बी0टी0सी0 2004 में नियुक्त किये गये सहायक अध्यापकों को भी मकान किराया भत्ता दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत नगर सीमा से 08 किमी0 परिधि के अन्तर्गत स्थित ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में वि0बी0टी0सी0 2004 के पहले से नियुक्त अर्ह सहायक अध्यापकों को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है।

जी हां।

नगर सीमा से 08 किमी0 परिधि के अन्तर्गत स्थित ग्रामीण परिषदीय विद्यालयों में विशिष्ट बी0टी0सी0 2004 के अभ्यर्थियों जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 में सहायक अध्यापक के पद पर हुयी है, को अर्ह होने की दशा में नियमानुसार देय मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलवार में डाक्टर की तैनाती का कथित प्रकरण

9-श्रीमती सीमा द्विवेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलवार जनपद-जौनपुर में डाक्टर की तैनाती कर दी गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों की मान्यता विषयक लम्बित प्रकरण की जानकारी

10-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में 31 मई, 2007 तक हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों की धारा-9(4) के अन्तर्गत मान्यता विषयक कितने प्रकरण लम्बित हैं ? क्या जनता के हित में धारा 9(4) में मान्यता दिये जाने के विषय में सरकार कोई कदम उठा रही है ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

धारा 9(4) के अन्तर्गत मान्यता विषयक कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

जी नहीं।

प्रदेश में इण्टरमीडिएट पास कन्याओं को कन्या विद्या धन आवंटित करने सम्बन्धी प्रकरण

11-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 में उ0 प्र0 में इण्टर पास कितनी कन्याओं को कन्या विद्या धन दिया जाना प्रस्तावित है व प्रत्येक छात्रा को दी जाने वाली धनराशि क्या है ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में हेयर डाई पीने से अस्वाभाविक मृत्यु तथा इससे जहरीले पदार्थ हटाये जाने की मांग

12-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि झांसी जिले में हेयर डाई (रंग) पीने से वर्ष 2006/07 में अनेक लोगों की अस्वाभाविक मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार हेयर डाई निर्माताओं के द्वारा निर्मित हेयर डाई में से जहरीले पदार्थ को हटाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

जी हां। जनपद झांसी में वर्ष 2006-07 में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु हुयी है, जिनके परिजनों द्वारा मृत्यु का कारण हेयर डाई पीना बताया गया है। पुलिस विवेचना में विषाक्त पदार्थ/विसरा की जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण मृत्यु के कारण का विनिश्चय नहीं हो सका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-26(ए) के अन्तर्गत हेयर डाई में किसी पदार्थ की मिलावट को केवल भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल को उच्चीकृत, स्टाफ/चिकित्सकों की नियुक्ति एवं अधूरे पड़े ट्रामा सेन्टर को पूर्ण कराने का आश्वासन

13-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर के जिला अस्पताल को उच्चीकृत करके 300 बेड वाला अस्पताल बनवाने तथा उसके अनुरूप स्टाफ/चिकित्सकों की व्यवस्था करायेंगे ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जिला अस्पताल में ट्रामा सेन्टर का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल संयुक्त चिकित्सालय, शाहजहांपुर 312 शैय्यायुक्त है। जिसमें से 204 पुरुष चिकित्सालय तथा 108 महिला चिकित्यालय हेतु आवंटित है।

वर्तमान में पुरुष चिकित्सालय की 104 तथा महिला चिकित्सालय 41 शैय्यायें स्टाफ/चिकित्सकों सहित क्रियाशील है।

अवशेष कुल 167 शैय्याओं को क्रियाशील करने हेतु उपकरण एवं साज-सज्जा की व्यवस्था की जा चुकी हैं इस हेतु आवश्यक स्टाफ/चिकित्सकों के पदों के सृजन की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

जी हां।

ट्रामा सेन्टर के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसे चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गिरधारी सिंह कुंवर इण्टर कालेज के सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्री परशुराम वर्मा की मृत्यु पश्चात् उनकी पत्नी को पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन का भुगतान कराने की मांग

14-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री परशुराम वर्मा सेवानिवृत्त प्रवक्ता गिरधारी सिंह कुंवर इण्टर कालेज, लखनऊ धारक पी0पी0ओ0 संख्या/मा0/956, की मृत्यु दिनांक 16-7-2000 को हो गयी थी ? क्या उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती संतोष वर्मा को 01-01-1996 से पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

उप शिक्षा निदेशक (मा0) लखनऊ के आदेश संख्या/पेशन/13249-52/2000-01 दिनांक 2-11-2000 से 01-01-86 के पुनरीक्षण के आधार पर पारिवारिक पेंशन रुपये 292.00 मासिक की दर से श्रीमती संतोष वर्मा को भुगतान के आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा 01-01-1996 से पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर उसका भुगतान दिनांक 17-7-2000 से किये जाने का आदेश कोषागार लखनऊ को पारित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अस्थायी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी की संख्या एवं उनको स्थायी करने की मांग

15-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अस्थायी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी कितने हैं और वे कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? क्या ऐसे अस्थाई शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्थायीकरण नीति के अन्तर्गत स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शासन द्वारा सृजित अस्थायी पदों के सापेक्ष शैक्षिक पद पर कोई कार्यरत नहीं है। अस्थायी शिक्षणेत्तर पदों पर कुल 98 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत कुल 157 शिक्षक एवं 143 शिक्षणेत्तर संविदा पर कार्यरत हैं।

उक्त सभी कर्मचारी वर्ष 1998 अथवा उसके बाद से अपने पदों पर कार्यरत हैं।

शासन द्वारा सृजित अस्थायी पदों पर विधिवत नियुक्त कर्मचारी ही सम्बन्धित पदों के स्थायी हो जाने एवं स्थायीकरण की सेवा शर्तों की पूर्ति के उपरान्त स्थायीकरण के पात्र हैं। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण का कोई प्रविधान नहीं है।

स्थायी पदों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी में राजकीय कन्या विद्यालय के भवन का निर्माण कराने की मांग

16-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-मोहम्मदी में राजकीय कन्या विद्यालय भवन-विहीन चल रहा है ?

यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में नियमानुसार धनराशि स्वीकृत कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में विद्यालय भवनों के निर्माण का विवरण

17-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट में वर्ष 2002-2003 से अब तक कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कराया गया है तथा कितने भवन अभी अपूर्ण हैं ? क्या इसकी जांच कराकर अधूरे भवनों को पूरा करने हेतु समय-सीमा निर्धारित कर, कार्य पूर्ण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बांदा में वर्ष 2002-03 से अब तक 285 प्राथमिक विद्यालय एवं 191 उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया गया जिसमें 04 प्राथमिक विद्यालय तथा 06 उच्च प्राथमिक विद्यालय अपूर्ण हैं। जनपद महोबा में 135 प्राथमिक विद्यालय तथा 186 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया कोई भवन अपूर्ण नहीं है। जनपद हमीरपुर में 92 प्राथमिक विद्यालय तथा 164 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया जिनमें 01 प्राथमिक विद्यालय तथा 06 उच्च प्राथमिक विद्यालय अपूर्ण हैं। जनपद चित्रकूट में 223 प्राथमिक विद्यालय एवं 135 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया जिनमें 09 प्राथमिक विद्यालय तथा 05 उच्च प्राथमिक विद्यालय अपूर्ण हैं।

जी हां। 05 भवनों का प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। एवं 01 विद्यालय में स्थल विवाद है। इनके अतिरिक्त शेष भवनों को 31 जुलाई, 2007 तक पूर्ण कराने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिये गये हैं।

31 जुलाई, 2007 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में शिक्षकों को सम्बद्ध करने की नीति की जानकारी

18-श्री लल्लू सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में शिक्षकों को सम्बद्ध करने की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां के ग्राम उचौलिया प्रा0 स्वा0 केन्द्र के भवन निर्माण की मांग

19-क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी (लखीमपुर खीरी) के विकास खण्ड-पसगवां के अन्तर्गत ग्राम उचौलिया में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ? क्या यह सही है कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

जी हां। ग्राम उचौलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में जिला अनुश्रवण समिति से परिव्यय एवं नाम के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के पदों की संख्या एवं रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की मांग

20-श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के कितने पद रिक्त हैं और क्या उन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के कुल 601 पद रिक्त हैं इन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2007 से सेवा निवृत्त शिक्षकों के समस्त देयों का भुगतान कराने के सम्बन्ध में

21-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक/बालिका) के जून, 2007 में सेवानिवृत्त हुये शिक्षकों को शासनादेश के अनुसार समस्त सेवानिवृत्ति अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

जनपद बहराइच के शासकीय विद्यालयों में दिनांक 30-6-2007 को कुल 4 शिक्षक सेवानिवृत्त हुये, जिसमें राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के 3 सेवानिवृत्त शिक्षकों के बीमा का भुगतान दिनांक 7-3-2007 को ही कर दिया गया। मात्र एक शिक्षिका रा0 कन्या उ0 मा0 विद्यालय कैसरगंज, बहराइच का बीमा प्रकरण कोषागार, बहराइच को भुगतान हेतु प्रेषित है।

उक्त शिक्षकों में से तीन शिक्षकों के जी0पी0एफ0 के 90 प्रतिशत के भुगतान हेतु शिक्षा निदेशालय के आदेश दिनांक 27-6-07 द्वारा प्रकरण संस्तुत कर संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को भेजा जा चुका है। मात्र एक शिक्षिका, रा0 कन्या उ0 मा0 वि0 कैसरगंज के जी0पी0एफ0 के 90 प्रतिशत की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है।

चारों शिक्षकों के पेंशन प्रपत्र अपर निदेशक, कोषागार, फैजाबाद को प्रेषित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बकाया देयों के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रदेश के एन0आई0सी0 एवं वित्त तथा लेखाधिकारी (बेसिक) कार्यालयों में शिक्षकों का सम्बद्धीकरण समाप्त करने की मांग

22-श्री लल्लू सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एन0आई0सी0 एवं वित्त तथा लेखाधिकारी (बेसिक) कार्यालयों में कितने अध्यापक सम्बद्ध हैं ? क्या इन कार्यालयों में शिक्षकों का सम्बद्धीकरण नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी तथा शिक्षकों का सम्बद्धीकरण समाप्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण का विवरण तथा भूमि बैनामा सम्बन्धी जानकारी

23-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों में किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का वर्ष 2004-05,

2005-2006 से निर्माण कार्य चल रहा है ? क्या भूलेख रिकार्डों में स्वास्थ्य विभाग के नाम भूमि जरिये बैनामा हस्तान्तरण की गयी है ? यदि हां, तो अलग-अलग भवन वार विवरण क्या है ? क्या यह बात सही है कि बिना राजस्व रिकार्डों में दर्ज कराये, निजी भूमि पर या गांव सभा की आरक्षित भूमि पर राजकीय निर्माण निगम भवन निर्माण करा रहा है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कर भू-अभिलेखों में स्वास्थ्य विभाग के नाम जमीन ट्रान्सफर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा-

चित्रकूट धाम में वित्तीय वर्ष 2004-05 में जनपद चित्रकूट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरधुआ जनपद हमीरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरी, अटगांव, भैसाय, चण्डौत तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 में जनपद हमीरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भरुआ सुमेरपुर, रहक, बिहुनीकला व अरतरा तथा जनपद महोबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोहनिया में निर्माण कार्य चल रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरधुआ के लिए भूमि बैनामा के माध्यम से हस्तान्तरित हुई है। अरतरा के लिए भूमि अभी प्राप्त नहीं हुई है तथा अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ग्राम सभा द्वारा निःशुल्क भूमि स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की मलिन बस्तियों में कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देख-रेख हेतु राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्र संचालन के सम्बन्ध में जानकारी

24-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मलिन बस्तियों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देख-रेख हेतु राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्र किन-किन जिलों में किस-किस स्थान पर संचालित हैं ? क्या सरकार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 जुलाई, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 9 जुलाई, 2007 से 27 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुये सोमवार दिनांक 9 जुलाई, 2007 के लिये निर्धारित तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2007 को अलग नत्थी के रूप में ले लिये जायं।

2-दिनांक 9 जुलाई, 2007 को लिये जाने वाला विधायी कार्य दिनांक 10 जुलाई, 2007 को ले लिया जाय।

3-दिनांक 9 जुलाई, 2007 की प्रस्तावित मदें (विभागीय आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं पारण) दिनांक 13 जुलाई, 2007 को ले ली जायं।

4-दिनांक 13 जुलाई, 2007 को होने वाला असरकारी कार्य (आधा दिन) आय व्ययक के अनुदान की मांगों एवं विधायी कार्य के उपरान्त रखा जाय तथा दिनांक 20 जुलाई, 2007 को लिया जाने वाला असरकारी दिवस (आधा दिन) न लिया जाय।

5-दिनांक 24 जुलाई, 2007 को प्रस्तावित कार्य दिनांक 20 जुलाई, 2007 को ले लिया जाय।

6-दिनांक 25 जुलाई, 2007 को प्रस्तावित कार्य दिनांक 24 जुलाई, 2007 को ले लिया जाय।

7-दिनांक 9 जुलाई, 2007 से दिनांक 27 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जुलाई, 2007

---

09 सोमवार — निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

10 मंगलवार — 1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

(ख) उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

(ग) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधन सहित पारित हुआ, (आधा घण्टा)।

11 बुधवार
12 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

13 शुक्रवार — 1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
2-विधायी कार्य।
3-असरकारी कार्य।

14 शनिवार
15 रविवार — बैठक नहीं होगी।

16 सोमवार
17 मंगलवार
18 बुधवार
19 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

20 शुक्रवार — 1- वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

21 शनिवार
22 रविवार — बैठक नहीं होगी।

23 सोमवार — वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

24 मंगलवार — 1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

25 बुधवार
26 गुरुवार
27 शुक्रवार
} बैठक होगी।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 जुलाई, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की है, इन्होंने ऐशबाग लखनऊ स्थित पूर्वांचल टेन्ट हाउस पर 31 मार्च, 2007 को शत्रुघन सिंह उर्फ छोटू तथा उसके नौकर जीतेन्द्र हत्या काण्ड की जांच एस0टी0एफ0 से कराकर हत्यारों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दूसरी सूचना श्रीमती कृष्णा राज जी की है, इन्होंने खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत बागों का बेरोक टोक कटान एवं नये वृक्ष नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तीसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की है, इन्होंने पशुधन विकास एवं दुग्ध उत्पादन की महत्वपूर्ण योजना के 20 करोड़ रुपये व्यय होने के बावजूद असफल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

चौथी सूचना श्री उदय भान करवरिया जी की है, इन्होंने जनपद इलाहाबाद के बेलन प्रखण्ड के जलाशयों में पानी न होने के कारण तहसील कोराव एवं मेजा की नहरें बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

पांचवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की है, इन्होंने सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की है, इन्होंने प्रदेश के इण्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

सातवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह जी की है, इन्होंने श्रावस्ती के तहसील इकौना में तहसील का अवशेष कार्य पूर्ण कराकर कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है, इन्होंने शाहजहांपुर के ब्लाक खेड़ा की कतिपय न्याय पंचायतों में इन्दिरा आवास को स्थाई सूची को आवश्यकतानुसार दुरुस्त कर पात्र व्यक्तियों को आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

नवीं सूचना श्री राम किशुन जी की है, इन्होंने चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद की सरने माइनर की खुदाई अन्तिम छोर तक कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की है, इन्होंने डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की 2005-2006 की बी0एड0 की परीक्षाएं कराने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सनातन जी की है, इन्होंने बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण गुणवत्ता रहित एवं मानक के अनुरूप न होने की जांच कराकर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

बारहवीं सूचना श्री भोला पासवान जी की है, इन्होंने आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत बेसो नदी की खुदाई व सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तेरहवीं सूचना श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी की है, इन्होंने ग्राम मऊ खुरदरी, थाना मानिक पुर, जनपद-चित्रकूट, निवासी श्री मुन्नी लाल मिश्रा एवं हरिश्चन्द्र की हत्या दिनांक 11 अगस्त, 2006 को होने के उपरान्त अभी तक उक्त घटना की सही रिपोर्ट दर्ज न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

चौदहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव जी की है, इन्होंने इलाहाबाद की फूलपुर-तहसील के अन्तर्गत बरना नदी के अत्यन्त छिछली होने एवं जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान जी की है, इन्होंने गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानकों के विपरीत योग्यता वाले तैनात प्रभारी द्वारा किये गये कथित घोटाले का भौतिक सत्यापन कराकर जांच कराने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई है, वे निम्नलिखित है :-

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

2-श्री सुन्दर लाल सिंह

3-श्री कुबेर सिंह तथा

4-श्री दुर्गा प्रसाद यादव

ऐशबाग लखनऊ स्थित पूर्वांचल टेन्ट हाउस पर श्री शत्रुघन सिंह उर्फ छोटू तथा उनके नौकर जितेन्द्र हत्याकाण्ड की जांच एस0टी0एफ0 से कराकर हत्यारों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अध्यक्ष महोदय,

[मैं आपके माध्यम से निम्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

विगत दिनांक 31 मार्च, 2007 को शत्रुघन सिंह उर्फ छोटू पुत्र नारदमुनि सिंह एवं उसके नौकर जितेन्द्र की रात्रि 9 बजे के आस-पास ऐशबाग, लखनऊ स्थित ईदगाह के सामने बने हुए हनुमान मन्दिर के बगल में स्थित पूर्वांचल टेन्ट हाउस पर पल्सर मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और हत्यारे बेखौफ भाग गये। आश्चर्य का विषय है कि पहली अप्रैल, 2007 को घटना के दूसरे दिन बकरीद का त्योहार था और जिसकी व्यवस्था में तमाम पुलिस ड्यूटी पर लगे हुए थे और घटना स्थल से क्षेत्राधिकारी बाजार खाला का दफ्तर मात्र 100-150 मीटर दूर है। इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। अभी तक इस विषय की जानकारी पूर्व मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 सरकार, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व प्रमुख सचिव तथा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक लखनऊ को देने के बाद भी इस दोहरे हत्या काण्ड के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और पुलिस हत्यारों का पता लगाने में असमर्थ रही। इसलिए आवश्यक है कि इस हत्याकाण्ड की जांच एस0टी0एफ0 से कराई जाय।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस हत्याकाण्ड की जांच एस0टी0एफ0 से कराकर हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत बागों का बे-रोकटोक कटान एवं नये वृक्ष न लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा राज-

अध्यक्ष महोदय,

[आज पूरे प्रदेश में वनों की अन्धाधुन्ध कटान हो रहा है और वन विभाग मूकदर्शक बना देख रहा है। प्रतिबन्धित पेड़ों के कटान से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। वन विभाग के अधिकारी प्रतिबन्धित वृक्षों के कटान की अनुमति रिश्वत लेकर प्रदान कर देते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद लखीमपुर (खीरी) के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। यहीं पर बागों का कटान बे-रोकटोक जारी है परन्तु नये वृक्ष रोपित नहीं किये जा रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है कि वन विभाग द्वारा जितने वृक्षों की कटान की अनुमति प्रदान की जाती है उतने ही वृक्षों को रोपित किया जाना अनिवार्य है परन्तु वन विभाग की निश्क्रियता के कारण नये वृक्ष नहीं लगाये जा रहे हैं। इस शासनादेश का अनुपालन वन विभाग द्वारा कड़ाई से किया जाना जनहित में तथा पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर वन संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

पशुधन विकास एवं दुग्ध उत्पादन की महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये व्यय होने के बावजूद असफल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय,[लघु एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से पशुधन विकास और विशेष रूप से गायों एवं भैसों की दुग्ध उत्पादकता का अत्यन्त बहुमूल्य योगदान है। सम्पूर्ण कृषि उत्पादों में पशुधन उत्पाद मूल्य करीब 27% है। वर्तमान में प्रति गाय औसत दुग्ध उत्पादन सिर्फ 3.035 किलो और प्रति भैंस औसत दुग्ध उत्पादन 4.315 किलो है। कुल मिलाकर प्रति औसत दुग्ध उत्पादकता सिर्फ 272 ग्राम है। स्वाभाविक रूप से देश के औसत उत्पादकता और उपलब्धता की दृष्टि से यह मद अत्यन्त कम है। इसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता और भी कम है।

दुग्ध उत्पादकता की इसी कमी को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार ने "राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना" प्रारम्भ की। इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना के सफल संचालन हेतु पशुधन विभाग से अलग एक "उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद्" की स्थापना की गयी। कृषि उत्पादक आयुक्त इसके अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, पशुधन उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सचिव बनाये गये।

"परिषद" को केन्द्र सरकार ने रुपये 55 करोड़ स्वीकृत किये और प्रथम चरण में रुपये 20 करोड़ भी अवमुक्त किये गये। पशुधन विकास परिषद् से यह अपेक्षित था कि परिषद प्रजनन योग्य सकल दुधारू पशुओं को उत्तम प्रजनन सुविधाओं से अच्छादित करने के साथ-साथ प्रजनन सेवाओं की गुणवत्ता को बनायेगा, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण, राज्य पशु प्रजनन नीति का क्रियान्वयन, परियोजना परक सर्वेक्षण, तरल नत्रजन का परिवहन, वितरण एवं भण्डारण शुद्ध नस्ल के साड़ों की उपलब्धता तथा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादक केन्द्रों का सुन्दरीकरण सुनिश्चित करेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद् ने केन्द्र सरकार से 20 करोड़ रुपये प्राप्त भी किये लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रारम्भिक को छोड़कर अधिकांश योजनायें कागजी ही रही। पहली मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के बाद दुबारा इस पर कोई नियुक्त ही नहीं हुई।

रुपये 20 करोड़ से प्रदेश के पशुधन का वास्तविक क्या लाभ हुआ, कुछ पता नहीं चला। पशुधन विकास परिषद् ने अवशेष 35 करोड़ अवमुक्त भी नहीं कराये। इस प्रकार से यह योजना करीब-करीब असफल है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा कार्य-संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत, कृपया शासन को सदन के पटल पर वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद इलाहाबाद के बेलन प्रखण्ड में जलाशय में पानी न होने के कारण तहसील कोरांव एवं मेजा की नहरें बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयभान करवरिया-

अध्यक्ष महोदय, [उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सदन में बार-बार आश्वासन दिया जाता है कि नहरों के टेल तक पानी पहुंचाकर किसानों के खेत में सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी, किन्तु जनपद इलाहाबाद के बेलन प्रखण्ड का संचालन मेजा जलाशय में एकत्रित किये गये पानी से किया जाता है। समूचे प्रदेश में जिन नहरों का संचालन बंधे-बांध कर रोके गये जलाशय से संचालन होता है वहां सिंचाई की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। बेलन प्रखण्ड के बन्द होने के कारण तहसील मेजा एवं कोरांव का लगभग 32000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के बिना सूखा पड़ा है। इस कारण से खरीफ की समूची फसल नष्ट हो रही है तथा किसान परिवार तंगी का सामना करने के लिये मजबूर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा भी किसी प्रकार की उपयोगी कार्यवाही किसानों के हित में नहीं की गई है ?

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजल संकट का निवारण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

अध्यक्ष महोदय, [मेरे विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद जनपद सीतापुर के सूखे के वजह से अधिकांशतः इण्डिया मार्का हैण्डपम्प फेल हो गये हैं व अम्बेडकर गांव के अलावा अन्य गांव में नल रिबोर भी नहीं किये जा रहे हैं नये नलों के न लगाये जाने के कारण पूरे क्षेत्र में पेयजल का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गम्भीर संकट खड़ा हो गया है। जानवरों को भी स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है तालाब सूख रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तालाबों को यथाशीघ्र भरे जाने हेतु व पूरे क्षेत्र में फेल नलों को रिबोर करने के साथ पूरे क्षेत्र में तत्काल 500 नल लगाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के इण्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, [प्रदेश के इण्टर कालेजों में अध्यापकों के पद लगातार रिक्त चल रहे हैं। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है आयोग नयी नियुक्त नहीं कर रहा है जिसके कारण विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों को अस्थानी ट्यूटर रखने पड़ रहे हैं जो सभी बी0एड0 एवं उच्च शिक्षा प्राप्त है प्रबन्ध समितियों द्वारा इन्हें अल्प नाममात्र का वेतन दिया जा रहा है क्योंकि प्रबन्ध समितियों के पास धन की कमी है छात्र संख्या लगातार बढ़ने के कारण ट्यूटर भी विद्यालयों की प्रबन्ध समिति को बढ़ाने पड़ रहे हैं।

शासन सभी ट्यूटरों को स्थायी को अथवा ट्यूटरों की तनख्वाह की राशि तय करें तथा ट्यूटरों की तनख्वाह की राशि भी तय करके तथा इसके लिये पूरे प्रदेश में बजट की व्यवस्था करें।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्रावस्ती के तहसील इकौना में तहसील का अवशेष कार्य पूर्ण कराकर कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 वकार अहमद शाह-

अध्यक्ष महोदय,[जिला श्रावस्ती के तहसील इकौना में नई तहसील बनने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तहसील का 90 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। परन्तु कुछ काम न पूर्ण होने के कारण अब तक तहसील को कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानान्तरित नहीं किया गया है जिस कारण क्षेत्रीय लोगों के बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और जिस स्थान पर इस वक्त तहसील काम कर रही है वह बड़ी ही जर्जर स्थिति में है और वर्षा में किसी भी समय गिर सकती है जिससे कोई बड़ी घटना हो सकती है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को भी कई बार पत्र लिखा गया और मौखिक रूप में कहा गया और यह बताया गया कि शासन द्वारा धन स्वीकृत हो गया है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परन्तु उसे अब तक विभाग को नहीं दिया गया है यह गम्भीर बात है और सरकारी सम्पत्ति की क्षति हो रही है और स्थानीय जनता को बहुत बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है।

अतः अविलम्बनीय सूचना पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की कतिपय न्याय पंचायतों में इन्दिरा आवासों की स्थाई सूची दुरुस्त कर पात्र व्यक्तियों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष महोदय, [शाहजहांपुर जनपद में मेरे विधान सभा क्षेत्र 50-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की न्याय पंचायत पैना बुजुर्ग, भावलखेड़ा, शाहगंज, जमुही, रौसर, कनेंग तथा बरमौला अर्जुनपुर में इन्दिरा आवासों के लिए जो स्थायी सूची तैयार की गई है उसमें पात्र व्यक्तियों को उचित स्थान नहीं मिला है जो गरीब हैं जिनके पास कच्चा मकान भी नहीं है तथा मजदूरी करते हैं उनको इस सूची में शामिल भी नहीं किया गया, जबकि इनके नाम सूची में वरीयता क्रम में होना चाहिए था, इनके स्थान पर बहुत से अपात्रों को सूची में शामिल कर लिया गया जिनको शामिल किया गया उनका वरीयता क्रम नीचे कर दिया गया जिससे वर्षों तक वे इन्दिरा आवास प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

इसके लिए इन सातों न्याय पंचायतों में ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें करके ऐसे पात्र व्यक्तियों का नाम उस सूची में शामिल कराये जाये ताकि इन्दिरा आवास मिल सके तथा जिनके पास अपने मकान हैं तथा अपात्र हैं ऐसे लोगों के नाम सूची से हटवाये जायें। यह कार्य जिला मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी या ब्लाक प्रमुख की देखरेख में होना चाहिए।

लोक महत्व के इस अविलम्बीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन्दिरा आवासों की स्थायी सूची को आवश्यकतानुसार दुरुस्त किये जाने की मांग करता हूं।]

चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद की सरने माइनर की खुदाई अन्तिम छोर तक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम किशुन-

अध्यक्ष महोदय, [मैं आपके माध्यम से विधान सभा अध्यक्ष जी की अनुमति से इस सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियमताबाद के सरने माइनर की खुदाई लगभग 15 वर्ष 16 वर्ष पहले प्रारम्भ की गयी थी परन्तु आज तक सरने माइनर की खुदाई पूरा नहीं कराया गया है। आधे भाग की खुदाई ही हो पायी है नहर की खुदाई के लिए जमीन भी चकबन्दी विभाग द्वारा सुरक्षित छोड़ दिया गया है। जमीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपलब्ध है फिर भी कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते खुदाई का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, इस नहर की पूरी खुदाई न होने के कारण किसानों की हजारों एकड़ जमीन प्रतिवर्ष असिंचित रहती है और पैदावार नहीं हो पाती है तथा जहां तक नहर की खुदाई हुई है वहां तक नहर का फालतू पानी किसानों के खेतों को डूबा देता है तथा किसानों के खेतों के चारों तरफ फैलता हुआ फसलों को बर्बाद करता हुआ गडई नदी में पानी जाकर गिर जाता है। सरने माइनर की अन्तिम छोर तक खुदाई न होने के कारण उस क्षेत्र के किसानों को दोहरा मार झेलना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि सरने माइनर की खुदाई अन्तिम छोर तक कराये जाने का आदेश देने का कष्ट करें।]

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की 2005-2006 की बी0एड0 परीक्षायें कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

अध्यक्ष महोदय, [डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के सत्र, 2005-2006 के बी0एड0 के सैकड़ों छात्र लगातार आन्दोलनरत हैं। विगत 2 वर्षों से उनकी परीक्षा न होने से अपने भविष्य के प्रति गम्भीर रूप से आशंकित एवं आक्रोशित हैं। डिग्री न मिलने से नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, राज्य सरकारों के अधीन टी0जी0टी0, पी0जी0टी0 और प्राथमिक विद्यालयों की नियुक्तियों से वंचित हो गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट बी0टी0सी0 के हजारों पदों की नियुक्ति से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह के अवसर प्रत्येक वर्ष नहीं आता। काफी अन्तराल के बाद इतनी नियुक्ति होती है, कई लोगों की उम्र बीत जाती है, किन्तु नियुक्ति नहीं हो पाती। यहां के कुलपति कान में तेल डाले पड़े हैं जबकि अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर 2006-07 की परीक्षा ले चुके हैं और गोरखपुर मेरठ व पूर्वांचल विश्वविद्यालय परीक्षा लेने जा रहे हैं। आगरा की स्थिति गम्भीर है। सैकड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना से तत्काल भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की 2005-06 की बी0एड0 की परीक्षायें कराने तथा दोषियों को दण्डित करने की मांग करता हूं।]

बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप न होने की जांच कराकर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सनातन-

अध्यक्ष महोदय, [महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र चिलकहर बलिया में पूर्व में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण जो कराया गया है वह गुणवत्ता रहित एवं मानक के अनुरूप न होने के कारण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सभी सड़कें टूट कर गड्ढे में तबदील हो गयी है जिस कारण आवागमन में क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है और सड़कें ठीक न होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिस कारण क्षेत्रीय जनता में घोर असंतोष व्याप्त है। जो सड़के बनी थी और खराब हो गयी हैं निम्नलिखित हैं (1) मुख्य नहर बीराभांटी से नहर की पट्टी गढ़मलपुर का सड़क मार्ग। (2) एकइल-गौरी-कड़सर मार्ग। (3) कुरेपी-बीरपुर-हथौड़ी मार्ग। (4) इन्दरपुर से वासनबार तक नहर पट्टी मार्ग। (5) सोनपुरवा से छिब्बी मार्ग। (6) सोनपुरवा से छिब्बी होकर नाराछ बर्रेबोझ मार्ग।

अतः इस प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करके ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही किये जने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत बेसो नदी की खुदाई/सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला पासवान-

अध्यक्ष महोदय, [बेसो नदी विधान सभा क्षेत्र सरायमीर के बीचोबीच से होकर गुजरता है। इसके उत्तर और दक्षिण में नहरों के कई माइनर गिरते हैं। जिसके कारण बालू के पटाव से नदी का स्वरूप ही बदल गया हैं बरसात के सीजन में मामूली वर्षा होने पर भी बहुत ही विनाशकारी रूप ले लेता है। जिससे प्रति साल नदी के अगल-बगल से दर्जनों गांव प्रभावित होते हैं और जन धन का काफी नुकसान होता है। प्रति साल हजारों हजार मन फसल का नुकसान होता हैं इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। जिसकी खुदाई व सफाई कराना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए नदी का सर्वे कराकर नदी की खुदाई का कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान करें।]

जनपद चित्रकूट थाना मानिकपुर के ग्राम मऊ गुरदरी निवासी श्री मुन्नीलाल मिश्रा एवं हरिश्चन्द्र की हत्या की सही रिपोर्ट दर्ज न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दिनेश प्रसाद मिश्र-

अध्यक्ष महोदय, [अवगत कराना है कि जि0-चित्रकूट में दस्यु शिवकुमार उर्फ ददुआ इनामी डकैत का आतंक विगत 25 वर्षों से व्याप्त है। दि0 11 अगस्त, 2006 को सायं 7.00 बजे दस्यु शिवकुमार उर्फ ददुआ व उसके बेटे वीर सिंह एवं भाई बाल कुमार पटेल पुत्र श्री राम प्यारे ने अपने दो दर्जन बदमाशों के साथ ग्राम मऊ गुरदरी थाना मानिकपुर नि0-श्री मुन्नीलाल मिश्रा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद एवं इसके जवान बेटे श्री हरिश्चन्द्र पुत्र मुन्नीलाल को गोली मारकर व डीजल डालकर जिन्दा जला दिया तथा दस्यु ददुआ ने अपने आदमी थाने में भेजकर तथ्यहीन रिपोर्ट अंकित कराकर अपने लोगों को बचा लिया इतना ही नहीं उन लोगों ने टैक्टर के टायर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोली मारकर उसे भी जला दिया दो नाली बन्दूक, मोबाइल फोन एवं नगदी रुपये लूट ले गये। उक्त घटना के कारण तत्कालीन सरकार के विरुद्ध में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और ए0डी0एम0 को सही रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना-पत्र भी दिया था। एवं मृतक आश्रित लोगों के लिए पांच लाख रुपये की मांग भी की थी। अभी तक न तो उक्त घटना की सही रिपोर्ट दर्ज की गयी और न ही मृतक आश्रितों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त घटना की सही रिपोर्ट दर्ज करने एवं मृतक आश्रित को मुआवजा दिलाये जाने तथा उन्हें शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद की फूलपुर तहसील में बरना नदी के छिछले होने व जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

अध्यक्ष महोदय, [आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद इलाहाबाद के फूलपुर के अर्न्तगत स्थानीय बरना नदी स्थित है उक्त नदी छिछली होने के कारण बरसात के दिनों में उसका पानी फैलकर बहता है तमाम गांवों के किसानों की जमीन डूब जाती है जिसके कारण उनकी फसल बरबाद हो जाती है तथा जल भराव के कारण उक्त इलाके की जमीन भी ऊसर होती चली जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि हजारों हजार किसानों की फसल डूबने तथा जमीन ऊसर न होने पाये इसके लिए सरकार से तत्काल कार्यवाही हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानकों के विपरीत योग्यता वाले तैनात प्रभारी के कथित घोटाले का भौतिक सत्यापन कराकर जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मदन चौहान-

अध्यक्ष महोदय, [गढ़मुक्तेश्वर में तैनात प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजेन्द्र सिंह योग्यता मात्र एम0बी0बी0एस0 है जो कि अपेक्षित नहीं है तथा कई वर्षों से जनता की भारी शिकायत रिश्वत लेकर दवाईयां देना, फर्जी खर्चा दिखाना, गर्भवती महिलाओं व प्रसव उपरान्त दिये जाने वाली धनराशि, आशा कार्यकत्री को दी जाने वाली धनराशि फर्जी है नियमित ड्यूटी पर आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की धनराशि लेकर फर्जी उपस्थिति आदि पर फर्जी भुगतान किये जा रहे हैं, जो लगातार कई वर्षों से अनवरत चल रहा है। मरीजों के साथ व्यवहार की शिकायत बराबर हो रही है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि शासन स्तर से भौतिक सत्यापन कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु ध्यान आकृषित करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 जुलाई, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 4 सूचनाएं प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह एवं श्री यशपाल सिंह जी की है इन्होंने जिस समय विधान सभा का सत्र चल रहा हो उस अवधि में जनपद स्तर पर कोई भी ऐसी बैठक न किये जाने के सम्बन्ध में जिसमें मा0 सदस्य की उपस्थिति आपेक्षित हो के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दूसरी सूचना श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री जोखू लाल यादव, श्री उदय राज, श्री दीपक कुमार, डा0 पी0 के0 राय, श्री धमेन्द्र कुमार कश्यप, श्री ब्रम्मा शंकर त्रिपाटी व अन्य की है, इन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-04-2002-क-2-2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तीसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद जी की है इन्होंने, जनपद आजमगढ़ के सदर क्षेत्र में पेय जल की समस्या का समाधान होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

चौथी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की है इन्होंने, उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 161 को संशोधन सहित सदन में पारित कराया गया था, को वर्तमान सरकार द्वारा वापस लिये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में सूचना दी है।

विधान सभा का सत्र चलते समय जिलाधिकारी हाथरस की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय बैठक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर से बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि जब सत्र चल रहा हो, जिला स्तर पर किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया जायेगा जिसमें मा0 सदस्यगण को वहां बुलाया जाना आवश्यक हो। मान्यवर, यह केवल परम्परा ही नहीं रही है बल्कि आपकी पीठ से बराबर इस बात के निर्देश भी हुए हैं और एक आध अधिकारी ने यदि धृष्टता की तो उसके खिलाफ कार्यवाई करने की चेतावनी भी दी गयी। लेकिन इसके बावजूद भी नियन्त्रण में मामला नहीं आ रहा हे। अभी हाथरस की सूचना है, सत्र चल रहा है और 13 तारीख की बैठक बुला ली गई। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, अगर इतना उपहास लोग करने पर लगे हुए हैं, वह इस बात का संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं, सबकी जानकारी में है, पत्र-पत्रिकाओं में भी आ रहा है, इसका नोटीफिकेशन भी होता है कि सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी मीटिंग लगायेंगे और बाकायदा नोटिस भेजेंगे माननीय सदस्यों को, मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सख्त कदम उठाये जायें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताकि बार-बार यह सदन में प्रश्न न उठे। मैं इस नोटिस की कापी भी आपके पास भेज रहा हूं। जिस प्रकार से मा0 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता है, यह भी परम्परा रही है कि जिलाधिकारी वाली किसी भी बैठक में मा0 सदस्य को नहीं जाना चाहिए न ही ऐसी मीटिंग आहूत करना चाहिए जिसमें जिलाधिकारी या अन्य किसी अधिकारी की अध्यक्षता हो। केवल शिष्टाचार के नाते ही नहीं, यहां की परम्परा के अनुरूप भी कह रहा हूं, यहां विधायकों को तो रहने दीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे राम वीर उपाध्याय जी, जो नोटिस आया है उसमें दूसरे विधायकों का नाम तो है ही, इसमें श्री रामवीर उपाध्याय, विधायक, हाथरस, इसमें कैबिनेट मिनस्टिर नहीं हैं, यहां पर शायद जिलाधिकारी को जानकारी नहीं है कि यह मंत्री हैं। कम से कम लिख देते कि मा0 मंत्री जी किसी प्रतिनिधि को भेज दें। उनसे भी अपेक्षा यह की गई है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली मीटिंग में मा0 रामवीर उपाध्याय, विधायक फलां क्षेत्र उपस्थित हों जिसकी अध्यक्षता माननीय जिलाधिकारी महोदय करें और वहां रामवीर जी जाकर बैठें। मान्यवर, यह क्या उपहास है, यह शिष्टाचार है क्या ? और मान्यवर, हस्ताक्षर देखें, जिला कल्याण अधिकारी, हाथरस। जिलाधिकारी ने अपने हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। मान्यवर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता होगी और विधायकों को बुलाया जायेगा, कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाया जायेगा और एक समाज कल्याण अधिकारी नोटिस भेजेगा। मान्यवर, माननीय सदस्यों का, मा0 विधायकों का अपमान किस हद तक होगा, हम जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर आये हैं और प्रोटोकाल है। शिष्टाचार के नाते बार-बार शासनादेश जारी हुए हैं, उसमें लिखा भी है कि कैसे सम्बोधित किया जायेगा। मैंने जैसा कहा, मैं बार-बार उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, अगर कैबिनेट के मंत्रियों की हालत यह होगी तो विधायकों की हालत क्या होगी ? यह मैंने आपके संज्ञान में डाल दिया जो आदेश आप देना चाहें दे दें।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह इसलिए हो रहा है कि प्रशासन की और प्रशासनिक अधिकारियों की अनभिज्ञता कितनी है कि उनको यह भी नहीं पता है कि उनके क्षेत्र का विधायक वरिष्ठ मंत्री बन गया है और शायद इसलिए उनकी जुर्रत हो रही है क्योंकि एक दिन अखबार में पढ़ा कि शायद कोई आदेश गया है कि डी0एम0 और एस0पी0 मंत्रियों के समक्ष उपस्थित होने कि लिए बाध्य नहीं है। इस तरह के आदेश की, सर्कुलर की क्या आवश्यकता है ? वह तो एक सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि चले जाते तो क्या उनकी इज्जत घट जाती ? यह शासन मंत्रियों की इज्जत बढ़ाना चाहता है या डी0 एम0 और एस0 पी0 का इज्जत बढ़ाना चाहता है ? जब शासन का दृष्टिकोण ही ऐसा होगा तो किसी मंत्री के सम्मान की भी रक्षा नहीं होगी और विधायक तो बहुत दूर है। अध्यक्ष जी, आप संरक्षक हैं इसलिये कम से कम इस सदन के सदस्यों और मंत्रियों के सम्मान की रक्षा कर लीजिए अपने सख्त निर्देश के द्वारा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय यशपाल सिंह जी।

* श्री यशपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं। माननीय हुकुम सिंह जी ने यह जो बात कही है यह कोई पहली बार नहीं है। मान्यवर, पिछले दिनों 7 तारीख को डी0आर0डी0ए0 की बैठक थी और उससे पहले आपकी पीठ से आदेश हुआ था कि जो नए विधायक हैं वह यहां प्रशिक्षण लेंगे, तो उस दिन भी बैठक रखी, तो वह नहीं हटाई गई। दूसरी बैठक 13 तारीख की जो रखी है तो मैंने खुद आग्रह किया था कि हमारा सदन चल रहा है, पीठ का आदेश है। तो बोले कि पीठ-वीठ कुछ नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी उस बैठक में थे। कितना उपहास है कि मंत्री के रहते अधिकारी नहीं आ सकते, तो मान्यवर, आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इसे गम्भीरता से लिया जाए और अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, ऐसे निर्देश पहले से हैं कि जिन समितियों में माननीय विधायकगण सदस्य हैं उनकी बैठक सदन के चलते न बुलाई जाये। जहां तक बैठक में डी0 एम0 की अध्यक्षता का सवाल है समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो पात्र व्यक्ति को शादी अनुदान या अन्य सुविधाएं देने का जो शासनादेश है उसके अन्तर्गत उसको स्वीकृत करने के लिए डी0 एम0 की अध्यक्षता में समिति बनी हैं उसमें माननीय विधायक अथवा उनका प्रतिनिधि जुड़ा हुआ है।

श्री यशपाल सिंह-

यह इसमें नहीं लिखा है।

श्री लालजी वर्मा-

जो समाज कल्याण विभाग का शासनादेश है उसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के शादी अनुदान स्वीकृत करने के लिए एक समिति है उसमें डी0एम0 अध्यक्ष होता है और माननीय विधायक या उनका प्रतिनिधि उसका सदस्य होता है, तो निश्चित रूप से उसके अनुसार उसकी कार्यवाही होती है लेकिन आज जबकि सदन चल रहा है तो उस बैठक को नहीं बुलाना चाहिए था। निश्चित रूप से आज उस बैठक को निरस्त करने का आदेश जारी कर देंगे और अगर किसी अधिकारी ने जानकर बैठक बुलाई है तो उसमें जांच के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न गम्भीर है। संसदीय कार्यमंत्री जी भी कभी इधर रहे तो कभी उधर हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं तो सख्त उत्तर की उम्मीद करता था कि उनको भी ठेस पहुंची होगी। इसमें कोई प्रतिनिधि की बात नहीं हैं एक शब्द भी नहीं है कि आपसे आग्रह किया जा रहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है या इसमें प्रतिनिधि भेज दें। उसमें लिखा है कि डी0एम0 अध्यक्षता करेंगे, सांसद, विधायक का भी नाम है और जिला समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर से यह जारी हुआ है, तो क्या डी0एम0 की अध्यक्षता में सांसद और विधायक बुलाये जा सकते हैं ? क्या समाज कल्याण विभाग के इस कार्य के लिए अलग व्यवस्था और अन्य समिति की बैठक के लिए अलग व्यवस्था होगी ? चोट इससे भी पहुंची है कि संसदीय कार्यमंत्री जी भी उसी के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं जिस सरकार में यह आदेश दिया गया है कि डी0एम0 और एस0पी0 मंत्रियों से मिलने के लिए बाध्य नहीं है। जिस सरकार में मंत्री के सम्मान की रक्षा नहीं है तो उसमें विधायकों के सम्मान की क्या रक्षा होगी। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से विपक्ष और यह सदन संतुष्ट नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह व्यवस्था आज की नहीं है बल्कि हमसे पहले आपके समय में उस अनुदान को स्वीकृत करने के लिए यही व्यवस्था थी और जो भी सरकारें रही हैं उसमें यही व्यवस्था रही है, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया हैं मैं दावे के साथ निश्चित रूप से विश्वासपूर्वक कह रहा हूं कि जो शासनादेश जारी हुआ था उसमें माननीय सदस्य अथवा उनके प्रतिनिधि जुड़ा हुआ है, तो अगर उस बैठक के एजेण्डे में इस बात को नहीं कहा है तो यह मैंने कहा है कि यह गम्भीर बात है, मैं इसे दिखवाता हूं। यह सदन चल रहा है अगर ऐसी स्थिति में बैठक बुलायी है तो यह गलत है। बैठक की कार्यवाही निरस्त भी करा दी जायेगी। यह भी कहा कि हम इसे दिखवा लेते हैं किन कारणों से यह स्थिति आयी है। लेकिन यह आज की व्यवस्था नहीं है। ओम प्रकाश जी हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य, बहुत दिनों तक मंत्री भी रहे हैं। उनके समय में भी व्यवस्था रही है और हम लोग कभी-कभी बैठकों में शामिल भी हुए हैं और कभी अपने प्रतिनिधियों को भेजने का काम किया है। तो यह आज की व्यवस्था नहीं है, यही मैं आग्रह कर रहा था। हां, पहले से ही यह निर्देश है कि सदन चल रहा हो तो ऐसी बैठक कदापि न की जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उनकी नोटिस थी इसलिए ग्राह्यता पर उन्होंने कह दिया। मैंने इसमें मा0 सदस्य को सुना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं उसकी ग्राह्यता पर नहीं बोल रहा हूं। यह सदन और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न हैं मैं मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसके पूर्व के शासनादेश हैं, उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि जिन बैठकों में मा0 मंत्रिगण उपस्थित रहेंगे उन बैठकों की अध्यक्षता किसी भी स्थिति में डी0एम0 नहीं करेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मा0 मंत्री जी बैठेंगे इसका निषेध पहले से है। यह कह रहे हैं कि आपके जमाने से ऐसा था वैसा था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसा था।

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर इसको उदधृत करेंगे तो ज्ञानार्जन होगा हमारा। अगर ऐसा है तो फिर शासनादेश को निरस्त करने की आवश्यकता होगी। यह कहा गया कि आपके जमाने में ऐसा हुआ है तो यह तो मोहल्लों में होता है। यह विधान सभा है। अगर कोई प्राविधान गलत था और आज इस सदन में लग रहा है कि यह अनुचित बात थी तो इसको समाप्त होना चाहिए। आप शासनादेश पढ़ लें, जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में मा0 मंत्रिपरिषद् के सदस्य कभी नहीं बैठेंगे इसके लिए शासनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर इसके प्रतिकूल कोई है तो उस उदधृत करें।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस तरह की बैठकें यदि सदन चल रहा है, तो नहीं बुलायी जायेंगी। समाज कल्याण मंत्री बैठे हैं, समाज कल्याण अधिकारी हाथरस जनपद के बड़े अनभिज्ञ लगते हैं, उन्होंने शासनादेश का संज्ञान नहीं लिया, परम्पराओं का संज्ञान नहीं लिया। अगर वह परम्पराओं का संज्ञान लेते तो निश्चित रूपसे एजेन्डे में उल्लेख करते कि मा0 विधायकगण उनके प्रतिनिधि आहूत बैठक में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। मा0 मंत्रियों का जहां तक भाग लेने का विषय यह है, यह बहुत ही स्पष्ट है कि चाहे वह डी0आर0डी0ए0 की बैठक हो या अन्य बैठक हो जिसमें विधायक के रूप में मा0 मंत्रीगण बुलाये जाते हैं तो उनके नामित प्रतिनिधि भाग लेंगे ऐसी संस्थाओं को छोड़कर जो आटोनोमस बाडी हो। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी सहमत हो, समाज कल्याण मंत्री जी से वह परामर्श कर लें, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध इस त्रुटि के लिए जिसमें उन्होंने मा0 मंत्री का भी अपमान किया और मा0 विधायक जी को जब सदन सत्र में है तब बैठक बुलाकर एजेन्डा भेजकर आमंत्रित करके परम्पराओं को भी तोड़ने का काम किया तो क्या ऐसे अधिकारी के दण्डित करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन में बराबर यह बात आती रही है कि जब भी सदन चल रहा हो तो कोई भी समिति में, जिसमें हमारे सदस्यगण हों, नहीं बुलाना चाहिए। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि सत्र के समय में बुला लिये हैं, यह बहुत गलत बात है। अगर इस प्रकार के निर्देश हैं तो उसका अनुपालन जो नहीं किये हैं, इसको कड़ाई से दिखवा लें और यह सुनिश्चित करायें कि यह हमारे निर्देश है, इसका कड़ाई से अनुपालन करना पड़ेगा। यह हमारा निर्देश है और सदन में हमारे सदस्य उपस्थित है इसके बाद भी यदि मीटिंग बुलायी जाती है तो उस पर कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिला एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, यह गम्भीर बात आयी सदन में। कदाचित यह पहले से निर्देश थे लेकिन जब से यह सरकार बनी है, जब से हम मंत्री बने हैं पहले भी हमने देखा था कि शादी, बीमारी या राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की जो योजनाएं चलती थी तो उसका लाभ सही लोगों को नहीं मिल पाता था। अभी मैंने एक समीक्षा बैठक की थी, तो उसमें तमाम जिलों से पैसा सरकार को वापस कर दिया था...

इसलिए नया शासनादेश हमने जारी कर दिया था कि प्रतिमाह अब बैठकें हुआ करेंगी और एक माह में जितनी एप्लीकेशन आयेंगी उनका निस्तारण हो जाया करेगा, जिससे पैसा सरकार को वापस न भेजा जा सके, समाज कल्याण अधिकारियों के द्वारा। तो नये शासनादेश के तहत हो सकता है कि प्रतिमाह की बैठक के हिसाब से ऐसी कार्यवाही की गई हो लेकिन पुराने शासनादेश का ख्याल रखा जाना चाहिए था। तो इसको दिखवा लेंगे। लेकिन यह भी बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए थी चूंकि सदन चल रहा था तो इसे या तो शनिवार, इतिवार को बुला लिया गया होता तो मान्यवर, इसमें त्रुटि हुई है, इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर यह निश्चित है कि अगर किसी बैठक में माननीय मंत्रीगण उपस्थित हो रहे हैं तो उसकी अध्यक्षता मंत्री जी करेंगे अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहां डी0एम0 को न करें, इसका परीक्षण करा लें और इसी व्यवस्था को जिसको संज्ञान में हमारे वरिष्ठ साथीगण लाये हैं इसके आधार पर सुनिश्चित करा लें अगर माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं तो उसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री जी करेंगे, जिसको संज्ञान में सदन में लाया गया है।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसका परीक्षण करा लें, अगर ऐसी व्यवस्था है तो यही सुनिश्चित किया जाय। मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसको मैं अग्राह्य करता हूं।

पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4-2002-क-2-2005 दिनांक 10-10-2005 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में हमने सवाल उठाया है। जो मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद-341 से सम्बन्धित है और आपके संज्ञान में भी है।

मान्यवर, नियम-300 में आता है। मान्यवर, अभी हाल ही में अखबारों में आया है कि वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या-4 1994 की धारा-13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिनियम को जिसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कश्यप, कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द भर, राजभर आदि जातियां पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में सुविधा देने के लिए व्यवस्था की थी, उसको इस सरकार ने निरस्त कर दिया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना में बसपा सरकार के इस समय वर्तमान में जो ओ0एस0डी0 हैं उन्होंने भी एक रिट याचिका इलाहाबाद में और माननीय लखनऊ खण्डपीठ में दायर की थी और मान्यवर, एक डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्रन्थालय जन कल्याण समिति ने भी एक मुकदमा दायर किया था इसके बारे में। मान्यवर, उसमें 20-12-05 को स्थगन आदेश भी था। स्थगन आदेश के बावजूद भी मान्यवर, ऐसी सुविधा को निरस्त किया जा रहा है। यह साबित होता है। मान्यवर, चूंकि संविधान में व्यवस्था है, अनुच्छेद-341 में, कि इन जातियों को जो जातियां सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक रूप से समाज में पिछड़े हैं उनको भारत सरकार अनुसूचित जाति में रख सकती है और इसके लिए मान्यवर, समय-समय पर यहां से सिफारिश केन्द्र गयी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 19 फरवरी, 2004 को मंत्रिमण्डल द्वारा विचार विमर्श करके मछुवा समुदाय की वंचित जाति, मल्लाह, केवट, निषाद, बाथम, तियर/तियार, चाई, खैराहा, तुरहा/तुरैहा, बिन्द, धीवर, धीमर, रायकवार, कहार, कश्यप, गोड़या तथा माझी आदि जातियों को मान्यवर अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिए 10 मार्च, 05 को एक संस्तुति भेजी गई थी। इस तरह से मान्यवर, राजभर समाज के लिए, प्रजापति समाज के लिए अलग-अलग 08 अप्रैल, 2004 को इन जातियों इथनोग्राफिक बृहद सर्वे/अध्ययन कराकर रिपोर्ट भेजी गई मान्यवर, हमें ज्ञात हुआ है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में जो संस्तुतियां भेजी गई थीं, उनको भी निरस्त कर दिया है। जबकि निदेशक अनुसूचित जाति, जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण लखनऊ द्वारा प्रदेश के तमाम जनपदों के गांवों में मछुआ समुदाय की उपरोक्त वंचित उपजातियों का इथनोग्राफिक सर्वे/अध्ययन कराया गया। मान्यवर, विस्तृत रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2004 को भारत सरकार के सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय को भेजा गया था मान्यवर, इस तरह से यह एक उन जातियों को जिनका कोई प्रदेश में अस्तित्व नहीं है, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब है प्रदेश में कोई आई0ए0एस0 नहीं है, अगर पूरे ब्लाक क्षेत्र में थाना क्षेत्र में देखा जाय तो एक सिपाही नहीं मिलता है। मान्यवर, और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि झुग्गी, झोपड़ी में रहते हैं, बाढ़ आती है, बार-बार बह जाते हैं, नदी, तालाब के किनारे रहते हैं ऐसी जातियां मान्यवर, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है संविधान में व्यवस्था है सर्वे करके एस0सी0 में रखा जाना चाहिए और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय अनुसूचित जाति की सुविधा देने के लिए आदेश किया था। मान्यवर, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई

मान्यवर, कि जो संस्तुतियाँ भेजी गई थीं उनको निरस्त कर दिया और उत्तर प्रदेश में यह नियम-1994 में धारा-13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अनुसूचित जाति की सुविधा देने का अधिकार दिया गया था।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 1994 में धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति की सुविधाओं का अधिकार उन्हें दिया गया। उस पर हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी शासन ने यह निरसन की कार्यवाही कर दी। मान्यवर, यह व्यवस्था है कि जब कोई मामला मा0 न्यायालय में लम्बित हो उसका निस्तारण नहीं किया जाना चाहिये। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में मामला लम्बित है इसके बावजूद भी इस सरकार ने उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया है जो 10 अक्टूबर, 2005 की है। मान्यवर, वर्तमान सरकार यह निषाद, राजभर, कश्यप, प्रजापति समाज की विरोधी है। मान्यवर, वैसे तो हमें याद है कि माननीया मुख्य मंत्री जी 26 सितम्बर, 95 को बांदा गयी थीं और उन्होंने वहां रैली में कहा था। हमीरपुर में 26 सितम्बर, 95 को रैली हुई थी और वह प्रजापति समाज की ओर से आयोजित की गयी थी और उन्होंने मुख्य मंत्री रहते हुए घोषणा की थी कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। फिर कौन सी दिक्कत अब आपके सामने आ गयी। मान्यवर, तब "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" का नारा दिया जाता था अब नारा दिया जाता है "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" का। मान्यवर, दूसरी तरफ इन जातियों को जो सुविधायें मिली थीं एक तो उसके ऊपर हाईकोर्ट का स्टे हो गया और स्टे के होने के बावजूद भी सरकार ने उस अधिसूचना का तुरन्त ही निरसन भी कर दिया है। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में इस समाज के लोग आन्दोलित हो रहे हैं और उनमें हीन भावना उत्पन्न हो रही है। यह सरकार वर्तमान लगातार हमारे हितों पर कुठाराघात कर रही है। इस स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इन जातियों के सम्बन्ध में जो सर्वे रिपोर्ट थी उस सर्वे रिपोर्ट को वहां पर पुनः भेजा जाय। यह 10 अक्टूबर, 1995 की अधिसूचना जो निरस्त कर दी गयी है उस अधिसूचना को सरकार द्वारा बहाल किया जाय। मान्यवर, यह समाज इतना कमजोर समाज है कि जब चुनाव होते हैं तो चाहे जो भी पार्टी हो वोट लेने के लिये उन्हें तमाम आश्वासन देती है कि हम यह करेंगे यह करेंगे। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी सत्ता में आये तो उन्होंने अपने वायदे को लागू कर दिया। उनकी कथनी और करनी में कहीं भी कोई अन्तर नहीं है। लेकिन जब अब बसपा की सरकार आ गयी तो जो उन्होंने सरकार में रहते हुए कहा था, उसको बजाय बनाये रखने के निरस्त करने का काम किया है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में समाज के इन वर्गों में जनाक्रोश है, लोग आन्दोलित हैं। इसमें मान्यवर, काफी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि ऐसे तमाम लोगों के प्रमाण-पत्र जारी हो गये थे। कुछ लोगों ने तो नौकरी के लिये अप्लाई भी कर दिया था आज उनके सामने दिक्कत पैदा हो गयी है। मान्यवर, इस सम्पूर्ण प्रकरण पर सदन में विचार कर लिया जाय क्योंकि यह संविधान से सम्बन्धित मामला है।

*नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है और आपको याद होगा कि बेगम हजरत महल पार्क में हम लोगों ने साथ-साथ इन मांगों को रखा था। आपका भाषण हुआ था हमारा भाषण हुआ था। हम लोगों ने इस समाज के लोगों के लिये संघर्ष किया है। वह आपकी जो मांग थी वह हमने पूरी की थी। अब इसमें आपकी क्या राय है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक नियम 300 का सवाल है माननीय सदस्य ने स्वयं ही अपने उद्बोधन में चर्चा की मांग की है। मान्यवर, 300 में चर्चा का प्रश्न नहीं उठता है। अतः यह नियमानुसार औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित नहीं है। लेकिन तत्कालीन सरकार ने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये एक अधिसूचना जारी कर दी थी। जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने उस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और जब माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को जो अधिकार प्राप्त है उसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अधीन अधिसूचना संख्या-2 सं0 4 (2002-का-2-2005), दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 को विखंडित करने का काम किया। मान्यवर, जहां तक इन वर्गों के हितों के संरक्षण की बात है उनको ध्यान में रखने के लिये यह सर्वविदित है और इसको आम जन भी मान रहे हैं।

चाहे वह राजभर समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो जो अति पिछड़ी जातियां रही हैं उनको प्रदेश में किसी ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया है। विधान सभा और लोक सभा में उनके प्रतिनिधित्व को पहुंचाने का कार्य किया है जो माननीय सदस्य खड़े हैं, तिन्दवारी से जो विधायक है, तिन्दवारी ऐसा क्षेत्र था जहां से इन जातियों का विधायक बनने की कोई कल्पना नहीं किया करता था लेकिन बहुजन समाज पार्टी की उस नीति के तहत जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने अति पिछड़ी जातियों का सत्ता में भागीदारी देने की नीयत से कार्य किया उसी का परिणाम है कि माननीय सदस्य को पहली बार इस विधान सभा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मान्यवर, निश्चित रूप से हमारी सरकार उक्त जातियों की हितैषी है और उनको पूरा सम्मान देते हुए उनको हिस्सेदारी देने का भी काम करती है और पहली बार उसी नीति के तहत इतनी बड़ी जो सबसे ऊंची कुर्सी है इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा में, इस कुर्सी पर भी उस समाज के लोगों को पहुंचाने का अवसर प्राप्त है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। अतः अनुरोध है कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है नियम 300 में औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया गया कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जो कार्यवाही पिछली सरकार में की गयी और उस कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है इस बीच सरकार ने उस अधिसूचना को निरस्त किया उनको सम्मान देने का प्रश्न नहीं है, अभी तो उस पर चर्चा होगी जो इन जातियों के साथ किया गया उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि जिसके लिए आपने स्वयं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस अवसर का स्मरण कराया और मुझे स्वयं स्मरण है कि मैं आपके कक्ष में जब आप मंत्री की भूमिका में थे जब विपक्ष में थे मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से आपके समक्ष उपस्थित हो करके राजभर समाज, निषाद प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जो लड़ाई है, प्रश्न उसका है। उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय लिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने और उस अधिसूचना को आपने निरस्त किया है और हितैषी भी बने रहना चाहते हैं, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना होगा, इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने में सरकार को कठिनाई क्या है ? क्या सरकार को यह कठिनाई है कि किसी एक जाति विशेष के अलावा बाकी जो उससे भी बदतर स्थिति में जीवन यापन करने वाली, उससे बदतर सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक स्थिति में रहने वाली दूसरी जातियां इस प्रदेश में है उनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जायेगा। क्या वह हक लूट लेंगे आपका किसी का, मान्यवर, यह प्रश्न नहीं इसलिए सरकार को दृष्टिगत स्पष्ट करना होगा इस सवाल पर कि अनुसूचित जाति में शामिल होने की अधिसूचना को वापस लेने का क्या कारण है ?

मान्यवर, एक दूसरी बात कहना चाहता हूं आपको इन्होंने सर्वोच्च पीठ पर बैठाया है हम इनको बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं किन्तु मान्यवर, उस जाति के सम्मान का प्रश्न नहीं था इनका दिवालियापन का प्रश्न था एक आपको छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति इनके पास नहीं था जिसको उस पीठ तक यह ले जा सकते थे। यह मजबूरी में आपका सम्मान किया है वरना इनके सम्मान की जो मंशा है वह तो जाहिर हो रही है। राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की लड़ाई विगत 15 वर्षों से तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मेरी जानकारी में है। बार-बार यहां से लेकर दिल्ली तक आपने लड़ने का काम किया और हर बार आप वहां जाकर डर जाते थे। मान्यवर, जब भी पार्टी में यह सवाल उठता था आप वहां नहीं कह पाते थे इन लोगों के सामने। आज इस सदन में वह स्थिति बदल गयी है आपकी उस आवाज को कोई नहीं दबा सकता आज आप पीठ से व्यवस्था दे दीजिए कि उन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर जो अधिसूचना सरकार ने निरस्त किया है उसको वापिस लेगी और पूर्व सरकार ने जो प्रस्ताव किया था उसको प्रेषित करेगी यह निर्देश दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

एक गलतबयानी, जो संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से की गयी, हम लोगों के साथ भी रहे। पता नहीं कब कहां से क्या बोला जा रहा है ? आपको याद है समाजवादियों ने इन जातियों को आगे बढ़ाया, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को दो-दो बार मुख्य मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया पता है आपको बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बनाया। यहां डा0 राम मनोहर लोहिया ने नन्द किशोर नाई को फिरोज गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, एक बाल्मीकि को ग्वालियर की महारानी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, इन जातियों को अगर किसी ने आत्मनिर्भर करने का, आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया तो समाजवादियों ने किया। इसलिये ऐसा मत कहिये। बताओ कर्पूरी ठाकुर अब पैदा कर लोगे आप ? हम लोग तो अब भी कर लेंगे। कर्पूरी ठाकुर जैसा देश का नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 राम मनोहर लोहिया जैसे लोग उनकी अध्यक्षता में थे, इसलिये आप ऐसा गलतबयानी मत करिये। अगर यूं चर्चा करोगे तो कहीं नहीं आप चर्चा में टिकोगे। यह समाजवादियों ने इन जातियों के लिये किया है और कब निषाद हो चुके हैं पार्लियामेन्ट में और यहां पर एक भी पाल कभी नहीं हो सकता था, 1977 में पहली बार पाल को एम0एल0सी0 प्रतापगढ़ से भेजा था, इससे पहले कभी नहीं हो सकता था। यह ऐसी बात कहने लगे कि जैसे जो चाहो, कह दो चौराहे पर जाकर। हमने प्रजापति को बनाया, चौरसिया को मंत्री हमने बनाया, प्रजापति को हमने एम0एल0सी0 का दर्जा दिया, विश्वकर्मा को आप कहीं कर पाये हों, विश्वकर्मा को हमने मिनिस्टर बनाया, यह जो कुछ किया है, यह समाजवादियों और डा0 राम मनोहर लोहिया ने किया है, अध्यक्ष महोदय उस समय आप इसी में थे लेकिन आप समझाइये कि इस तरह से गलतबयानी न किया करें, जब हम बैठे हों।

(श्री दद्दू प्रसाद के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय दद्दू प्रसाद जी, आप बैठिये, संसदीय कार्य मंत्री जी आप भी बैठ जाइये।

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह सही है कि एक बार हम लोगों ने एक सम्मेलन किया था बेगम हजरत महल पार्क में, अच्छी भीड़ भी जुटी थी उस समय भी माननीय नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री रहे और मांग भी थी जिसके सापेक्ष आप हमारे समाज के बारे में भारत सरकार को एक पत्र भेजे थे, एक प्रस्ताव आप भेजे थे भारत सरकार को कि मैं अपनी तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से सिफारिश करता हूं कि अनुसूचित जाति में इसको शामिल किया जाय, यह पत्र आपका गया था और इस तरह से तीन पत्र हम लोगों ने सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में, हर सरकारों ने इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिये इसलिये प्रस्ताव भेजा था कि हम लोगों के क्षेत्राधिकार में नहीं है इसलिये मैं भारत सरकार को संदर्भित करता हूं। जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी भारत सरकार को भेजा था और उसका हम लोगों ने स्वागत भी किया था कि ठीक चलिये हमारी

सिफारिश तो कर दिये भारत सरकार से और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में यह तीन प्रस्ताव लगभग अब तक गये थे इसलिये कि यह प्रदेश की परिधि में नहीं है इसलिये भारत सरकार को सन्दर्भित किये गये थे। उस समय भी नेता प्रतिपक्ष जी आपने भारत सरकार को सन्दर्भित किया था कि यह भारत सरकार का मसला है इसको भारत सरकार देखे। इसके लिये तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप पत्र को भेजे थे। जहां तक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी एक हाईकोर्ट का निर्देश का मामला है तो इसको देख लें कि अगर इस तरह का हाईकोर्ट का कोई मसला इस मसले पर न हो जो भारत सरकार को ही सन्दर्भित किया गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते थे ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक संविधान में 341 है अनुसूचित जातियों का, संसद, विधि द्वारा किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी। मान्यवर, इसमें पूरा अधिकार केन्द्र सरकार को है, भारत सरकार को है, संसद को है। तो मान्यवर, जब भारत सरकार को यह है तो निश्चित रूप से यह अधिसूचना जो जारी की गयी थी यह अधिसूचना प्रदेश सरकार को यह अधिकार ही नहीं है।

उसका परिणाम यह हुआ कि उन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सूचना जारी कर दी गयी, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी और माननीय उच्च न्यायालय के रोक लगाने के बाद कुछ दिनों तक वह लोग ऐसी स्थिति में रहे कि उन लोगों को दोनों जातियों से वंचित होना पड़ा था। यह ठीक है कि बाद में उन्हें पिछड़ी जातियों में सम्मिलित करने का शासनादेश जारी किया गया ताकि उन्हें पिछड़ी जाति से वंचित न होना पड़े। मैं यह नहीं कहता कि शासनादेश नहीं जारी किया गया लेकिन कुछ दिनों तक उन्हें दोनों जातियों से वंचित होना पड़ा। जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी ने यहां लड़ाया वहां लड़ाया, मान्यवर, लड़ाने का तो बहुत से लोग लड़ाते रहे। कर्पूरी ठाकुर का एक अलग उदाहरण है, इसके अलावा मान्यवर, विधान सभा और लोक सभा पहुंचाने का जहां तक सवाल है तो निषाद समाज तो कुछ गया था लेकिन प्रजापति समाज, राजभर समाज और तमाम अन्य ऐसी जातियां हैं जिनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया था। बहुजन समाज पार्टी ने केवल लड़ाया ही नहीं बल्कि उनको पहुंचाने का भी काम किया। लड़ाये कहां मान्यवर, ऐसी जगहों पर लड़ाये ग्वालियर के खिलाफ जहां का परिणाम पहले से मालूम था तो निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर लड़ाने के लिए बहुत से लोगों ने बलि का बकरा बनाने का काम किया। यही तो दुर्भाग्य रहा कि हम सब लोगों को बलि का बकरा बनाते रहे लेकिन जब देने की बारी आती थी तो देने का काम नहीं किया जाता था और यह अवसर पहली बार अगर मिला है तो बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में हिस्सेदारी के तहत उनको अवसर देने का काम किया है। मान्यवर, निश्चित तौर पर मैं दोहराना चाहता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं है और औचित्य के प्रश्न के माध्यम से चर्चा नहीं हो

सकती। आप अन्य नियमों में लायें तो विस्तार से चर्चा कराने का अवसर मिलेगा। उसमें चर्चा करें, मेरी सिर्फ आपत्ति यह है कि नियम-300 के अन्तर्गत यह निश्चित तौर पर नहीं आता है, नियमावली आपके सामने है, आप एक-एक बिन्दु पढ़ लें, इसलिए इसमें चर्चा नहीं हो सकती है। मैं उसको पढ़कर दोहराना नहीं चाहता यही मेरा आग्रह है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने दो सवाल कर दिये, कोई भी ऐसा बिन्दु नहीं रह गया था केवल वही बिन्दु रह गया है जो आपने उठा दिये हैं। मान्यवर, एक तो भारत सरकार को जितने भी प्रस्ताव गये अभी तक भारत सरकार ने उसे अस्वीकार नहीं किया है। राज्य गृह मंत्री का बयान मैंने पढ़ा था कि हम विचार कर रहे हैं। दूसरा बिन्दु जो आपने न्यायालय का सवाल उठाया सही है न्यायालय में मामला चल रहा है और न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने भी इसे अभी निरस्त नहीं किया है तो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर भी कि इसे देख लीजिए। अध्यक्ष जी, आपने पूरा इशारा कर दिया और उसके बाद भी गलतबयानी कर रहे हैं। ऐसी गलतबयानी डा0 लोहिया के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जिनके पैरों की धूल नहीं है। ऐसे लोग ऐसी बात कर रहे हैं मैं इस सदन में बहिष्कार करता हूं।

(नेता विरोधी दल ने कुछ क्षण के लिये सदन का अपने दल सहित बहिष्कार किया।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं। श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, उपस्थित नहीं है।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हम उपस्थित हैं। मान्यवर, बहिष्कार करके आ गये।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने एक शब्द कहा कि बहिष्कार करके आ गये। सदन से बाहर जाते हुए तो किसी ने नहीं देखा, इसका मतलब सदन का बहिष्कार तो नहीं किया, उनका बहिष्कार करके आ गये हों तो ठीक है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो सदन में पारित हुआ था के वर्तमान सरकार द्वारा वापस किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था करते हैं, इस मारे ऐसे प्रश्न उठाते हैं। एक सवाल था माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहिष्कार किया तो हम भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके साथ थे, उसके बाद हम औचित्य के प्रश्न के लिए वापस आ गये। औचित्य का प्रश्न तो उठा है उसको मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से संवैधानिक प्रश्न रखना चाहता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गयी। अनुच्छेद 243 के 'ख' में लिखा गया कि 'प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबन्धों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जायेगा।' श्रीमन्, यह संवैधानिक प्राविधान था और उसी प्राविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारों से कहा कि वह अपने-अपने यहां लोकल एक्ट क्षेत्र समिति का बना लें और इस सदन ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को इस प्रदेश का लोकल एक्ट बनाया। चूंकि संविधान के अन्तर्गत यह एक्ट बना था। तो यह कह देना कि यह खाली लोकल एक्ट के रूप में कार्य करेगा जिसमें संवैधानिक बाध्यता नहीं है तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा। श्रीमन् एक्ट में प्राविधान किया गया है कि हर पंचायत मे एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और हटाने का भी प्राविधान किया गया है कि क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जो जिला परिषद् एक्ट की धारा-15 के अन्तर्गत कैसे हटाया जायेगा ? जिला पंचायत और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाने का काम धारा 28 में भी दिया गया है। श्रीमन् इसमें बहुत स्पष्ट है, अगर आप देखें धारा 15 व 28 में बहुत साफ दिया हुआ है कि अगर किसी को भी हटाना है तो दो साल के समय से पहले अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लायेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लायेंगे तो सदन में मौजूद संख्या के 50 प्रतिशत सदस्यों की अनिवार्यता है हस्ताक्षर करने की और जब दो तिहाई बहुमत से पास होगा तो पास माना जायेगा। इस सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि दो वर्ष की जगह कार्यकाल एक वर्ष कर दिया जाए अविश्वास प्रस्ताव लाने का और दो तिहाई बहुमत से जो पास होगा उसके लिए इन्होंने कह दिया कि 50 प्रतिशत से एक वोट ज्यादा के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव आयेगा। वैसे भी दो वर्ष होने में कोई ज्यादा समय नहीं रह गया है। 3-4 महीने का समय रह गया हैं यह लाने की नीयत पर संदेह हो गया है, यह लग रहा है कि बदले की भावना से यह लाया गया हैं वैसे भी अगर इस एक्ट में कोई परिवर्तन करना था तो महामहिम राष्ट्रपति से परमीशन लेनी चाहिए थी। मुझे याद है कि सी0आर0पी0सी0 में 438 एण्टीसेपेटरी वेल का जो प्राविजन था जब इस राज्य में प्रतिबन्धित किया गया तो राज्य ने प्रतिबन्धित करने से पहले महामहिम राष्ट्रपति के पास लिखकर भेजा कि इस पर मुझे अनुमति दी जाए और उस अनुमति के बाद ही उत्तर प्रदेश में सी0आर0पी0सी0 की धारा 438 प्रतिबन्धित की गयी। आज देश में ऐसा नहीं कि हर राज्य में है, बहुत से राज्यों में धारा 438 का प्रविधान है लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष प्राविजन जब किया तो महामहिम राष्ट्रपति से इस बारे में परमीशन ली कि यह कांस्टीट्यूशनल है। हम तो यह कहेंगे कि आप कोई अमेण्डमेंड करना चाहते थे तो अमेण्डमेंड कांस्टीट्यूशनल होगा और कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेंड की पावर राज्य सरकार को नहीं है। कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेंड की पावर केन्द्र को है और भारत की पार्लियामेण्ट संविधान में संशोधन करेगी। पंचायतों को मजबूत करने के लिए संविधान में 73वां संशोधन लाया गया। तत्कालीन कांग्रेस 73वां संशोधन लाये और इस संशोधन के माध्यम से पंचायत और मजबूत हुये। लेकिन इस सरकार ने उनको मजबूती की जगह अस्थिर करने का

निर्णय ले लिया। वैसे भी कोई भी निर्णय, कोई भी अमेण्डमेंड करेंगे तो यह कानूनी रूप से प्राविधान है कि किसी भी परिवर्तन का असर प्रास्पेक्टिव होगा रिट्रास्पेक्टिव नहीं होगा यानि की आज आप जो अमेण्डमेंड करेंगे वह भविष्य के लिए लागू होगा। लेकिन मौजूदा व्यवस्था पर वह परिवर्तन नहीं लागू होगा। श्रीमनु, इसमें तमाम केसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हाईकोर्ट की रूलिंग है और सरकार अगर उसको देखना चाहे तो मैं तो कहता हूं सरकार से कि इस पर राय भी ले लें। लेकिन कोई बिना राय लिए इस सरकार ने जो संशोधन किया है कैबिनेट में जिसे पास किया है थोड़े दिन बाद सदन में भी लायेंगे कानून के माध्यम से लागू करने के लिए यह बिल्कुल असंवैधानिक और संविधान के विरुद्ध होगा इनको अगर कोई अमेन्डमेंट करना है तो वह अमेन्डमेंट के लिए भारत सरकार से परमीशन लेनी होगी। संसदीय कार्यमंत्री जी कह देंगे कि यह लोकल एक्ट है जिसके लिए कान्स्टीट्यूशन में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है राज्य सरकार कानून बनाए या बदल सकती है तमाम ऐसे लोकल एक्ट हैं पुलिस एक्ट हैं उनका परिवर्तन करते रहे हैं राज्य सरकार परिवर्तित करती रही है लेकिन जिसमें संवैधानिक बाध्यता है उसमें इस तरह का अमेन्डमेंट करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है वह करेंगे भी तो उसका असर भविष्य के लिए होगा मौजूद व्यवस्था पर नहीं होगा। एक संवैधानिक प्रश्न है इस संवैधानिक प्रश्न पर संसदीय कार्यमंत्री जी मैं चाहता हूं कि नियमावली का नियम 300 पढ़कर न सुनाएं यह तो हम रोज पढ़ते रहते हैं। मैंने जिस संवैधानिक प्रश्न को उठाया है और जिन चीजों को मैंने उठाया है उस पर स्पष्ट जवाब दें जिससे सदन के सामने सारी बातें आ सकें कि इस संवैधानिक प्रश्न पर राज्य सरकार का अधिकार है कि नहीं। मेरा यही औचित्य का प्रश्न है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कोई भी पंचायत या सदन जनाकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था से किसी व्यक्ति के लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को समाप्त करने का काम करती है वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार उचित नहीं होगा। मान्यवर, बहुमत के आधार पर सरकार चुनी जाती है। बहुमत के आधार पर सरकार चुनी जाती है। बहुमत के आधार पर सरकारें चला करती हैं। सदन में भी बहुमत के आधार पर कार्य होता है। अगर हम किसी सदन को यह अधिकार दे दें कि दो तिहाई सदस्य ही सदन के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकेंगे तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। जहां तक संवैधानिक प्रश्न की चर्चा नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने कही मुझे लगता है उन्होंने स्वयं पढ़ा होगा संविधान के अनुच्छे 243-ग को आप देखें। पंचायतों की संरचना :- इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबन्ध कर सकेगा। इसी नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम को हमने पास किया जिसमें 73वें संविधान संशोधन को हमने स्वीकार किया और जब 1994 में इस अधिनियम को हमने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में स्वीकार किया था उस समय भी इसमें बहुमत के आधार पर ही अध्यक्ष और प्रमुख को हटाये जाने की व्यवस्था थी। आधे से अधिक की व्यवस्था थी और उस समय भी हमने यह व्यवस्था की थी कि चुनाव के एक वर्ष बाद वह हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर। मान्यवर, यह अधिनियम भी

सदन में पास होगा उस समय चर्चा का अवसर मिलेगा उसमें आपका सुझाव आयेगा में तो समझूंगा कि आप स्वागत करेंगे। इसमें संविधान संशोधन कहीं नहीं हो रहा है न तो संवधिान में संशोधन करने का हमको अधिकार है। संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है भारत की लोक सभा और राज्य सभा संविधान में संशोधन करती है और कुछ संविधान संशोधनों को राज्य विधान सभाओं में भी पारित कराना होता है। हम संविधान संशोधन नहीं करने जा रहे हैं हम अपने ही अधिनियम को जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की समय सीमा दो साल कर दी गई थी। उसको हम घटाकर जो पहले 1994 की व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के तहत हम उसको लाने का काम कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने अपनी नोटिस में उपाध्यक्ष का जिक्र किया है और प्रमुख का जिक्र किया है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें उपाध्यक्ष और प्रमुख की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें 'चेयर परसन' शब्द है और उसी के अनुसार अध्यक्ष का ही है और उसमें हम कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। इस सदन को ही अधिनियम में कोई संशोधन करने का अधिकार है जहां तक मैंने समझा है और मैंने देखा है, या व्यवहार में अब तक देखता रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह कोई बिल नहीं है मान्यवर, जो इस पर इस तरह से चर्चा हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

बिल अभी तो है नहीं। यह काल्पनिक आधार पर इन्होंने सवाल उठाया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार किया है, यह काल्पनिक नहीं रह गया है। आपने स्वीकार कर लिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जिस तरह से यहां पर चर्चा हो रही है यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। उस मूल बिन्दु पर चर्चा हो रही है जो शासन विधेयक के रूप में लाने वाला है। यह ऐसे निकल गया तो हम लोग भी इसमें भाग लेने के लिये अधिकृत है।

श्री अध्यक्ष-

जब विधेयक आयेगा तो उस पर चर्चा कर लीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा-

यह तो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया तो उसके बारे में मैंने विचार रखा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, चर्चा हो रही है तो हम लोगों को भी भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। हम इससे सहमत नहीं मान्यवर, यह सरकार उपाध्यक्षों और नगर प्रमुखों के खिलाफ योजना बना रही हैं भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध करती है, इसको अलोकतांत्रिक मानती है और शासन की साजिश मानती है प्रशासक बैठाने की। इनको अपदस्थ करके जिससे कोई दूसरा न रह

जाय प्रशासक बैठा देना चाहती है। यह इनकी बदनीयत है मान्यवर,इसलिये हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह चर्चा नहीं हो रही है। यह तो नियम-300 में औचित्य की एक सूचना है। मैं तो इसको इसी रूप में लेना चाहता था कि यह 300 में नहीं आती लेकिन नरेश चन्द्र अग्रवाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं यह इसके बारे में पहले न पढ़ दें इसलिये में इस पर चला आया। अन्यथा मुझे वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक इसके औचित्य का प्रश्न है, यह नियम-300 में नहीं आती। नियम-300 में इस आधार पर तो वह निश्चित रूप से नहीं आयेगा। इस सम्बन्ध में सदन में विधेयक आयेगा तो निश्चित रूप से उस पर विस्तृत चर्चा होगी और आप सबको भाग लेने का अवसर मिलेगा। हम अपने पक्ष और विपक्ष की ओर से इस पर जो भी सुझाव आयेंगे उसको सुनेंगे और समझेंगे। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है यह 300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि किसी विधेयक के ऊपर जो इस सदन में प्रस्तुत नहीं हुआ, उसके क्या कन्टेन्ट्स हैं, उसके क्या तथ्य हैं यह सदन में कोई मंत्री बता सकता है ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो व्याख्यान दे रहे थे उसमें तो उन्होंने पूरे विधेयक की जो कभी आने वाला है उसकी सारी गोपनीयता भंग कर दी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिया था उसी के सापेक्ष कह रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

जो माननीय सदस्य ने नोटिस दिया था उसी के आधार पर उत्तर दिया है।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप किनके सापेक्ष खड़े हो गये तिवारी जी ?

श्री प्रमोद तिवारी-

यह तो मान्यवर, ऐसा है कि शादी का कार्ड जब छपे तो उसमें होने वाले बच्चे का भी नाम डाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अगर हो ऐसा तो बता दें अनुभव के आधार पर।

श्री प्रमोद तिवारी-

तो मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि जब विधेयक आयेगा तो उस पर चर्चा करा लीजियेगा। इसके बाद वाला बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको ले लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

संविधान में प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री का प्राविधान है उप प्रधानमंत्री और उप मुख्य मंत्री का प्राविधान नहीं है लेकिन क्या वह हुआ कि नहीं हुआ। इनका यह कहना है कि जब चाहे बदल सकते हैं मान्यवर, ऐसा नहीं है क्योंकि संविधान के अन्तर्गत यह कानून बना है। इसलिए इसको बदलने का अधिकार इनको नहीं है। अगर बदलेंगे भी तो प्रॉसपैक्टिव असर उसका हो सकता है रैसपॉस्पैक्टिव असर उसका नहीं हो सकता है। भविष्य में असर होगा। ऐसा नहीं होगा कि पिछला असर होगा। ऐसा अधिकार कहीं नहीं है, बाइ लॉ नहीं है। लोग कोर्ट में जायेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं जायेंगे। मैं इस चीज को स्पष्ट कराना चाहता हूं सरकार की नीयत में खोट है बदले की भावना से कार्यवाही बिल्कुल क्लीयर दिखाई दे रही है।

श्री अध्यक्ष-

जब विधेयक आयेगा तब कहें। आप थोड़ा अन्तर्रात्मा से कहें। वह भी अन्तर्रात्मा से कहें।

श्री लालजी टण्डन-

सरकार बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। न कर रही है न करेगी। सरकार जन आकांक्षाओं के अनुकूल ही कार्यवाही करेगी। बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी, आपका बहुत बौद्धिक विचार आ गया। मैंने अग्रवाल जी को सुना संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसको अग्राह्य करता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित भारत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या-41, दिनांक 19 मार्च, 2007 †

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित भारत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या-41, दिनांक 19 मार्च, 2007 को परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा-10(3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जून, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जून, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 05 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का नौवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 02 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 05 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6, 7, 8, 9 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 24-7-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नियम-311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अगर मान्यवर, आप देख लें तो आज 311 की सूचना सबसे पहले कार्यालय पर हमारे द्वारा रिसीव कराई गई। मेरा अनुरोध है कि पहले इसको सुन लें। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक निर्दोष लड़के को पुलिस पार्टी के द्वारा एक निरपराध व्यक्ति को नौजवान व्यक्ति को मारा गया। जब से यह सरकार आई है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, आपको मैंने कहा है। प्रमोद तिवारी जी ने भी नियम-56 में दिया है। मैंने आपकी 311 की सूचना को 56 में परिवर्तित कर दिया है। मैंने ग्राह्यता के आधार पर लिया है।

आज दिनांक 10 जुलाई, 2007 को नियम 311 में प्राप्त 4 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

आपकी जो सूचना आई है, उसी सूचना पर प्रमोद जी का भी हस्ताक्षर है, दूसरी सूचना पर भी आपका हस्ताक्षर है। मैंने उसको ध्यान में लिया है। पहली सूचना पर श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री सलिल विश्नोई, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल और श्रीमती सीमा द्विवेदी के हस्ताक्षर है। इसी विषय पर 311 में जो 4 सूचनायें प्राप्त हुई थी उनको 56 में परिवर्तित किया गया है और सबको सुनने के लिए मैंने कहा है। पहले इस सूचना को सुन लें, उसके बाद आपकी सुन लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है। मान्यवर।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनके तो डबल सिगनेचर हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है, उसमें इन लोगों के हस्ताक्षर थे और दूसरी जो घटना घटी है, उसमें भी हस्ताक्षर थे। पहले जो पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सूचना है, उस पर बोलने के लिए कह रहे हैं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, समाज में इस समय जो सबसे चिन्ता का तात्कालिक विषय है, वह माध्यमिक विद्यालय की पुस्तकों में एड्स के नाम पर यौन शिक्षा के पाठ्यक्रम जो सम्मिलित किए गए हैं, वह अत्यन्त गम्भीर है, तात्कालिक भी है, और अत्यधिक लोक महत्व का भी है। मान्यवर, इन पुस्तकों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में एड्स के बारे में, उसे रोकने के बारे में प्रशिक्षित करने की जगह पर पूरी तरह से यौन शिक्षा का पाठ्यक्रम जोड़ दिया गया है। मान्यवर, समाज का परिवार चलाने की कुछ मर्यादाएं होती है, परम्पराएं होती हैं, शालीनता की परिभाषा होती है, अश्लीलता की परिभाषा होती है। हर राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है। एड्स के नाम पर यौन शिक्षा का विषय यह पाश्चात्य देशों के लिए होगा जहां अश्लीलता और शालीनता की परिभाषा भारतीय संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है। हालैण्ड में सेक्स भी फ्री है और मादक पदार्थ लेना भी फ्री है, वहां कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम उसे भी स्वीकार कर लें। यह विषय निश्चित रूप से शिक्षा को भी कलंकित करने वाला है।

मान्यवर, सदियों से सम्बन्धों की जो पारिवारिक मर्यादाएं हैं, सम्बन्धों की जो पवित्रता है उसको तोड़ने वाला, अपवित्र करने वाला है और भारत की पहचान, भारत के अस्तित्व को खण्डित और कलंकित करने वाला है। मान्यवर, किसी भी राष्ट्र की पहचान अपनी संस्कृति से होती है, परम्पराओं से होती है। मान्यवर, यौन शिक्षा का विषय एड्स की सुरक्षा, प्रशिक्षण के नाम पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, यह किसी भी तरह से सामाजिक हित में नहीं है। एड्स रुकना चाहिए, उसके बारे में प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। टेलीविजन पर, रेडियो पर उसके प्रचार चल रहे हैं और जो लोग इसके पक्षधर है और जो लोग यह कहते हैं कि यह आधुनिक युग है, खुला समाज है, तो वह क्या इस पुराने सांस्कृतिक राष्ट्र जिसने ज्ञान के मामले में दुनिया के गुरू होने का स्थान प्राप्त किया हो जो आर्थिक सम्पन्नता के मामले में सोने की चिड़िया कहा जाता था, इधर एक हजार साल पहले के वर्षों में जो ज्ञान के क्षेत्र में पढ़ा था जिसमें मर्यादाएं थीं, वह लोग बेवकूफ थे क्या और आज के नए पढ़े-लिखे लोग जिन्हें मूर्ख कह सकते हैं। जिन्हें न संस्कृति का ज्ञान है न परम्पराओं का ज्ञान है, न जीवनपद्धति का ज्ञान है, न सम्बन्धों की मर्यादाओं का ज्ञान है। मान्यवर, इस देश में ऐसा भी समाज रहता है जो लड़के और लड़की के एक साथ पढ़ने का भी पक्षधर नहीं है। मान्यवर, किसी समाज को यह स्वीकार्य नहीं है। इसलिए यह अत्यन्त लोकमहत्व का विषय है, अविलम्बनीय है इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित करके इसे सुनना जरूरी है। मान्यवर, दूसरी बात जो समाचार मिला कि कैसे यह पाठ्यक्रम में आ गया, इसकी जानकारी नहीं है। कौन जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह कैसी सरकार है जिसमें अधिकारी भी स्वछन्द है और निजी प्रकाशक भी स्वछन्द है और इतने स्वछन्द है कि मुझे लगता है कि कल ब्लू फिल्म भी एड्स शिक्षा के नाम पर विद्यालयों में चलाने लगेंगे और कहेंगे कि यह भी उसी का पार्ट है। समाज को इतना विकृत करने वाला, नौजवानों को विकृत करने वाला भोगवृत्ति को बढ़ाने वाला पाठ्यक्रम एड्स के नाम पर जोड़ दिया गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पता नहीं। कौन अधिकारी जिम्मेदार है, पता नहीं। कौन प्रकाशक जिम्मेदार है, पता नहीं। मान्यवर, अध्यापकों में रोष है, अभिभावकों में रोष है, छात्रों में रोष है और इस पूरे सदन में भी रोष है। मैं समझता हूं कि सत्तापक्ष के लोगों के कान किसी मर्यादा के कारण न खुलें लेकिन किसी का भी शालीन परिवार इस तरह की खुली यौन शिक्षा का पक्षधर नहीं होगा।

कौन अधिकारी है, किसने यह किया, यह विषय पिछले कुछ सप्ताह से चर्चा में है। अगर शासन संवेदनशील है, गम्भीर है तो आज उसे यह भी बताना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? कैसे यह विषय पाठ्य पुस्तकों में आया है ? अगर नहीं बताते तो मैं समझूंगा कि यह शासन द्वारा जानबूझकर विदेशी कम्पनियों के दबाव में हमारे यहां की शिक्षा में ढिलाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बाजार ढूंढने के नाम पर हमारे समाज को विकृत किया जाएगा, नौजवानों को चरित्रहीन बनाया जाएगा, सदियों की इस राष्ट्र की संस्कृति और पारिवारिक मर्यादाएं छिन्न-भिन्न की जायेंगी। केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम पर हिन्दुस्तान में ऐसा किया जाएगा। इसलिए इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय ओम प्रकाश जी ने बड़ा ही गम्भीर प्रश्न उठाया है और सचमुच यह प्रश्न ऐसा है जो हमारे पूरे समाज की संरचना है, परम्परा है, सभ्यता है, उसमें शर्म है और उस शर्म को तोड़ने का यह एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है। यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान इस मारे एक है कि यहां पर सामाजिक सभ्यता जिन्दा है और इसी के कारण विदेशी इसे तोड़ने में सफल नहीं हो पाये हैं। अगर इसे लागू कर दिया तो गम्भीर प्रश्न खड़ा हो जायेगा। ऐसे-ऐसे विषय, ऐसी-ऐसी भाषा इस्तेमाल की गयी है, जिसे नोटिस में नहीं ला सकते हैं, मुंह से नहीं बोल सकते हैं किसी से कह नहीं सकते हैं, इसकी सामूहिक चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं रोज समाचार-पत्र में पढ़ रहा था माध्यमिक शिक्षा परिषद् कह रही है कि मुझे पता नहीं, निदेशक महोदय कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, जबकि श्रीमन्, इसके लिए जो समिति गठित की गयी है, आज ही अखबार में दिया गया है, विषय समिति और पाठ्यक्रम समिति, इन दोनों समिति में जो सदस्य बनाये गये थे उसमें कोई विशेषज्ञ नहीं रखे गये थे। समिति ने रिपोर्ट सौंप दी, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने इसको स्वीकृत कर दिया, आपने आदेश जारी कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अखबार का कोई संज्ञान नहीं लेते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हम अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो यह हाथ में क्यों लिया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इतना तो प्रतिबन्ध नहीं है। तमाम समाचार-पत्रों में यह चीज आयी लेकिन श्रीमन्, उसको माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अपने आदेश से जारी कर दिया। जो पब्लिसर्स थे उन्हें खुली छूट दे दिया कि आप जो चाहें लिख दें इस पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् को कोई रोक नहीं है। श्रीमन्, जो किताब के पन्ने हैं, हम उसका विवरण नहीं देंगे क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि मर्यादाएं टूटे, लेकिन बहुत ही गम्भीर विषय है और ऐसे प्रश्नों को अगर एड्स के माध्यम से उठाया गया, आज टी0वी0 में अनेक विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े-बड़े फिल्मी कलाकार आ रहे हैं, वह अलग की चीज है, लेकिन एड्स के नाम पर यौन शिक्षा प्रसारित की जायेगी, यूरोप का कल्चर यहां पर ला दिया जायेगा, अमेरिका का कल्चर यहां पर लागू कर दिया जायेगा तो समाज की क्या व्यवस्था हो जायेगी। मैं तो सरकार से कहूंगा कि बड़ा ही महत्व का प्रश्न है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसे गम्भीरता से जरूर लीजियेगा और गम्भीरता से लेने के बाद आप निर्णायक घोषणा करियेगा। ऐसा नहीं कि आप कह दें कि हम दिखवा रहे हैं, विचार कर रहे हैं। चूंकि किताब मार्केट में आ गयी है, आज उपलब्ध किताब है, आपने उसे नहीं रोका और बच्चों में वितरित कर दी गयी तो एक व्यवस्था खराब खड़ी हो जायेगी। इसमें चाहे अभिभावक हों, शिक्षक हों, धर्मगुरू हों, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सब खुलकर इसमें विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, आपने इसे नियम-56 में परिवर्तित कर दिया लेकिन यह विषय नियम-311 का था, इसमें आप सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायें और जो दोषी हैं उन्हें दण्डित करवायें। यह लोक महत्व का प्रश्न है इस पर मैं चर्चा की मांग करता हूं।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, लोक महत्व के प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो भारत की परम्परा रही है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवनकाल को चार भागों में बांटा गया है और जिस काल में व्यक्ति एक राष्ट्रीय सजग इकाई के रूप में विकसित होता है वह है बाल अवस्था और छात्र अवस्था और छात्र अवस्था में मन मस्तिष्क चेतन, अचेतन और अवचेतन में बटा है, उसमें शिक्षा के माध्यम से उसके मानस पटल पर जो अंकित होता है वह उसके सम्पूर्ण जीवन में कारगर होता है और इसी के हिसाब से उसकी विचारधारा विकसित होती है। आज जो पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा के नाम से जन स्वास्थ्य की चुनौतियों का जो पूरा पाठ है, निश्चित रूप से वह इतना भद्दा और अश्लील है कि निश्चित रूप से परिवार के अन्दर जहां हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था है कि लड़के और लड़की एक साथ पढ़ते हैं, अगर एक भी प्रश्न किसी छात्र और छात्रा ने क्लास के अन्दर किसी दूसरे से पूछ लिया तो निश्चित रूप से वहां पर एक अश्लीलता प्रदर्शित होगी। ऐसे में मुझे उस समय और दुःख हुआ जब मेरा खुद का एक लड़का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विद्यालय में संचालित है वह एक पुस्तक लाया और पुस्तक के अन्दर उसने मुझसे पूछा और जिस तरह के

उसके अन्दर दृष्टान्त है, जिस तरह के इसके अन्दर विषय है और उसमें प्रस्तावना में यह लिखा है कि किशोर अवस्था में व्यक्ति को लाज, झिझक और संकोच तोड़ना चाहिए आज जो हमारी पूंजी है, जो हमारा गौरव है, वैभव है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की परम्परा का निर्वाह करने में सहायक होती है वह सबसे बड़ी लाज, संकोच और झिझक है अगर एक 13-14 साल का लड़का जो अवयस्क मस्तिष्क का है एक कक्षा के अन्दर बैठकर अपने इन संकोचों को तोड़ देगा और इन पर डिस्कशन होगा और इन पर कभी प्रश्न पूछेगा तो निश्चित रूप से यह बहुत दुःखद स्थिति होगी, जहरीली स्थिति होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं विषय विशेषज्ञ हो या पाठ्यक्रम विशेषज्ञ हों इनके साथ-साथ एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ भी होना चाहिए। क्या हम परोस रहे हैं ? हम क्या दे रहे हैं ? हम अपनी शिक्षा को रोजगारपरक तो नहीं बना रहे हैं और हम अश्लीलपरक बना रहे हैं और सबसे दुःख की बात तो यह है कि सरकार के संज्ञान में भी यह बात उस समय आई जब ये समाचार-पत्रों के माध्यम से यहां के लोकल समाचार-पत्र अमर उजाला, हिन्दुस्तान, जागरण सबमें यह बात जब आई और उसके बाद इसको अधिकारियों ने संज्ञान में लिया।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय सदस्य जैन साहब, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन, 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो किताबें हजारों की संख्या में हर जिलों में पहुंच गई है हर स्कूलों में पहुंच गई है इन किताबों की बिक्री पर तत्काल रोक लग जाये क्योंकि चर्चा तो हम करेंगे कार्य-स्थगन का प्रस्ताव होगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसको अस्वीकार कर देंगे, हमारे संज्ञान में है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्रियान्वयन हो। तत्काल एक आदेश चला जाय और उसकी जांच हो और इसके लिए जो जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्यवाही हो और उन्होंने किस आधार पर मानकों के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया है, इस पर माननीय अध्यक्ष जी रोक लग जाया, यह मैं चाहता हूं। आपने मुझे संरक्षण दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी ग्राह्यता के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। कुछ प्रश्न हम लोगों के दिमाग में बहुत साफ है। क्या इस सरकार में प्रकाशन माफिया अक्सर इस बात की चर्चा आती है कि हमारे पूरे शिक्षा तंत्र पर प्रकाशन माफियाओं का कब्जा है। जो कुछ देखने और पढ़ने को मिल रहा है अखबार का संज्ञान हम सदन में नहीं लेंगे लेकिन समाज संज्ञान में लेता है तो एक प्रश्न बहुत साफ उभर कर सामने आ रहा है कि प्रकाशन माफिया इस प्रदेश में अब प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं रह गये हैं। उनको इतना अधिकार दिया गया है कि वह जो चाहे छपवा सकते

हैं और जो चाहे वितरित करा सकते हैं। इतनी छूट अगर मिली है तो इसके पीछे कहीं न कहीं आर्थिक आधार होगा। दूसरी चीज इस सरकार की पहचान रहा करती थी कि प्रशासनिक अधिकारियों पर इस सरकार का बहुत नियंत्रण रहता है ऐसा माना जाता था, कहा जाता था, इस घटना से एक चीज और समझ में आ गई है कि जब तक यह सरकार किसी के सहयोग से चलती थी तब तक इसका अधिकारियों पर नियंत्रण रहता था, जब यह फुलफ्लेस्ड अपने बल पर आ गई है तब इसका अपने अधिकारियों पर नियंत्रण समाप्त हो गया है, अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। क्योंकि इस सरकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से किसी पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लेना और बड़ी आसानी से यह बयान दे देना कि सरकार सदन में जवाब देगी। किसी अधिकारी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि सरकार सदन में क्या कहेगी और क्या नहीं कहेगी ? अधिकारी के जवाब से तो यही लगता है कि जैसे सरकार में बैठे हुए लोगों की इस पाठ्यक्रम से सहमति थी। अन्यथा इतने विश्वास के साथ वह अधिकारी नहीं कहते कि सरकार सदन में विधान सभा में इसका जवाब दे देगी तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकार कह कुछ और रही है, चाहती कुछ और है और शायद सरकार के निर्देश पर अधिकारी ने यह सारा कार्य किया होगा तभी उस अधिकारी को इतना आत्मविश्वास है अपने लिये गये निर्णय पर। इसी सदन में, एक प्रश्न पूछा गया था योग शिक्षा को लेकर के, सरकार ने इसी सदन में कहा था कि वह शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं करने जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री दिख तो नहीं रहे हैं, सरकार ने इसी सदन में कहा था कि वह योग शिक्षा को लेकर किसी माननीय सदस्य ने शायद माननीय खन्ना साहब ने पूछा था तो सरकार का जवाब था कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। क्या यह माना जाय कि यह सदन की अवमानना है ? सरकार ने इसी सदन में कहा और इसके बावजूद हम लोगों के संज्ञान में यह विषय आया कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया। मान्यवर, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने जो नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उससे अपने को सम्बद्ध करके मैं इन प्रश्नों को आपके सामने उठा रहा हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, विषय जो है वह हम सबके सामने है लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वह इस पाठ्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की है। मैं समझता हूं कि यहां पर सब सहमत है सरकार सहमत होगी कि जो कुछ पाठ्यक्रम आ गया है जिन परिस्थितियों में आ गया है उस पर तत्काल रोक लगाकर उस हिस्से को निकाल दिया जाय। चूंकि मान्यवर, यह दोष दिया जाय कि अभी आया है जब यह दो साल पहले आया था तब सरकार क्या कर रही थी। मेरी उन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। अब विषय सरकार के संज्ञान में आ गया है। सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे तत्काल रोका जाय। मान्यवर, इस नोटिस को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा है कि पाठ्यक्रम में जो लिखा हुआ है वह नोटिस का हिस्सा न बन पाये क्योंकि वह नोटिस फिर अश्लीलता की श्रेणी में आ जाता। जिस नोटिस को बनाने के लिये इन शब्दों वाक्यों को छोड़ना पड़ा है अगर 13 साल का बच्चा जो कक्षा 9 में पढ़ता है सामान्यतः 14 साल का बच्चा कक्षा 10 में आ जाता है बच्चा अगर उसे पढ़ेगा तो उस पर क्या प्रभाव होगा। मान्यवर, मैं मानता हूं कि भारत की जलवायु, यहां की संस्कृति इसके समर्थन में नहीं हो सकती। भारत अभी इस बात के लिये तैयार नहीं है कि हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे सकें। अगर देनी भी है तो बहुत संभलकर देनी होगी और अगर वर्तमान स्वरूप में ही दी जाती है तो परिणाम लाभ की जगह हानि का ही होगा। इमर्से खासतौर से यूनिसेफ की पहल पर एडोलसेंस एजुकेशन देने की बात कही गयी है। अब मान्यवर, डेनमार्क के हिसाब से तो भारत को नहीं चलाया जा सकता है। हम इसके लिये अभी तैयार नहीं है। मान्यवर, यू0पी0 स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी की ओर से जो तैयार किया गया है उसके लिये मानसिक रूप से हम तैयार नहीं है। आप कहेंगे कि साल दो साल से चल रहा है आप उस सरकार को कठघरे में खड़ा करें तो वह बात नहीं सही होगी। अब जब संज्ञान में आ गया है तो उचित यही होगा कि सरकार तत्काल इस पाठ्यक्रम पर रोक लगाये उसे पाठ्यक्रम से अलग कर दें। मान्यवर, इसका जितना प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर रोक लगे। होगा क्या कि बच्चे तो उसे कम पढ़ेंगे बच्चों की किताबें दूसरे लोग ज्यादा पढ़ेंगे। इसलिये इस पर तत्काल रोक लगा दी जाय। यह उचित पाठ्यक्रम नहीं है। यह अविलम्बनीय विषय है। लोक महत्व का है क्योंकि यह एक पीढ़ी का सवाल है। मान्यवर, नियम-56 में दो बातें महत्वपूर्ण होती है कि महत्वपूर्ण होना चाहिये और लोकमहत्व का होना चाहिये। यह अविलम्बनीय भी है क्योंकि यह लगातार चल रहा है। इसलिये यह नियम-56 के अन्तर्गत आता है इस पर चर्चा करायी जाय। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर तत्काल रोक लगाने के लिये और पाठ्यक्रम से उस हिस्से को अलग करने के लिये एक समिति गठित कर दे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, एड्स के प्रति जागरूकता के नाम पर जो हमारी भावी पीढ़ी के लिये यह पाठ्यक्रम कक्षा 9-10 के छात्रों को देने जा रहे हैं निश्चित तौर पर यह उनके लिये दुखदायी होगा। मान्यवर, जहां तक एड्स की जागरूकता का सवाल है वह अलग विषय है उसमें अभियान चलाये जायें कैम्प लगाये जायें। लेकिन इस तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल करके उसे अंधेरी गली में धकेलना यह उचित नहीं होगा। यह लोकमहत्व का और अविलम्बनीय प्रश्न है इस पर आप चर्चा करवाने का कष्ट करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय जो विषय आज समाज में बहुचर्चित हो गया है और इसके अन्दर जो भावनाएं निहित हैं निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि यह किसी विदेशी षड़यंत्रकारी का

इसमें सीधा-सीधा हस्तक्षेप है जो भारतीय सभ्यता और भारत की संस्कृति पर, मैं ऐसा मानता हूं कि यह सीधा-सीधा हमला है और इसके पाठ के अन्दर जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया है अध्यक्ष महोदय, उसको जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस संस्कृति और सभ्यता के हम पोषक है वहां इसको कोट करना या इसको उच्चारित करना भी बहुत कष्टकारी है। जैसा अभी माननीय नेताओं ने कहा कि नोटिस को बनाते समय भी बहुत सावधानी बरती गयी है लेकिन मैंने तो अपनी नोटिस में इसको कोट किया है जो पाठ्यक्रम में शब्दावली है उसको मैंने कोट किया है, आप कृपया देख सकते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इस प्रकार एड्स पर चर्चा करते हुए कितनी बारीकी से और जो यह पश्चिमी सभ्यता का पोषक है वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति छिन्न-छिन्न कर देना चाहते हैं जो हमारी एकता का मूल आधार है तो मैं यह चाहता हूं कि इस पर चर्चा तो अपनी-अपनी भाषा में अपनी-अपनी शैली में लोग कर रहे हैं, करेंगे लेकिन इस पाठ्यक्रम में हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को झकझोर दिया है और सोचने को विवश कर दिया है कि क्या अपने देश में ऐसे शिक्षा शास्त्री भी है, ऐसे पाठ्यक्रम विशेषज्ञ भी हैं जो इस प्रकार की विकृत मानसिकता रखते हैं और उन्होंने किसी विदेशी षड़यंत्रकारी की शह के तहत इस प्रकार के पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि कोई भी इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है कि किसके इशारे पर, किसके निर्देशन पर यह पाठ्यक्रम का अंग बना और जब यह शिक्षक भी कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ायेंगे, शिक्षिकाएं भी कह रही हैं कि हमारे बूते के बाहर की बात है और समाज में लोग चिन्तित हैं, अभिभावक चिन्तित है, माता-पिता चिन्तित हैं कि हमारे बच्चों को यह कौन सी शिक्षा दी जा रही है यह कौन से उन्नति के शिखर पर ले जाने की बात हो रही है कौन सी इनके अन्दर अच्छे संस्कार भरने की बात इसमें है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए कि किनके इशारे पर, किनके मार्गदर्शन पर यह पाठ्यक्रम का हिस्सा बना और अंग बना और यह पढ़ाया जा रहा है और अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दायरे में जो कुछ कानून कहता है उसके अन्दर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनको दण्ड दिया जाना चाहिए और यह निश्चित रूप से अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है, व्यापक जनहित का है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसको अविलम्ब पाठ्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए और प्रतिबन्धित कर दिया जाना चाहिए ताकि इसकी कोई चर्चा की सम्भावना, गुंजाइश न रहे। और अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दायरे में जो कुछ कानून कहता है उसके अन्दर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनको दण्ड दिया जाना चाहिए और यह निश्चित रूप से अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है, व्यापक जनहित का है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसको अविलम्ब पाठ्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए और प्रतिबन्धित कर दिया जाना चाहिए ताकि इसकी कोई चर्चा की सम्भावना, गुंजाइश न रहे।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, यह विषय तात्कालिक भी है, अविलम्बनीय लोकमहत्व का भी है और हम इस पूरे समाज को क्या बनाना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति इस बात के लिये दुनिया में प्रसिद्ध है कि हमारी संस्कृति कुछ अलग है। आज हम यदि वैज्ञानिक परिवेश में इक्कीसवीं शताब्दी की जो उपलब्धियां हैं, उसमें कुछ कहना पढ़ाना चाहें तो वह ठीक है, उसका स्वागत है लेकिन जिस तरह से हमारी नई पीढ़ी को विकृत मानसिकता के तहत डुबोने का यह विषय है, मैं समझता हूं कि इस पर और जिन माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका एक महत्व है इसलिये इसको इस तरह न लेते हुये, कि यह नियम के अन्तर्गत नहीं आता, यह लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है, इसलिये तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए। मेरा यह आपके माध्यम से अनुरोध हैं

(कई सदस्यों द्वारा बुलवाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कोई चर्चा नहीं हो रही है, हर दल के वरिष्ट नेतागण बोल चुके हैं। आगे अभी और सूचनायें हैं माननीय विधायकगण, बहुत सुन लिया गया।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अभी बहुत महत्वपूर्ण विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है और इसका जवाब आ जाने दें।

मान्यवर, यह मैं स्वीकार करता हूं कि इस देश का गौरवशाली इतिहास रहा है हमारी सभ्यता संस्कृति अलग रही है। महात्मा गौतम बुद्ध जैसे लोग, जिन्होंने दुनिया को मानवता का संदेश दिया, जिस पर विभिन्न देशों में शोध होता रहा। आज जो विषय उठाया गया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 2005 में प्रारम्भ किया गया था इसके अन्तर्गत कक्षा 9 और 10 में सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत पढ़ायी जाने वाली पाठ्य पुस्तकें जो निजी प्रशासकों द्वारा प्रकाशित हुयी हैं, के कुछ अंश अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की अल्प आयु के दृष्टिगत उपयुक्त नहीं है। पाठ्य पुस्तक से आपत्तिजनक अंश को तत्काल हटाने के निर्देश, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को दे दिये गये हैं किन परिस्थितियों में यह आपत्तिजनक पाठ्यवस्तु बाजार में आई है इसकी जांच निदेशक स्तर के अधिकारी से कराई जा रही है। इस चूक के लिये जो भी उत्तरदायी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, एच0आई0वी0 एड्स जानलेवा बीमारी है जागरूकता के अभाव में इसके परिणाम घातक होते हैं। इसकी सकारात्मक शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुये, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षाविदों, समाजसेवियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से विचार-विमर्श कर अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के

अनुरूप पाठ्य वस्तु विकसित करने के निर्देश सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को दिये गये हैं ताकि सभी प्रशासकों को मानक पाठ्य वस्तु प्रकाशन हेतु उपलब्ध करायी जा सके इससे जहां एक ओर सभी छात्रों को पढ़ने के लिये मानक सामग्री उपलब्ध होगी, वहीं दूसरी ओर किसी प्रकार के विवाद की संभावना भी क्षीर्ण हो जायेगी। मान्यवर, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों को समुचित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल आर्गनाइजेशन द्वारा शिक्षकों तथा प्राशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये तैयार किये गये पाठ्य वस्तु का हिन्दी अनुवाद कर उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया है। इसका प्रयोग रोकने के भी निर्देश निदेशक शिक्षा को दे दिये गये हैं। मान्यवर, जहां तक कार्यस्थगन का प्रश्न है, इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जो आपने उत्तर दिया, वह संतोषजनक है। नष्ट कराने की बात कह रहा हूं। रुकवाने से तो वह प्रकाशन में रहेगा, सरकुलेशन में रहेगा इसलिये उसको नष्ट करवा दीजिये, जिससे वह किसी के हाथ में न लगे, यह भी निर्देश दे दें। इसका भी परीक्षण करा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसका परीक्षण करा लें।

मैंने माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी को सुना, माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी को सुना, माननीय श्री श्याम देव राय चौधरी जी को सुना, प्रदीप जैन जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे क्यों जल्दी कर रहे हैं ? माननीय हुकुम सिंह जी का एक महत्वपूर्ण नोटिस है उसको सुनने के बाद आप कह दीजिएगा।

* श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं केवल ग्राह्यता पर ही बोलूंगा उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मान्यवर, अभी एक सर्कुलर गया है चीनी निगम की ओर से। यह रिपेयर का पीरियड है, इसमें मिलों की मरम्मत होती है, मिलों को बन्द कर दिया जाए, सीजनल कर्मचारियों को हटा दिया जाए, ठेकेदार मजदूरों को हटा दिया जाए, कोई काम कॉन्ट्रेक्ट पर नहीं होगा, कोई चीज परचेज नहीं की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाएगी। मान्यवर, स्पष्ट है कि आप चीनी निगम में जो चलने वाली इकाइयां हैं, जो बन्द हो गयी हैं वह तो दूसरा सवाल है, लेकिन जो इकाइयां चल रही उन्हें आप बन्द कराने जा रहे हैं। मान्यवर, यह तात्कालिक इसलिए है कि पिछली सरकार ने 17 हजार करोड़ किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया दिया, गन्ने का दाम बढ़ाया, उसका फायदा यह हुआ कि गन्ने का जो कैजुएटेड एरिया है, जिसमें उत्पादन होता है, वह क्षेत्र बढ़ा है और संयोग से सौभाग्य की बात है कि गन्ना की बहुत अच्छी फसल आने वाली है। जो आसार हैं उसके अनुसार गन्ने की फसल बहुत अच्छी आने वाली हैं मान्यवर, गन्ने की फसल अच्छी होगी और फैक्ट्रियों को बन्द कराने जा रहे हैं। मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और कुछ नहीं हो सकता, यह हजारों किसानों, मजदूरों का सवाल नहीं है इसमें लाखों किसानों के जीवन के सामने प्रश्नचिन्ह लगा हुआ हैं मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ नहीं हो सकता। एकदम अभी-अभी इनका सर्कुलर गया है, इससे सुनिश्चित और लोकमहत्व का प्रश्न कोई नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए। यह किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, किसी एक दल का मामला नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश का मामला है। एक परिस्थिति थी, 1971 में जब चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया था, उस समय मैनेजमेंट की लूट से तंग आ करके हमारे जैसे लोगों ने चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए नारा लगाया था, दर्जनों बार जेल गये थे तब जाकर राष्ट्रीयकरण तो नहीं हुआ लेकिन निगमीकरण हो गया, किसानों, मजदूरों को राहत मिली, उनके गन्ने का मूल्य सुनिश्चित हो गया। किन्हीं कारणों से निगम घाटे का सौदा हो गया, घाटे का सौदा क्या मैंने कई बार पत्र लिखा, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक जनरल मैनेजर हमारे यहां आया, डोगरी चीनी मिल जो महाराजगंज में है बहुत पुरानी मिल है, उसने आते ही 80 लाख के घाटे को कम कर दिया और दूसरा प्रबन्धक आया तो उसने घाटा दो करोड़ रुपये बढ़ा दिया। मान्यवर, वही गन्ना, वही एरिया, वही किसान, वही मजदूर और एक जनरल मैनेजर ने 80 लाख के घाटे को कम कर दिया और दूसरे मैनेजर ने घाटे को बढ़ा दिया। तो मान्यवर, इसमें विसंगति है मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पूरे निगम की जांच करायें, मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन मान्यवर, इस समय चीनी मिलों को बंद कराने का कोई औचित्य नहीं है बड़ी कोशिश है किसानों में, बड़ी बेकरारी है, किसान बहुत परेशान है। यह सुनिश्चित प्रश्न है, अत्यन्त लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है, मैं जानता हूं कि वर्ष 1974 से कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ लेकिन आपने चर्चा करायी है, शासन को निर्देश दिया है प्रभावी कदम उठाने के लिए और मुझे विश्वास है कि शासन-प्रशासन को ऐसा निर्देश आप देंगे कि चीनी मिलों को बन्द कराने की जो नोटिस गयी है उसे वापस लिया जाए। गन्ना किसानों को यह संदेश दिया जाए, जैसा कि माननीय मंत्री जी कह भी रहे थे कि गन्ना किसानों का एक-एक गन्ना जो खेतों में पड़ा हुआ है, जब तक उसकी पेराई नहीं हो जाएगी तब तक फैक्ट्री बन्द नहीं होगी, कोई व्यवधान नहीं आयेगा।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, माननीय ओझा जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमने भी काफी कुछ इनसे सीखा है। लेकिन जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है इसमें अधिकतर बिन्दु काल्पनिक हैं। सत्य से परे है, आपने जो सूचना में कहा है कि ठेके पर रखे मजदूरों को तत्काल हटा दिया जाए, ऐसा पत्र लिखा गया है ? कतई कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा गया है और यदि ऐसा कोई पत्र है तो माननीय सदस्य मुझे दे देंगे, मैं उनकी जो जिज्ञासा होगी उसको शान्त करूंगा और जहां तक ठेके पर रखने की बात है, कहीं पर भी चीनी निगम में ठेके पर मजदूर रखे ही नहीं जाते और जब रखे ही नहीं जाते। .....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, लिखा-पढ़ी में नहीं रखे जाते हैं। ..

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुन लें। मैंने पहले ही कहा कि हम आपसे सीखते हैं। ठेके पर कोई मजदूर नहीं रखे गये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बुरी बात है, ओझा जी आप यही सिखाते हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, हम ओझा जी से बात कर रहे हैं। मान्यवर, निगम की चीनी मिलों में कैजुअल और सीजनल कर्मचारी जरूर रखे जाते हैं, ठेके पर नहीं रखे जाते और जहां तक माननीय सदस्य ने भविष्य की चिन्ता जताई है। मान्यवर, स्पष्ट कर दूं कि निगम की चीनी मिलों में उनके ऊपर गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान है वह 21 मार्च, 2007 तक 1836.61 करोड़ का बकाया है। मान्यवर, कई बार प्रयास किये गये, बराबर प्रयास किये जा रहे हैं और प्रयास करने के बाद भी इन चीनी मिलों में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, निरन्तर घाटे की स्थिति में हैं। पिछले 5 वर्षों में जो इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी रु0 351.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी। इसके अलावा जो भुगतान इन्होंने नहीं किया है वह 252.61 करोड़ रुपये का है। जहां तक आपने मरम्मत की बात कही है, यह भी काल्पनिक है कि मरम्मत नहीं किया जा रहा है। 3 जुलाई 2007 को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जो भी निगम की चीनी मिलें हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्देश किया जाता है कि चीनी मिलों के संचालन के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य जारी रखें और न्यूनतम आवश्यक व्यय किया जाए। इसके अतिरिक्त मरम्मती कार्यों के लिए किये गये व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा अलग से बनाकर रखा जाए। स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि मरम्मत किया जाय। निगम और सहकारी चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में दिया जाना है क्योंकि यह लम्बे अर्से से घाटे में चली आ रही हैं इस लिये

इन चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में देने हेतु विचार विमर्श से संवैधानिक सहमति बनी है और वह प्रॉसेस में है। जहां तक गन्ना किसानों के लिए चिन्तित हैं, यह जो कार्य हम कर रहे हैं गन्ना किसानों के हित में कर रहे हैं। आज भी मैं कहता हूं कि जितना गन्ना किसानों को आप जानते हैं उससे कम हम भी नहीं जानते। आप गन्ना किसान हों या न हों लेकिन मैं गन्ना किसान अवश्य हूं। मुझे और हमारी सरकार को गन्ना किसानों का बराबर ख्याल है। हर बार मिल घाटे में चलती है इससे गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता है जब भुगतान नहीं होता है तो क्राइसेस होती है। इसको आपने देखा है सारे सदन ने देखा है। वहां पर गन्ना किसानों के लिए चीनी मिल ही लगाई जानी है। चीनी मिल चलनी चाहिए घाटे पर न चले सरकार का जो घाटा है निगम का घाटा है वह खत्म हो इससे तो खुश होना चाहिए। अगले सत्र में मिल बन्द हो रही यह कहा गया कहीं मिल बन्द नहीं हो रही है। कार्यवाही चल रही है यह सही है कि निजी क्षेत्र में देने की कार्यवाही चल रही है लेकिन जो भी कार्यवाही हो रही है वह गन्ना किसानों के हित में हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री जनार्दन प्रसाद ओझा को सुना, मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, इस देश के महापुरुष डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर गोमती नगर में एक स्टेडियम स्थापित है। यह केवल प्रदेश स्तर का ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। जहां पर चार टेनिस कोर्ट, फ्लड लाइट, वूडेन फ्लोर 8 बैडमिंटन कोर्ट, टेबुल टेनिस व बहु उद्देश्यीय हाल है। मान्यवर, अगर आप देखें तो इस स्टेडियम से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं और आज भी विदेश में जाकर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सैकड़ों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी प्रतिभा को विकसित करने में इसका मुख्य योगदान रहा है। न जाने किस तरह से यहां से अम्बेडकर स्टेडियम को तोड़ने की शुरुआत हुई सुबह जब मैंने और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने जाकर देखा तो वहां पर रहने वाले कर्मचारी और अधिकारी जिस तरह से आतंकित करके वहां से निकाले जा रहे हैं। पुलिस खड़ी है चारों तरफ उच्च अधिकारी खड़े हैं बन्दूक की नोक पर सामान उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने यहां पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वह सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी सरकारी हैं। वह प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थें वह आने वाली प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे वर्षों से वह वहां रह रहे थे उनके परिवार वहां रह रहे थे किस तरह से उनके टी0वी0 चारपाई फेंके जा रहे हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है। सरकार बहुमत के आधार पर बनती जरूर है लेकिन सरकार संविधान के आधार पर चलती है। बहुमत में आकर आप कहां ले जाएंगे। बहुमत का मतलब यह नहीं हुआ कि समस्त नियमों,

कानूनों और संवैधानिक मर्यादाओं इन सबकी धज्जियां उड़ायें। बुलडोजर चलवा दें। अम्बेडकर स्टेडियम में टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वूडेन फ्लोर बने हैं फ्लड लाइट्स लगी हैं जिसने सुरेश रैना, आर0 पी0 सिंह जैसी प्रतिभाओं को विकसित करने का काम किया है। आज ऐसा वातावरण बनता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के आवास के पास केन कमिश्नर का आफिस था वह आफिस रातों रात खाली हो गया।

मान्यवर, प्रभाव तो होना चाहिए लेकिन यह तरीका कौन सा होगा कि आपकी मर्जी आ गई तो रातों रात केन कमिश्नर का बंगला खाली करवा दिया। आज स्टेडियम का नम्बर आ गया। मान्यवर, अगर यह गति चलती रही तो क्या मैं यह सोच लूं कि कल को किसी का मन आ गया कि विधान सभा की स्थिति ठीक नहीं है यहां पर किसी और का मेमोरियल बनना चाहिए और इसको उखाड़कर कहीं और ले जायं। मान्यवर, हम और आप तो घर बैठे रहेंगे और यहां पर बुलडोजर चल जायेगा। मान्यवर, यह स्थिति जो बनती जा रही है एक भय का वातावरण पैदा करके सारी मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है वह कहां तक सही है। इसके बारे में चिन्ता करनी चाहिए। सोच लेना चाहिए एक छोटा सा सरकारी भवन जो 10 साल पुराना हो उसको भी अगर विस्मार करना है तो उसके लिये कुछ नियम बने हैं। पहले उसका सर्वे होगा, उसके बाद रिपोर्ट आयेगी कि उसको बनाने में कितना धन खर्च हुआ था, उसको तोड़ा जाना जनहित में ठीक है कि नहीं ? उच्च पदों पर बैठकर सर्वोच्च पद पर बैठ कर इन मान्यताओं को नहीं मानेंगे तो नीचे के लोगों से हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि मान्यताओं को मानकर वो कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, आज प्रदेश भर की स्थिति ऐसे बनती जा रही है। विशेषकर हमारा लखनऊ जो राजधानी है उसकी जो स्थिति हो गई है। मान्यवर, एक ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी भी सरकारी भवन पर जाकर कभी भी जाकर कब्जा कर लेंगे, उसको तुड़वा लेंगे। कोई नियम क़ानून नहीं होगा। मान्यवर, स्टेडियम की बात मैंने कही और आशंका की बात है, आप कहेंगे कि काल्पनिक बात है। मैंने नाम तो ले लिया मान्यवर, लेकिन मन में चिन्ता जरूर सवार होगी। ध्यान भंग बहुत बड़ी चीज है लेकिन शायद आपके लिये उसका भी कोई महत्व न हो। इस लोक महत्व के प्रश्न के ऊपर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जिस महापुरुष के नाम पर वह स्टेडियम स्थापित है और जिस महापुरुष के नाम से आप वहां पर स्थापित हुए हैं कम से कम उनका सम्मान तो किया होता। उस स्टेडियम को तबाह न किया होता विस्मार न किया होता। आपको कोई और चीज बनानी है लखनऊ में तो कोई और जगह ले लीजिये। सरकारी भवन ले लीजिये और बना लीजिये लेकिन कम से कम उस स्टेडियम को जो इस प्रदेश की धरोहर के रूप में छोड़ दीजिये जहां पर हमारे इतने महत्वपूर्ण काम हुए। इसलिये मैं मान्यवर, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं बिना ज्यादा समय लिये आग्रह कर देना चाहता हूं कि डा0 अम्बेडकर के नाम से गोमतीनगर में बना हुआ स्टेडियम वहां पर सुरक्षित रहे, कोई कार्यवाही उसको तोड़ने की, तबाह करने की न हो। मान्यवर, यह कोई उत्तर नहीं होता है कि हम उससे बड़ा स्टेडियम कहीं और बनवा देंगे। आप तो बनवा देंगे कुछ भी बनवा देंगे। क्योंकि आपने न जाने कितनी चीजें बनवाई

हैं। डा0 अम्बेडकर के नाम से इतना अच्छा पार्क बना कुछ सोच समझकर बनवाया होगा। तो उसके लिये कोई योजना बनाई गई होगी, योजना बनने के बाद में उसमें गेस्ट हाउस बना होगा, लाइब्रेरी उसमें बनी होगी। कहां से बने वो ? सरकारी खजाने से बने वो। किसी की निजी सम्पत्ति तो है नहीं वो। आज आप के मन में आ जाय भले ही उसमें हमारे स्वयं के रुपये लगे हों, हम उसको तोड़कर कुछ और बनवायेंगे। केवल आपकी मर्जी से इस प्रदेश की संचित निधि को इस तरह अपव्यय नहीं कर सकते हैं और न करना चाहिए। वह स्टेडियम भी इस प्रदेश की संचित निधि से बना है उसको आप विस्मार नहीं कर सकते और न ही उसको विस्मार करना चाहिए। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार बहुमत में बैठकर नहीं होता मान्यवर। उस महापुरुष के साथ में करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। केवल किसी एक दल की, किसी नेता की वह बपौती नहीं बन जाती मान्यवर, इसलिये मैं आप लोगों से माननीय सदन से और विशेषकर सत्ता पक्ष से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें, भयभीत होकर बिलों में न छिप जायं। आप जन प्रतिनिधि हैं जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है। जिस प्रशासक के पास में, पुराने उदाहरण भी है कि अगर सही सलाहकार होते हैं अगर सही सलाहकार होते तो उनको बोलने का साहस होता। सही सलाह देते। लेकिन जहां पर लोग दबकर रह जाते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिये काम करने हैं, वहां पर प्रशासक का भी नुकसान होता है, नेता का भी नुकसान होता है। इसके उदाहरण इमरजेंसी में मिल चुके हैं। लोगों ने हिम्मत खो दी थी बोलने की। देश ने इमरजेंसी देखी। ऐसी नौबत न आये, आप अपनी हिम्मत न खो दें बोलने की। आप लोग अपने दायित्व समझकर हिम्मत करके जो सही बात है, सलाह देना शुरू करें तो शायद सुधार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार खिलाड़ियों की भावनाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये पूरी तरह से प्रयत्नशील है। जहां तक इस स्टेडियम का सवाल है, मान्यवर, 8 जून, 2007 को सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा इस आशय की गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त हुई कि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक को कुछ खतरा है।

मान्यवर, आपने देखा कानपुर में एक मूर्ति बाबा साहब की टूटी और उसका महाराष्ट्र तक में असर पड़ा। महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटना हुई उसका असर पड़ा तो कभी-कभी हम आने वाले समय की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस बात को स्वीकार करते हुए कि इस निर्णय का भविष्य में क्या असर पड़ेगा इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि जब सुरक्षा एजेन्सियों से रिपोर्ट आई तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी कोई घटना न घटे डा0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में स्पोर्ट्स गतिविधियों एवं प्रशिक्षार्थियों तथा कर्मचारियों की आवासीय सुविधा को बन्द करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में डा0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम से प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण एवं रिहायशी सुविधा के लिए उन्हें के0डी0 सिंह बाबू

स्टेडियम में स्थानान्तरित करके उनके प्रशिक्षण एवं आवास आदि की व्यवस्था कर दी गई थी। गोमतीनगर विस्तार में एक नये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित है। जिसके लिए इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित कर दी गई है। खेलकूद सुविधाओं हेतु वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में समुचित प्राविधान भी कर दिया गया है। जैसे ही मान्यवर, बजट सदन में पारित होगा इसमें काम भी शुरू हो जाएगा। डा0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम प्रशिक्षार्थियों को पहले ही के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में स्थानान्तरित किया जा चुका था। दिनांक 9 जुलाई, 07 को सायंकाल जो वहां उपकरण थे उनको स्थानान्तरित करने के लिए कुछ गाड़ियां वहां पर गई थीं। स्टेडियम में केवल पांच कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें से दो का स्थानान्तरण हो गया था। एक ने स्वतः ही अनुरोध करके स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया था उस पर कार्यवाही की जा रही थी। शेष अन्य दो कर्मचारियों को भी समायोजित किया जाना था। उन्हें बेदखल करने की कोई कार्यवाही दिनांक 9 जुलाई, 2007 की शाम को नहीं हुई थी। यह स्थिति है और इसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है खेल भावना को ध्यान में रखते हुए कि खिलाड़ियों को और अधिक अवसर प्राप्त हो उसके लिए गोमतीनगर में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। यह प्रश्न नियम-56 के अन्तर्गत ग्राह्य योग्य नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमनू, सुरक्षा एजेन्सियों से एक खतरे की रिपोर्ट आई और वह स्टेडियम वहां कब से स्थापित है और मान्यवर, जो भीमराव अम्बेडकर जी का पार्क है वह भी वहां पर है दोनों बराबर हैं। खतरे की आशंका की कहां से रिपोर्ट आ गई। यह सुरक्षा एजेन्सियों को दुरुपयोग करके उनसे अपने मन माफिक रिपोर्ट ले लेना उसी का परिणाम होता है कि सुरक्षा एजेन्सी की रिपोर्ट डिफल्ड हो चुकी है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। जिससे चाहा दीवानजी से उठाकर रिपोर्ट लगवा लें। उस रिपोर्ट के आधार पर आप सैकड़ों करोड़ रुपये के भवन को बरबाद कर दें जो प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर है और कहें कि हम प्रदेश में एक अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने वाले हैं। आप अर्न्तराष्ट्रीय स्टेडियम बना लें पहले, जब यह बन जाएगा तो यह शिफ्ट कर दिए जाएं वहां पर। वह बना नहीं उसका तो प्रस्ताव है जमीन लेने की आप बात कर रहे हैं और जो बना बनाया है उसको तबाह कर रहे हैं मान्यवर, जब वह बन जाएगा और आप सोचेंगे आवश्यकता नहीं है, स्टेडियम तो आप जितने चाहें बना दें उतना अच्छा है। प्रश्न यह है जो स्टेडियम जिसको बनाने की बात आपने कही है कि बनाने का प्रस्ताव रखा है उसको बना दीजिए। मान्यवर, रात भर वह मशीन नाले में खड़ी कर दी गई वहां रहने वालों को दिखाने के लिए कि अगर तुम खाली नहीं करोगे तो मशीन खड़ी है देखो, यह मशीन तुम्हारा क्या हाल करेगी। मान्यवर, चाइना में जो डेनामस्टार वाली बात थी टैंक खड़े कर दिए गए। छात्र धरने पर बैठे हैं मान्यवर, अगर वह माहौल इस प्रदेश में रहेगा तो लोकतंत्र इस प्रदेश में कहां रहेगा। जिस बहुमत की बात आप कर रहे हैं उस बहुमत को कुचलो मत। बहुमत पर बुल्डोजर मत चलाओ उसकी अहमियत समझो। आपको गरीब लोगों की सेवा करने के लिए बहुमत मिला होगा। इस बात के लिए नहीं मिला होगा

कि हमारी ऐतिहासिक सम्पत्ति और ऐतिहासिक धरोहर को ही समाप्त कर दो। अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है आप भी हिम्मत दिखायें और निर्देश दें कि वहां पर कोई आदमी खाली नहीं होगा और अम्बेडकर स्टेडियम तक नहीं हटेगा जब तक अर्न्तराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण की बात जो आप कर रहे हैं, पूरा नहीं हो जायेगा। मान्यवर, आपकी तरफ से निर्देश आना चाहिए आज प्रश्न हमारे अस्तित्व का आ गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह वहां बुल्डोजर चला दिए अब हर जगह चला देंगे, देखते हैं यह जौहर यूनिवर्सिटी समझे थे, जैसे वहां पर बुल्डोजर चला दिया, यहां पर भी चला लेंगे। मान्यवर, कुछ ज्यादा ही बुल्डोजर हो गए हैं। मैं तो कमजोर था, चला दिया बुल्डोजर गिरा दी यूनिवर्सिटी, कितने बुल्डोजर चलायेंगे पूरी यूनिवर्सिटी गिरा दो, पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दो।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

याकूब साहब बैठिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कहां से कहां शुरू हो गए ? जब तमाम ऐसे लोगों की, कमजोर लोगों की गरीबों की जमीन जबरदस्ती ले ली गई तब तो नहीं ध्यान रहा। मान्यवर, नियमों की धज्जी उड़ाकर और अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन ले करके, तब ऐसी स्थिति की याद नहीं आई कि हम अपने सत्ता के मद में क्या कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बिल्कुल गलत, एक इंच हो तो कहें।

श्री लालजी वर्मा-

वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन ली गयी, आप सत्ता के मद में क्या कर रहे थे ? लोगों की जमीन को छीनने का काम किया जा रहा था, वह समय याद है। यह सरकार इस तरह के शब्दों को सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सूचना से हटकर बात हो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, [x x x] [x x x] विश्वविद्यालय है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हाजी याकूब कुरैशी-

मान्यवर, मुसलमानों का गला घोंटने वाले वह लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

विषय से हटकर बातें हो रही हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कमजोर लोगों की जमीन सत्ता के बल पर कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर ली जा रही थीं तब इनको याद नहीं आया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं चुनौती देता हूं कि आप तय कराइये इस सदन में।

श्री लालजी वर्मा-

बिना जमीन ट्रान्सफर हुए उस पर कब्जा किए जाने पर सत्ता का दुरुपयोग नजर नहीं आ रहा था, अब दुरुपयोग नजर आ रहा है। मान्यवर, मैं खड़ा हूं, मैं तो बीच-बीच में नहीं खड़ा होता हूं। माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं। जब उप नेता, समाजवादी पार्टी बोल रहे थे, मैं खड़ा नहीं हुआ। जब मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से परम्पराओं और नियमों के अनुसार सबको बोलने की जरूरत है। मैं तो काफी धैर्य से चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सुनने के लिए तैयार हूं। जैसा मा0 हुकुम सिंह जी ने बुल्डोजर की बात कही, मान्यवर, वहां नाले का निर्माण हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में खड़ा था और खड़े हैं और जब तक जरूरत है, खड़े रहेंगे लेकिन 9 तारीख को कोई गिराया नहीं जाना था और न उस परिप्रेक्ष्य में कोई बुल्डोजर वहां गया था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इतना आश्वासन दे दें कि गिराया नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

वहां पर जो व्यवस्था की गई उसमें खिलाड़ियों को दूसरी जगह कर दिया गया। 5-6 कर्मचारी थे उनको स्थानान्तरित कर दिया गया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक ऐसे महापुरुष के नाम पर बने स्टेडियम की बात उठायी गई है जिसके नाम को लेकर आप चर्चा करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, 5 कर्मचारी थे, उनको स्थानान्तरित किया गया और खिलाड़ियों को दूसरी जगह कर दिया गया है। अब बात आ गई। अभी वह तोड़ा नहीं जा रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी तोड़ा नहीं जा रहा है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होगा तो ऐसा किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने हुकुम सिंह जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती अतः इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री हाजी याकूब कुरैशी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, वर्ष 2002-03 में अरबी-फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल था।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइए।

(हाजी याकूब कुरैशी के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आपने व्यवस्था का सवाल उठाया, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कोई ऐसी बात नहीं बोलिए जिससे कटुता हो। आप बैठ जाइए। आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है।

*श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारी सूचना पर ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया। मान्यवर, राजधानी लखनऊ में काकोरी कस्बे के पास दिनदहाड़े एक नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। मान्यवर, यह सूचना अति लोकमहत्व की है, तात्कालिक है। मान्यवर, इसी महीने की 3 तारीख को थाना काकोरी अन्तर्गत दिनदहाड़े कुमारी अर्चना पाल पुत्री श्री नन्दलाल पाल, हाता रहीम वासिद कस्बे में अनिल कुमार नाम के एक दरिन्दे ने बाग में लड़की के साथ बलात्कार किया और धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और लाश को वहीं बाग में डाल दिया। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो पुलिस को इत्तला की गई लेकिन स्थानीय थाने की पुलिस ने कोई नोटिस नहीं ली और लापरवाही बरती। स्थानीय जनता ने जब देखा कि पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो रही है तो उन्होंने अर्चना पाल की लाश को लेकर काकोरी के पास दुर्गागंज चौराहे पर जाम लगा दिया। तब पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज की। मान्यवर, पुलिस का रवैया इस मामले में ठीक नहीं है। अगर लाश सड़क पर रखकर प्रदर्शन न किया गया होता तो यह एफ0आई0आर0 न होती। इसमें स्थानीय पुलिस दोषी है। जहां एक ओर सरकार दावा करती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण पैदा करेगी, हमारी सरकार अपराधमुक्त वातावरण पैदा करेगी और ऐसा वातावरण पैदा करेगी कि जिसमें रात 12 बजे कोई महिला अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। मान्यवर, यह घटना दिनदहाड़े की है। यह रात की घटना नहीं है। सरकार का दावा खोखला है। मैं चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। जो दोषी पुलिस कर्मी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह घटना राजधानी लखनऊ की है। जब लखनऊ में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी। मान्यवर, काकोरी शहीदों की याद दिलाने वाला स्थल है, जहां पर सबकी निगाहें रहती हैं वहां की दिन दहाड़े की यह घटना है, प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक घटना है। जब राजधानी में महिला सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे सुरक्षित रहेंगी। मैं इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से यह घटना निन्दनीय है। मान्यवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के अनुसार दिनांक 3-7-07 को श्री नन्द लाल पुत्र लाला पाल, थाना काकोरी ने थाना काकोरी पर सूचना दी कि दिनांक साढ़े सात बजे आम के बाग में अभियुक्त श्री अनिल कश्यप पुत्र श्री विश्राम कश्यप ने वादी की लड़की कुमारी बिट्टो के साथ गलत काम किया और विरोध करने पर चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दिया। इस सम्बन्ध में थाना में अपराध संख्या-243/7 धारा 376/302 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया और अभियुक्त अनिल कश्यप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। वह जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार किया जा चुका है। यह एक स्थानीय स्तर की घटना है, नियम-56 में नहीं आती इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री आर0के0 चौधरी व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री शम्भू चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। हमारे विधान सभा क्षेत्र नौरनिया, थाना खड्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा सिसवां गोपाल में एक घटना घटी है, जहां पर आज कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। एक रिक्शा चालक को लाठियों और डन्डों से पीटकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके मासूम दो बच्चे पुलिस के आगे रोते गिड़गिड़ाते हैं लेकिन एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होती है। मान्यवर, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि दस वर्ष पूर्व यह दोनों बच्चे अपनी मां को खो चुके थे और किसी तरह से रोजी रोटी की इनके पिता रिक्शा चालक व्यवस्था करते थे, अपने बच्चों का

भरण-पोषण किया करता था। इसके पास पांच कट्ठा खेत हैं। यह मासूम बच्चे किसके सहारे जियेंगे, कैसे इनको न्याय मिलेगा, मैं इस सदन में अपनी बात को देखते हुए यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस घटना में ज्यादा रुचि न लेते हुए थानाध्यक्ष खड्डा जो पैसा का दोहन करके इस सिलसिले में लीपा पोती किये हैं, सबसे पहले थानाध्यक्ष का अपराध बनता है उनको निलम्बित करके इस मामले की जांच कराकर इन मासूम बच्चों को न्याय दिलाने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें मुकदमा कायम हो गया है। मुकदमा संख्या-170/07 धारा 304, 201, 506 विरुद्ध ओम प्रकाश पुत्र शुकुल चौहान निवासी सिसवां गोपाल थाना खड्डा में पंजीकृत करके विवेचना प्रचलित है। वहां के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके तत्काल जेल भेजा जाय।

श्री शम्भू चौधरी-

मान्यवर, यह घटना चार तारीख की है और चार तारीख को वहां उस गांव में थानाध्यक्ष महोदय ने जाकर उस नाबालिक बच्चे को बुलाकर जबरदस्ती अगूंठा लगवा कर दस्तखत करवा लिया और एक भैंस और दस हजार रुपये देने की बात कहकर उस लाश को जलवा देने का काम किया है न कि पोस्टमार्टम करवाई गई उस लाश की और मैं जब उस गांव में दौड़े पर गया, पेपर के माध्यम से पढ़ कर गया तो उस गांव में जाने के बाद पता चला कि थानाध्यक्ष जब जाने दो तो यह कल की डेट 9-7-07 में मान्यवर, मुकदमा दर्ज किया गया है। गरीब अनाथ, मासूम बच्चों को आर्थिक सहायता दिलाकर और थानाध्यक्ष के ऊपर उचित कार्यवाही करके, इनको निलम्बित करके उनके ऊपर मुकदमा करके, मुकदमें में लेट किये हैं इसके लिए मैं कार्यवाही करने की आशा रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक से जांच करा ली जायेगी और निश्चित रूप से अगर दोषी हैं वह थानाध्यक्ष तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, इसमें किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रामकिशुन यादव जी, आप सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कह लें। क्योंकि अभी अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है।

श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विषय नियम-311 में दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। रेलवे नगर पंचायत मुगलसराय की समाप्त कर दी गई है। वहां 25 हजार की आबादी का वह टाउन एरिया थी, रेलवे नगर पंचायत मुगलसराय के नाम से चुनाव भी होता था। चुनाव न

होने की स्थिति में प्रशासक रहता था, अब वहां की हालत यह हो गई है। इतनी गम्भीर हालत हो गई है कि यहां न तो नाली की सफाई होती है, वहां जो विकास कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धन दिया गया था वह अधूरे पड़े हैं, लाखों रुपया खर्च करके एक तालाब वहां बनाया गया था जिसका सौन्दर्यीकरण हो रहा था जिस पर कई लाख रुपये खर्च हुए वह पैसा बेकार हो रहा है और इतना ही नहीं वह जो रेलवे कर्मचारी हैं वह रेल कर्मचारियों के परिवार को जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है, उनकी जो नागरिक सुविधायें हैं वह उनसे वंचित हो गये हैं। त्रिपक्षीय पंचायती चुनाव होते हैं वह स्थान एकदम शून्यता में घोषित हो गया। न तो उस पर जिला पंचायत कोई काम कर सकता है, न उस पर नगर पालिका मुगलसराय कोई काम कर सकती है न ही उस पर ब्लाक का कोई अधिकार बनता है कि उस पर कार्य करा लें। इतना महत्वपूर्ण सवाल हमने नियम-311 में लिया और आपने उसको नियम-56 में परिवर्तित कर दिया। नियम-56 में जितना महत्वपूर्ण सवाल है उसको आपने कैन्सिल कर दिया। वह नौबतपुर चेक पोस्ट पर करोड़ों रुपये की।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रामकिशुन यादव जी, नियमों को बदल कर अगर एक ही दिन एक ही सदस्य की चार-पांच सूचनायें हम ले लेंगे तो और माननीय सदस्यों को भी तो मौका मिलना चाहिए। किस आधार पर हम आपकी सारी सूचनायें ले लें। हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है, लेकिन नियमों में भी तो होना चाहिए।

श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया है। जिससे सरकार की मर्यादा पर और सरकार को जवाब देने में दिक्कत पैदा हो। हम सुन रहे हैं इस सदन में, हम लोग भी निर्वाचित सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

अपनी बात कहिये। समय बर्बाद न करें।

श्री राम किशुन-

अपनी बात को हम क्या कहें, आप बीच में ही माननीय अध्यक्ष जी, रोकने का काम कर देते हैं। कहिये तो हम बैठ जायें। साफ बात हम कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो बात कहनी है वह कहें।

*श्री राम किशुन-

मैं इसीलिये तो कह रहा हूं कि नियम-56 में जब हमने दिया, यह इतना लोक महत्व का विषय है कि रेलवे नगर पंचायत मुगलसराय को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। यह भारत सरकार के कर्मचारी, रेल विभाग के कर्मचारी उसमें काम करते हैं। वह तनख्वाह पाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको सरकारी क्वार्टर मिलता है, पानी मिलता है, बिजली मिलती है लेकिन कुछ नागरिक सुविधायें हैं उनसे वह पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं। अब डी0आर0एम0 भी वहां का कहता है दो-दो नाला बहते हैं जो नगर पालिका मुगलसराय से होकर जाते हैं, वह नाला कच्चे हैं। पूरा रेलवे का पानी उन नालों से होकर जाता है। मान्यवर, और उन नालों की सफाई रेलवे प्रशासन भी नहीं करवा पा रहा है और नगर पालिका परिषद् मुगलसराय भी नहीं करा पा रही है। क्योंकि वह नाला रेलवे की जमीन में है और रेलवे उसकी सफाई कराना उचित नहीं समझता है और इतना बड़ा नाला है कि उसमें कम से कम 20, 25 ट्यूबवेल का पानी प्रतिदिन बहता है और खुलेआम वहां महामारी पैदा हो रही है वहां गन्दगी पैदा हो रही है, वहां का जीवन स्तर रेल कर्मचारियों का खतरे में पड़ रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को हम आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाये हैं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से, संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं कि आप या तो टाउन एरिया मुगलसराय रेलवे को बहाल कर दिया जाये या तो उसके विकास के लिए जो अब तक करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो धन अभी डी0एम0 के पास पड़ा हुआ है उसको खर्च करने की डी0एम0 को ही पावर दे दिया जाय, प्रशासक के रूप में वह काम करे और अधूरे कार्य पड़े हैं उनको पूरा किया जाय। नहीं तो उस पैसे का कोई मायने भी नहीं रह गया जो रेलवे इण्टर कालेज की बाउन्ड्री बनाई है, जो मानसरोवर तालाब वहां हजारों लोग छठ की पूजा करते हैं। मान्यवर, वह अधूरा पड़ा हुआ है जर्जर हो जायेगा, देखरेख के अभाव में उस पर गन्दगी पैदा होगी और उस तालाब, उसके विकास की सुविधा के लिये जो पचास लाख रु0 दिया गया है वह भी नष्ट हो जायेगा। मान्यवर, लोकहित की सारी सुविधायें होने के बावजूद वहां के निवासी उससे वंचित हैं। एक पुरानी कहावत है मान्यवर, जातिसूचक शब्द है इसलिए कृपा कर बुरा मत मानेंगे। जल विच रह पाये, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मान्यवर, वह एरिया विकास शून्य हो गया है उस पर कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह बता दें कि वह कब समाप्त हुआ है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, वहां रेलवे के अधिकारियों की आबादी है भारत सरकार की सम्पत्ति है। जब चुनाव प्रक्रिया चालू हो गयी थी विधान सभा के चुनावों के लिये अधिसूचना जारी हो गयी थी पहले उसको रोक दिया गया। मान्यवर, उसमें चार टाउन एरिया के चुनावों को रोक दिया गया था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वह रेलवे नगर पंचायत वर्ष 2006 में समाप्त हो गयी थी। मान्यवर, आप देखें कि वर्ष 2006 का विषय कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में आज उठाया जा रहा है और इस पर अनुमति दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

इसलिए अनुमति दी जा रही है कि उनका कहना है कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है।

श्री राम किशुन-

-मान्यवर, इसको हल्के ढंग से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपसे ज्यादा से ज्यादा सुबह दस बजे मिलन हो जाता है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, क्या आपसे मिलने पर प्रतिबन्ध होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप शंका मत करें। मैं सबसे ज्यादा समय विपक्ष को देता हूं। अब आपने एक-एक मिनट करके 12 मिनट का समय ले लिया है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, आपने मेरे सवाल को पूरा आने नहीं दिया है। हम कोई भाषण माफिया तो हैं नहीं। मान्यवर, आप इस सवाल को गम्भीरता से लेकर आप चुनाव करवा दें। नहीं चुनाव अगर अभी करा पाते हैं तो वहां के विकास के लिये जो धन दिया गया है उसका उपयोग करने के लिये जिलाधिकारी चन्दौली को अनुमति दिला दें। मान्यवर, यह लोक महत्व का और लोकहित से जुड़ा प्रश्न है मैंने इसकी ग्राह्यता पर अपने विचार आपके समक्ष रख दिये हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम 56 की कुछ सीमायें हैं। यह वर्ष 2006 का विषय है। अगर अब इस सदन में नियम 56 में यह उठा दिया गया तो मैं समझता हूं कि यह नियम 56 के साथ ज्यादती होगी। मान्यवर, आप कहें तो मैं यह पूरी आख्या पढ़ दूं जो वहां से प्राप्त हुई है। या आपरेटिव पोरशन पढ़ दूं।

मान्यवर, यह कुल 1000 एकड़ का क्षेत्रफल है। उसमें जितनी भी जमीन है यह सम्पूर्ण आबादी रेलवे कर्मचारियों की और उनके परिवारों की है। सम्पूर्ण क्षेत्र रेलवे बाउण्ड्री के अन्तर्गत है। इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार की कोई भूमि, भवन, आबादी नहीं है। मान्यवर, इन सारी रिपोर्ट के आधार पर यह वर्ष 2006 में समाप्त किया गया था। इसका कोई औचित्य नहीं था। मान्यवर, जहां तक इस रेलवे सेटलमेंट के निवासियों को अस्थायी निवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रश्न है वह जिलाधिकारी स्तर से किया जा रहा है एवं जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में यदि कोई असुविधा है तो उसे भी जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा यथा नियम रेलवे प्रशासन से सम्पर्क करके समाधान करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब यह हो गया। मैंने इस सूचना पर श्री राम किशुन जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

इसके बाद माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं अन्य की सूचना है मैंने इसको रोक रखा था। मैं इसकी ग्राह्यता को देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह सूचना कल आ जाय तो क्या बुरा है ? आप कल दे दें।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है। सुन लें।

मान्यवर, यह 30 जून, 2007 की घटना है। मान्यवर, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वह हमारी सुरक्षा करेगी और अन्याय के खिलाफ हमको न्याय दिलाने की प्रक्रिया ने हमारा सहयोग करेगी और उन लोगों को दण्डित करेगी जो लोग अपराधी हों या किसी न किसी प्रक्रिया में दोषी हों। मान्यवर, यह बहुत वीभत्स घटना मन को दुःखी करने वाली, मन बहुत व्यथित है मान्यवर, इसको कहते हुए। मान्यवर, एक तीस साल का नौजवान लड़का ग्रेजुएट, दवा व्यापार से सम्बन्धित, एक अच्छे परिवार का जिसके परिवार के ऊपर कोई एनसीआर नहीं हुई है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है न इस लड़के का कोई आपराधिक इतिहास है न इसके खिलाफ कभी कोई एनसीआर पंजीकृत हुई है उसके खिलाफ यह कहा गया कि वह माधोपुरा वाला स्टेशन रेलवे क्रासिंग के पास जो बरेली रबर फैक्ट्री के पास में है वहां पर एक सूमो पर आया और दो लोग उसके साथ में थे और उसके बाद उसको पुलिस की गोलियों से छलनी कर दिया, उसका सिर ए0 के0 47 से उड़ा दिया गया। पुलिस पार्टी ने बिना किसी बात के समझे हुए बिना किसी बात की समुचित जानकारी किये हुए, बिना यह पूछे हुए बिना कि यह कौन हैं कहां से आ रहे हैं क्या करने जा रहे हैं सीधे-सीधे तड़तड़ उसके ऊपर गोलियां चलाकर उसको भून दिया। मान्यवर, एक लड़का पंकज है इसके साथ जिसके छर्रे लगे जिसको जेल भेजा गया और प्रेमशंकर जिसको फरार दिखाया गया है। कहा यह जाता है कि यह प्रेम शंकर नाम का व्यक्ति फरार हो गया और उसके स्थान पर यह मुकुल गुप्ता उस चौपहिया वाहन के स्टेयरिंग पर बैठ गया। हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि यह लड़का मुकुल गुप्ता जिसकी हत्या की गयी है 30 जून को यह चौपहिया वाहन चलाना भी नहीं जानता था। इसकी हत्या के बाद पुलिस ने एक स्टोरी रचने का प्रयास किया कि किसी तरीके से यह दिखा दिया जाय कि इसका अपराधिक इतिहास था यह अपराधिक षड़यंत्रकारी था और वहां यह बताया गया कि कुछ दिन पहले रुद्रपुर जबलपुर में एक पंजाव नेशनल बैंक में एक डकैती हुई थी वहां इसकी फोटो भेजी गयी जब यह पता चला कि यह बिलकुल निर्दोष था, गलत तरीके से मारा गया तो पुलिस विभाग में हड़कम्प मच गया तो यह हुआ कि इसके ऊपर पुराना कोई मुकदमा साबित कर दिया जाय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुराना किसी केस से षड़यन्त्र करके उसके ऊपर कोई केस लगा दिया जाय तो उसकी फोटो और इस बात का प्रयास किया गया कि उस बैंक में जाकर वहां के कर्मचारियों से उसकी पहचान करा दी जाय उसकी शिनाख्त करा दी जाय ताकि यह हो जाय कि यह पहले से बैंक डकैती में इनवाल्व था और इस प्रकार से इसको मारा गया। मान्यवर, वह भी उनका प्रयास निष्फल हो गया 3 तारीख को समाचार पत्रों में भी छपा है और व्यवहारिक स्थिति यह है और वस्तुस्थिति यह है कि थानेदार जो मौके पर गये थे फोटो लेकर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है किसी ने कोई शिनाख्त नहीं की, किसी ने कोई पहचान नहीं की। मान्यवर, बदायूं का यह परिवार रहने वाला है बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है जिसकी हत्या हुई है उसके फादर एक इंजीनियर थे, अधिशासी अभियन्ता थे। अधिशासी अभियन्ता से रिटायर होने के बाद वह अपना व्यापार करते थे इसका एक बड़ा भाई इस लड़के का दिल्ली में है। 4-5 लोगों की फैमिली है। बहुत इज्जतदार लोग हैं बहुत शान्तिप्रिय तरीके से अपना जीवनयापन कर रहे थे और यह लड़का व्यवसाय में संलग्न था। ऐसे निरपराध नवयुवक को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा पुलिस की लापरवाही के कारण। मान्यवर, यह भी कहा जाता है कि एक गाड़ी का पुलिस पीछा कर रही थी, वह गाड़ी रेलवे फाटक पर रुकी और हो सकता है कि वह रुकी हो या चली गयी हो और उसके स्थान पर एक यह दूसरी टाटा सूमो आ गयी और उस पर बैठे लोगों को, बिना यह पूछे बताये, बिना चेतावनी दिये, बिना किसी प्रकार का कोई ऐसा एक्शन किये हुये, कि जब किसी आदमी को मुठभेड़ दिखाकर मारा जाता है तो उसको पहले उसकी गाड़ी में गोली मारते हैं उसके पैर में गोली मारकर किसी प्रकार रोकने का प्रयास करते हैं उसे चेतावनी देते, उससे पूछते कि आखिरकार क्या वजह है, कहां जा रहे हो उससे इंट्रोगेशन करने के बजाय सीधे-सीधे तड़तड़ उसको गोली मार दी। मान्यवर, हर स्थिति में यह हत्या का मामला बनता है और पुलिस की 100 प्रतिशत लापरवाही के साथ-साथ बदनीयती भी है। अगर उन्होंने पूरी तरह से सतर्कता बरती होती, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की होती तो यह पता चल जाता कि यह कौन लड़का है, कहां का है, इससे अपराध से कोई मतलब नहीं और मान्यवर, उसको गोलियों का निशाना बना दिया गया। आप उस बाप और मां से पूछें, उस परिवार पर क्या गुजर रही है। मैं आपके पास अखबार की कटिंग भेज रहा हूं, एक सप्ताह से, 10 दिन से लगातार धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन हो रहे है। बरेली की सड़कें जाम होर रही हैं, थानों का घेराव हो रहा है, बदायूं में प्रदर्शन हो रहा है, पूरा माहौर-वैश्य समाज और पूरा उनके नातेदार रिश्तेदार, यह कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, एक सामाजिक लोग हैं, समाज में उनकी एक पहचान है, वह लोग बड़े-बड़े अधिकारियों से मिले और हर तरीके से न्याय की गुहार की, उन्होंने यह चाहा कि उनकी एफ0आई0आर0 दर्ज हो जाय लेकिन आज तक इस घटना को 9 दिन बीत गये, लेकिन इस घटना की एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की गयी। मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला है और यह पुलिस के चेहरे पर और इस सरकार के चेहरे पर ऐसा बदनुमा दाग है एक निरपराध, निर्दोष नवयुवक का गोलियों से उड़ाया जाना, मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस पार्टी के ऊपर धारा-302 का मुकदमा पंजीकृत कराया जाय, क्योंकि यह हत्या का मामला है और उनके परिवार के लिये आंसू पोछने के

तरीके से, सांत्वना देने के तरीके से समुचित आर्थिक सहायता भी दी जाय। हम लोग भी दुखी है, व्यथित भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना को मैंने कल के लिये कहा था, लेकिन इसकी गम्भीरता को देखते हुये यह सूची में भी है और इस पर आप लोगों के हस्ताक्षर भी हैं, तब भी माननीय खन्ना जी को सुन लिया है, अब अग्रवाल साहब इसमें कुछ नहीं है। माननीय खन्ना साहब आप जो कह रहे हैं, वह आप कहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं तो अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ कनक्लूड करना चाहता हूं, कि इसमें आज की मान्यवर, यहां से निर्देश जारी हो कि तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ जो प्रोसीजर है, उसके अनुसार इवेस्टीगेशन हो।

श्री महेश चन्द-

मान्यवर, में जानता हूं कि उसका किसी तरह का कोई अपराध नहीं। जब मैं बदायूं गया तो लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या कर रहे हो वहां पर, इस तरह एक निरपराध बच्चे को मार दिया और जब उससे मुठभेड़ हुयी तो पुलिस के भी बदले में कोई छर्रा लगता, बदले में कुछ होता, लेकिन कछ भी नहीं हुआ। उसकी फोटो को बैंक में दिखाया लेकिन वहां के बैंक मैनेजर ने स्पष्ट म कर दिया कि यह बच्चे नहीं हैं चूंकि जिन्होंने वह बैंक लूटी थी वह नकाबपोश खुले आम वह लोग गये थे और वहां के बैंक मैनेजर ने स्पष्ट मना कर दिया इस तरह से जो हत्या हुयी है, तो इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, उनको जेल भेजा जाय और परिवार के लिये आर्थिक मदद की जाय। इस प्रकार इस शासन में हो रहा है, कैसे यह अन्याय बर्दाश्त हो, मान्यवर, इसमें पूरा न्याय किया जाय।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह हत्या एक प्रशिक्षु आई0पी0एस0 द्वारा की गयी हैं अभी जो व्यक्ति अपने पूर्णकालिक दायित्व पर नहीं आया है उसने इस प्रकार से प्रशिक्षण लेना शुरू किया है। जब यह व्यक्ति पूरी तरह कार्य करने लगेगा तब किस प्रकार से कानून व्यवस्था को नियंत्रित करेगा, यह इससे स्पष्ट है। इतने दिन हो गये आज तक कार्यवाही नहीं हुयी, मुकदमा नहीं लिखा गया अर्थात स्थानीय पुलिस अधिकारी, जो भी वरिष्ठतम हैं, वह इसे पूरी तरह संरक्षण दे रहे हैं। और अपराध शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार जिसने अपराध किया और जो संरक्षण देता है, सब समान अपराधी है, इसलिये पूरे के पूरे बरेली पुलिस के अधिकारियों पर कार्यवाही हो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे तक और जो भी लोग इस पूरे एपिसोड में रहे हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, अन्यथा पूरे के पूरे शासन और प्रशासन से जनता का विश्वास उठने जा रहा है। अभी बुलडोजर की घटना हुयी, फिर हत्या की घटना हुयी, फिर यौन शिक्षा की घटना हुयी, यह सारा जो मैं कह रहा था कि अधिकारियों पर से नियंत्रण समाप्त हो रहा है....

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना साहब की भावनाओं को देखते हुए मेंने सुन लिया, आप लोग बैठ जाएं माननीय ओम प्रकाश जी खड़े हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैं समझता हूं कि यह सदन में पहली घटना इस सरकार की है जो इनकाउंटर द्वारा निर्दोष व्यक्ति को पुलिस द्वारा हत्या की घटना का उल्लेख हो रहा है। मान्यवर, जब हमने सब परीक्षण कर लिया बरेली के लोगों से पूछ लिया, बदायूं के लोगों से पूछ लिया। महेश गुप्ता जी दो-तीन दिन से कह रहे थे कि इस प्रकरण को उठाया जाए जब मैं सुनिश्चित हो गया कि वाकई पुलिस की यह लापरवाही है जिसमें एक निर्दोष नौजवान की हत्या की गई, तब मैंने उसे उठाया। मान्यवर, ए0के0-47 से जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके सर में गोली मारी जा सकती है और यह कहा गया कि दो भाग गये तो जो भागा उसको गोली नहीं मारी जा सकतीं ए0के0-47 लिया हुआ व्यक्ति गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति के सर में गोली मार सकता है और न तो गाड़ी के टायर में मारा और न भागने वालों को मारा। जब पहचान कराने की कोशिश हुई तो जिस डकैती में उसका उल्लेख किया गया, उसकी एफ0आई0आर0 में लिखा है कि वेनकाब हो करके दो-तीन लोग आये बैंक लूट करके गये। इसका मतलब है कि वहां के अधिकारियों कर्मचारियों ने लूटने वाले को पहचाना, उस केस से जोड़ करके जब उनके फोटो को पहचान कराया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं यह लड़का तो है ही नहीं, यह उसमें संलग्न नहीं है यानि कि पुलिस की कहानी गलत हो जाती है। इसलिए मान्यवर, इस सरकार की विश्वसनीयता का प्रश्न है, यह पहली घटना हुई है आप पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, आप पुलिस का पक्ष लेंगे, निर्दोष नागरिक जिसके मौलिक अधिकार को पुलिस ने छीना है, उसको अगर संरक्षण नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जैसा कि होता रहा है, आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगेगा, यह आपकी परीक्षा है, यह पहली घटना आपके शासनकाल में इस सदन के अन्दर इनकाउंटर की आई है कि निर्दोष व्यक्ति को दिन-दहाड़े मार दिया। यह भी नहीं कि पकड़कर रात में ले जाकर मारा हो, जैसे दौड़ा करके केस बनाते हैं। रेलवे क्रासिंग के पास खड़ी गाड़ी में मारा और यह केस बना दिया कि दो भाग गये। इए मान्यवर, यह सरकार की विश्वसनीयता का भी पहला प्रकरण है मैं उम्मीद करता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री जी इस बात को गम्भीरता से लेंगे और जो उसमें संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर इस सदन को सूचित करेंगे, अन्यथा आप असन्तोष को जन्म देंगे। मान्यबर, इतना ही कहकर में इस नोटिस पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस प्रकरण पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या के अनुसार 30-06-2007 को जनपद में प्रशिक्षणाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक को मुखबिरखास से सूचना मिली कि कुछ बदमाश नगर क्षेत्र में बैंक लूट की एक बड़ी बारदात को

टाटा सूमो नम्बर यू0पी0-26 बी'9721 से अंजाम देने जा रहे हैं। अतः इस सूचना पर सहायक पुलिस अधीक्षक अपने गनर कांस्टेबिल 253 गौरी शंकर विश्वकर्मा एवं थानाध्यक्ष सीवी गंज श्री विकास सक्सेना को साथ लेकर उपरोक्त वाहन का पीछा करने लगे कि समय लगभग साढ़े ग्यारह बजे दोपहर उपरोक्त वाहन को रोकने का इशारा किया जो उक्त वाहन नहीं रुका तथा उक्त वाहन में बैठे हुए बदमाशों ने अन्दर से ही बैठे-बैठे पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। इस पर अपना बचाव करते हुए पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की तथा कांस्टेबिल 253 गौरीशंकर विश्वकर्मा ने आत्मरक्षार्थ अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अदब-बे-आस का परिचय देते हुए बदमाशों पर ए0के0-47 से फायरिंग की। इस बीच थानाध्यक्ष फतेहगंज पश्चिमी श्री डी0 के0 शर्मा भी मौके पर फोर्स सहित पहुंच गये। पुलिस पार्टी और बदमाशों के मध्य हुई मुठभेड़ व फायरिंग के दौरान एक बदमाश मौके पर मारा गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा देशी नाजायज 12 बोर, दो कारतूस जीवित बरामद हुए। मारे गये व्यक्ति की शिनाख्त बाद में डी0 के0 गुप्ता निवासी 209, कटरा ब्रह्मपुरा थाना कोतवाली बदायूं के रूप से हुई है। एक अभियुक्त मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम पंकज शर्मा उर्फ करन पुत्र राजकुमार निवासी रिठौरा, थाना हाफिजगंज, बरेली ज्ञात हुआ। जिसके पास से एक तमंचा देशी नाजायज 315 बोर व 2 कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ तथा एक अन्य अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। मौके से भागे अभियुक्त के बारे में छानबीन करते हुए पता लगा कर उसकी गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। उक्त घटना में प्रयुक्त की गयी टाटा सूमो की तलाशी के दौरान एक तमंचा देशी नाजायज 0.25 बोर मय 4 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। इस गाड़ी में ही विभिन्न बोर के 8 खोखा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त पंकज शर्मा मजरूब दशा में था जिसे उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ट अधिकारियों द्वारा किया जा चुका हैं उल्लेखनीय है कि दिनांक 18-05-07 को कस्बा गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर (उत्तराखंड) में पंजाब नेशनल बैंक में घटित हुई घटना के वादी श्री अरविन्द गर्बयाल, प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक गदरपुर भी आज दिनांक 30-06-07 को मौके पर आ गये जिनके द्वारा मृतक मुकुल गुप्ता उपरोक्त के शव एवं टाटा सूमों से बरामद उसके फोटो को देखकर उनके बैंक में उसी के द्वारा रु0 6,22,618 की डकैती की घटना को अपने अन्य साथियों के साथ अंजाम देना बताया गया। इस सम्बन्ध में थाना गदरपुर पर मु0अ0सं0-829/07 धारा-385/397 भादं0वि0 पंजीकृत हैं यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पुलिस मुठभेड़ की घटना के दौरान मौके से गिरफ्तार किये गये अभियुक्त पंकज शर्मा द्वारा अपने उक्त साथी मुकुल गुप्ता आदि के साथ थाना कोतवाली जनपद बरेली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 4-05-07 को 4,50,000 रुपये की लूट की घटना कारित किये जाने की भी स्वीकारोक्ति की गयी हैं इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-1059/07 धारा 392 भा0दं0वि0 पंजीकृत है। विवेचना प्रचलित है।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

गौरी शंकर जी कोई चर्चा नहीं हो रही है। कृपया आसन ग्रहण करिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक घटना का उल्लेख आपके सामने हुआ, सारी परिस्थिति उस घटना के सम्बन्ध में संक्षेप में रखी गयी और आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पढ़कर सुना दिया कि देशी तमंचा व कारतूस निकला। उसकी तो बात कह दी। एक पृष्ठभूमि रखी गयी कि अधिशाषी अभियन्ता का बेटा है आभूषण की दुकान है और खुद मेडिकल रिप्रजन्टेटिव है यह तो उसकी पृष्ठभूमि है। मान्यवर, कोई उसका आपराधिक इतिहास बदायूं, बरेली और उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं हैं सारी परिस्थिति को देखते हुए अगर हमने यह बात कही है, अगर आपकी आत्मा गवाही देती हो, आपके मन में कुछ इस बात का विश्वास हो कि किस तरह से इस देश में रक्षा की जायेगी उन लोगों की जो आम आदमी की तरह सड़क पर घूम रहे हैं। आप बता दें कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार है ? हमारी मांग यह है कि एफ0आई0आर0 दर्ज की जाए, नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के लिए हमने वहां लिखकर दिया हुआ है, जांच की एजेंसी आप तय कर दें, स्थानीय पुलिस जांच करने वाली है नहीं, न ही उस पर हमें विश्वास है। हमारी दो मांगें हैं, हम सी0बी0आई0 की जांच की मांग नहीं कर रहे हैं, सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच की मांग कर रहे हैं और मुकदमा कायम करने की मांग कर रहे हैं। इस पर हम संसदीय कार्य मंत्री जी का पक्ष चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी तक जो स्थिति रही है, उसको बताया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब इस स्थिति के बाद निश्चित रूप से जो स्थिति यह बतायी गयी है इसके अनुसार विवेचना प्रचलित है तो जब यह विवेचना प्रचलित है तो इसमें अन्य की जरूरत क्यों है ? दूसरे जब इस तरह की घटनायें होती हैं।

श्री हुकुम सिंह-

इससे ज्यादा निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री विद्या सागर गुप्ता तथा श्री सुरेश चन्द्र तिवारी आदि भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए)

(वेल में उपस्थित सदस्य मुकदमा पंजीकृत किये जाने की मांग करते हुए नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना तो अस्वीकृत हो चुकी थी लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुए ही मैंने आपको सुना। मैंने परम्परा से हटकर आपको सुना। इसी के साथ-साथ श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री छत्रपाल सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री हुकुम सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री दीनानाथ कुशवाहा, श्री अशोक सिंह, श्री राम किशुन, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है। मैंने यहां पर रिपोर्ट पढ़ने के लिए प्रस्ताव नहीं दिया था। इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 जांच करा लें। डी0आई0जी0 या उच्च स्तर के अधिकारी पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना होता...

(व्यवधान जारी)

श्री लालजी वर्मा-

वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक की रिपोर्ट है लेकिन अगर सदस्य को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि इसकी पुलिस उपमहानिरीक्षक से जांच करवा लेते हैं।

(फ्लोर पर खड़े सदस्यगण पहले मुकदमा पंजीकृत किये जाने की मांग करते रहे।)

(श्री लालजी टण्डन ने भी उक्त मांग का समर्थन किया)

श्री अध्यक्ष-

यही तो आपके नेता ने मांग की थी कि डी0 आई0 जी0 जांच करवा दीजिए आप अपने नेता की भावना का आदर करिये। आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर जायें। अपने नेता से क्यों कन्ट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

उसके पिता जी की तरफ से, उसके साथियों की तरफ से लिखित रिपोर्ट दी हुई है। इतने दिन हो गये है उस रिपोर्ट के आधार पर एफ0आई0आर0 दर्ज हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक एफ0आई0आर0 दर्ज नही हुई है। क्या एफ0आई0आर0 दर्ज हो चुकी है, अगर नहीं दर्ज हुई है तो संसदीय कार्य मंत्री बतायेंगे कि आज एफ0आई0आर0 दर्ज हो जायेगी? एफ0आईआर0 दर्ज होने के बाद में जाँच होगी मान्यवर, जब तक एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो जायेगी उस जाँच का औचित्य क्या रह जायेगा ? मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैंने लॉ भी किया और भी शिक्षा प्राप्त की। मैं क्रिमिनल का लीडिंग लॉयर भी रहा हूं। यह तो बता दें मुझको संसदीय कार्य मंत्री जी कि कम से कम एफ0आई0आर0 तो दर्ज होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री

जी रोज कहती हैं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा गया कि कोई भी मामला हो एफ0आई0आर0 दर्ज होगी। अगर हम एफ0आई0आर0 दर्ज कराना चाहते हैं तो फिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। यह हमारा अधिकार है मान्यवर, जब तीन साल पुरानी दर्ज हो रही है तो क्या हमारी नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें।

(अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

श्री हुकुम सिंह-

आप उसको एक मिनट में खारिज कर दीजिये लेकिन मुकदमा दर्ज कराना हमारा अधिकार है। एफ0आई0आर0 क्यों नहीं दर्ज की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष-

इसकी गम्भीरता को माननीय ओम प्रकाश जी और सुरेश कुमार खन्ना जी ने रखा और मैंने सुना आप लोगों को सुना आप लोगों के विचार आ गये। माननीय दल के नेता श्री ओम प्रकाश जी ने कहा कि डी0आई0जी0 से जांच करा लें उस जांच में मुकदमा दर्ज हो न हो वह भी बात आयेगी और उसमें गलत किया गया है तो उसका भी उसमें उल्लेख हो जायेगा इस बात को माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि ठीक है मैं डी0आई0जी0 से जांच कराऊंगा। उसमें यह विषय भी आ सकता है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय। अगर पुलिस ने दुरुपयोग किया है अपनी ताकत का तो जांच में यह विषय भी आ जायेगा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय। जब एक नेता ने इस तरह का कहा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया, तो डी0आई0जी जांच पर भरोसा रख लें। समय पाबन्द करा लें कि समय के अन्दर करा दें, जल्दी करा दें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम भी कुछ कह रहे हैं। खन्ना जी, राकेश जी, आप बात न करें।

श्री अध्यक्ष-

अरे बात करने दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि वहां पर तो दूसरा रंग दिया गया घटना को। रंग दिया गया कि हमने बहुत खतरनाक गैंग का सफाया कर दिया डी0आई0जी0 साहब वहां पर पुरुस्कृत करने जा रहे हैं, उनसे आप जांच करा रहे हैं। मेरी पीड़ा तो देख लीजिए मान्यवर, हमारा जवान बच्चा मर गया दिन दहाड़े 11 बजे बरेली शहर में गोलियों से भून दिया गया। हम आन्दोलित हैं,

आज हम यह भी उम्मीद नहीं करते कि हमारी एप्लीकेशन पर एफ0आई0आर0 दर्ज हो जाय ? एफ0आई0आर0 गलत होगी हमारी आप खारिज कर दें। लेकिन एफ0आई0आर0 दर्ज तो कीजिये। मान्यवर, हत्या का मामला है, हम आन्दोलित हैं इसलिये आग्रह कर रहे हैं। आज तक के विधान सभा के इतिहास में कोई मामला बता दें कि जब विपक्ष ने मांग उठाई हो इस तरह की। हम संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं हमने एक बार मना नहीं किया।

(सत्ता पक्ष की तरफ से शोर)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय हुकुम सिंह संसदीय कार्य मंत्री थे यहां पर हमने कितनी बार उठाये हैं। कितना इनकाउन्टर हुआ हैं एक नहीं पांच नाम बतायेंगे।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इतनी संवेदनहीनता। जब 302 के मुकदमे की एफ0आई0आर0 दर्ज न हो तो यह छोटे मुकदमे की क्या दर्ज करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, आप खुद मानते हैं कि पुलिस वालों ने गोली मारी है। दिन दहाड़े मामला हुआ है। गवाह वहां पर है।

श्री अध्यक्ष-

डी0आई0जी0 से जो जांच कराई जा रही है वह इन्हीं बिन्दुओं पर कराई जा रही है। आपके नेता ओम प्रकाश जी ने डी0आई0जी0 से जांच के लिये कहा और उसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मान भी लिया है। आपके नेता ही ने कहा था। जब आपके दल के नेता ने कहा है और मान लिया गया है तो भरोसा रखिये। नेता ने मांग किया है और उस मांग के अनुरूप हो गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नहीं मान्यवर, डी0आई0जी0 से हमने नहीं कहा। डी0आई0जी0 जांच करने का अधिकार क्या रखता है। आप सी0बी0सी0आई0डी0 से, सी0बी0आई0 से तो नहीं कहा। इन्हीं के प्रदेश की तो इकाई है सी0बी0सी0आई0डी0।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जांच का एक तरीका होता है। जांच के बिन्दु तय होते हैं। एफ0आई0आर0 दर्ज होती है। एफ0आई0आर0 में जो रिपोर्ट लगायी जाती है वही उसकी जांच के बिन्दु होते हैं। काहे की जांच करा देंगे। कौन से प्वाइन्ट ऑफ डिफरेन्स हैं जिसकी जांच करा देंगे। अगर निर्दोष होंगे तो वह छूट जायेंगे और अगर दोषी होंगे तो यह सदन की प्रोसीडिंग में नोट होगा अगर वह दोषी पाये जायेंगे .... (व्यवधान)

वरना और भी फोरम हैं अगर यह सदन न्याय नहीं देगा तो मानवाधिकार आयोग है। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन जेल काट रहा है, फर्जी मुठभेड़ में। एक जवान मार दिया जाए इतनी गम्भीर घटना हो जाए और उसके लिए एक एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो सकती है। यह इतनी निरंकुशता हैं मैंने बजट में पहले ही कहा था कि इस निरंकुश पुलिस पर आप क्या रिपोर्ट करेंगे। यहां किसके बल पर शासन करेंगे। पुलिस की निरंकुशता लगातार देखने को मिल रही है। कहीं-कहीं खुदकशी पर मजबूर किया जा रहा है कहीं इन्काउन्टर किया जा रहा है। आपको इसमें जांच कराने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में आपकी कौन सी शान घटी जा रही है यह तो बड़प्पन होगा आपके इतने सदस्य यहां पर बैठे हैं उनकी भावना का ध्यान रखें। आप स्वयं कह दें कि एफ0आई0आर0 दर्ज होगी जो दोषी हैं उनकी जांच सी0आई0डी0 से करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह जो घटना है....

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे।)

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना को पहले निरस्त किया जा चुका है आपका सम्मान किया गया इसलिए सुन लिया गया। सूचना तो पहले ही निरस्त हो चुकी है।

(व्यवधान)

(मा0 सदस्य सदन [illegible] ार से नारे लगा रहे थे। 'हत्यारों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी')

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना निरस्त हो चुकी है। डी0आई0जी से जांच का मसला आ गया। सरकार का [illegible] गया है।

[illegible]ा के सदस्यगण अपनी मांग पर अड़े रहे और सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे)

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,10,02,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-52 भी ले लें।

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,69,91,000 रुपये से अनधिक [illegible] की जाय।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे।)

(व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,46,33,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, इस पर कुछ कहना है ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बहुआयामी विकास होने के बावजूद राज्य का प्रमुख व्यवसाय आज भी कृषि है। अधिकतर जनता कृषि तथा इस पर आधारित अन्य व्यवसायों से सीधे जुड़ी हुई है जिसके महत्वपूर्ण कारक भूमि सम्बन्धी अभिलेखों के रख-रखाव, चकबन्दी का कार्य, भूमि सुधार कार्यक्रमों का सृजन एवं संचालन तथा प्रदेश के संसाधनों में वृद्धि के लिए मुख्य देय एवं विविध देयों की वसूली का कार्य राजस्व विभाग को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग अन्य विभागों की सामयिक आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में भी राजस्व प्रशासन की प्रमुख भूमिका है।

(व्यवधान जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती का प्रस्ताव रखें। मा0 श्री मुलायम सिंह यादव , श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम किशुन, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री उदय राज, डा0 कौशल किशोर, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री इमरान मसूद और श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही। इसमें कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखेंगे ?

(किसी सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, बहुत सुन लिया गया, आप जांच पर भरोसा रखिए। अब अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। डी0आई0जी0 की जांच हो रही है, अगर नहीं होती है तो सदन में लाइये। आप समय सीमा तय करा लीजिए। माननीय ओम प्रकाश जी, आप समय सीमा तय करा लीजिए कि इतने दिन में डी0आई0जी0 की जांच रिपोर्ट आ जाए और न आए तो इसके बारे में जो भी स्थिति है, वह आ जाए। आप समय सीमा तय करा दीजिए कि इतने दिन में जांच की रिपोर्ट आ जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जांच की बात बाद में आयेगी, एफ0आई0आर0 तो दर्ज होनी चाहिए। अध्यक्ष जी हमारी मांग है कि एफ0 आई0 आर0 तो दर्ज हो। क्या एफ0आई0आर0 दर्ज कराना हमारा हक नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, जिस विषय की घटना का उल्लेख किया गया है, हो सकता है कि जिस तरह से फर्जी इन्काउन्टर हुआ है, जो अधिकारी उसमें लिप्त हैं, इन्हीं सब बिन्दुओं की जांच हो रही है। आप समय सीमा तय कर लीजिए। जांच में सब स्पष्ट हो जायेगा कि वह चाहते क्या हैं कि एफ0आई0आर0 दर्ज होगा या नहीं दर्ज होगा और उस जांच में क्या है। हो सकता है कि वह दोषी पाए जायें जो इन्काउन्टर में इन्वाल्व हैं, पुलिस के कर्मी हो सकता है कि उन पर मुकदमा कायम करने की भी बात आ जाए। एक भरोसा रखिए।

(व्यवधान जारी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना सुन लिया। मैंने इसकी गम्भीरता को देखते हुए सूचना को सुन लिया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह कानून हैं उस घटना के सम्बन्ध में है। मैं चाहता हूं तो मेरी लिखित रिपोर्ट के आधार पर या मेरी मौखिक सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज होगी। यह देश का कानून है। मेरी सूचना पर एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी। आपको यह अधिकार है कि मेरी एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बाद आप उसे गलत मान लें।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। बहुत से मुकदमे दर्ज होते हैं, जांचों के बाद मुकदमे दर्ज हुए हैं। जांचें हुई हैं और जांच में आ गया कि मुकदमा कायम किया जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि हर मामले की एफ0आई0आर0 दर्ज होगी।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, दो बिन्दु हैं। इस घटना में मुकदमा अपराध संख्या-1059/07 धारा 392 भारतीय दण्ड विधान दर्ज है। विवेचना भी जारी है। नेता भाजपा ने कहा कि इसका उच्चस्तरीय परीक्षण करा लें तो हमने डी0आई0जी0 से जांच की बात कह दी। मान्यवर, एक ही उपबंध 2 सूचना नहीं दी जा सकती। इस तरीके से तो यह अग्राह्य पूरी तरह से है। तो जो सूचना अग्राह्य है उसमें निश्चित रूप से इस तरह का दबाव डालना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

श्री हुकुम सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, मैंने शुरू में कहा कि मैंने यह सूचना स्थगित कर दी है कल इसकी सूचना दे दें। तो इन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है। माननीय खन्ना जी, आप दे दें, हो सकता है कि इसको मैं प्रथम नम्बर पर सुन लूं। यह मैंने निवेदन किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर इन्होंने इसे गम्भीर माना होता तो इसको यह पहली सूचना के रूप में लेते। लेकिन उन्होंने इसे पहले नम्बर पर नहीं माना। मान्यवर, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है इसलिए इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने निवेदन किया था कि कल यह सूचना दे दें तो मैं इसको प्राथमिकता के आधार पर सुनूंगा, लेकिन मैंने आपकी भावनाओं का आदर किया और इसको भी सुन लिया गया। सरकार को भी कहीं न कहीं आकर कहना पड़ा। चौधरी साहब आप कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं। अभी यह लोग नहीं चाहते कि अनुदान मांगों पर चर्चा हो। तो क्या किया जाए। इसके लिए चौधरी साहब क्या करें ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि धारा 392 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज है उसकी जांच करेंगे। हम धारा 302 में मुकदमा चाहते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण वेल पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आज जितने हल्के तरीके से इस गम्भीर घटना को लिया जा रहा है, 392 का इनके लिए महत्व हो गया, 392 में लूट का मामला है, और यह मामला नहीं है कहीं भी, 392 के मुकदमे की घटना की जांच कराने की आप बात कर रहे हैं, वह डी0आई0जी0 करें या कोई करे, वह जो भी करेंगे वह जब करेंगे तो 392 का जो मुकदमा होगा उसके आधार पर करेंगे। हम 302 की रिपोर्ट दे चुके हैं, पहले उसकी रिपोर्ट तो दर्ज हो जाय। घटना में नौजवान बच्चे की निर्मम हत्या हुई है, दिन दहाड़े हत्या हुई है, खुले आम बाजार में हत्या हुई है, उसके मां बाप तड़प कर कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर दिया जाय, मुकदमा दर्ज करने में क्या है, जेल तो एक दम से चले नहीं जायेंगे। कम से कम मुकदमा तो दर्ज कर दिया जाय। आप कह रहे हैं कि 392 में मुकदमा कायम हो गया है उसके आधार पर जांच करायेंगे। इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि एक कैबिनेट स्तर का मंत्री सदन में उठकर यह कहें कि मुकदमा चूंकि 392 का कायम हो गया इसलिए आपके मुकदमें की आवश्यकता नहीं है, हम उसके आधार पर जांच करायेंगे। आप 302 के अन्तर्गत जांच कराने को तैयार नहीं हैं एफ0आई0आर0 दर्ज कराने को तैयार नहीं हैं हमें तो आपका संरक्षण मिलना चाहिए था। आप हमें संरक्षण दें, आपने दिया भी हैं मान्यवर, आपने हमको सुना है, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ-साथ यह भी देखें कि हम जो भावुक होकर अपनी बात रख रहे हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। वह हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था एक नौजवान था, एक अधिशासी अभियन्ता का पुत्र था, एक मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव था, एक आभूषण बिक्रेता का पुत्र था, उस पर 392 की फर्जी धारा दिखाकर उसकी हत्या कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वह हत्या फर्जी है, फर्जी मुठभेड़ दिखायी गयी है। सारी परिस्थिति आपके सामने है केवल इतनी सी बात हमारी स्वीकार नहीं होगी कि लिखित सूचना के आधार पर हमारी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होगी। इतना भी संरक्षण हमको नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप हमें नहीं सुनेंगे। आज अनुदानों की मांगों पर चर्चा है और बहुत से माननीय सदस्य इसमें बोलना चाहते हैं। आप दूसरे माननीय सदस्यों का हक न मारें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन की वेल में और रिपोटर्स की टेबिल के पास खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे व्यवधान की स्थिति बनी रही)

श्री अध्यक्ष-

डी0आई0जी0 की जांच पर भरोसा रखिये, उसमें टाइम बना लीजिए। एक बिन्दु उसमें और यह जुड़वा दीजिए कि जांच का विषय बने कि मुकदमा दर्ज करने वाले बिन्दु पर भी जांच हो। केवल 392 वाले बिन्दु पर ही नहीं जांच हो। इस बिन्दु को भी जुड़वा लें।

माननीय खन्ना जी, इस तरह से नारेबाजी करने से आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा ? इस बिन्दु पर जब सरकार कुछ कहना चाह रही है और आप उसको सुनने को भी तैयार नहीं हैं तो फायदा क्या है ? अगर आपका केवल नारेबाजी से ही काम चल जाये तो चला लीजिए। सरकार कुछ कहना चाहती है, पहले आप उसे सुन लें, न पसन्द हो, तो आपका अधिकार है आप जो चाहे करें, आपका विरोध करने का तौर तरीका है, लेकिन पहले सरकार की सुन तो लें। आप सरकार की बात दो मिनट भी सुनने के लिए तैयार नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मैं यह कह रहा था कि माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय सदस्य खन्ना साहब, आप लोग यह चाहते थे कि उस पर मुकदमा दर्ज हो जाय जो दोषी पुलिस हो, इधर से फिर आया कि नहीं इसकी एक जांच कराई जाय। आपने कहा कि इस घटना की जांच कराई इसकी एक जांच कराई जाय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि ठीक है। इस घटना की डी0आई0जी0 से जांच कराई जाये। आपकी ही मांग है कि इसकी जांच कराई जाय,सी0बी0सी0आई0डी0 से आपने शुरू किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पहले एफ0आई0आर0 की बात आई है। सी0बी0सी0आई0डी0 जांच की बात किसी ने पहले नहीं की।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप लोग न माने तो कार्यवाही की कापी निकलवा कर देख लीजिए। फिर भी मैं आपकी बात मानता हूं, सी0आई0डी0 जांच कराई जाय, फिर जो बात आई हो, लेकिन यह सुना कि माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि डी0आई0जी0 से जांच करा लें। यह जांच किस मसले की मांग कर रहे हैं आप।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पहले घटना की एफ0आई0आर0 हो, उसके बाद जांच हो।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में आग्रह कर रहा हूं। सी0आई0डी0 की जांच की जो हमने मांग की है उसका तात्पर्य यह है कि जब तक कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होगी, सी0आई0डी0 की जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर हमने सी0आई0डी0 जांच की मांग की है तो यही सोच कर की है कि एफ0आई0आर0 दर्ज होगी, सी0आई0डी0 सारे प्रकरण की जांच करेगी। मान्यवर, मुकदमा कायम किया आपने 392 के अन्तर्गत, उसमें तो आपका वर्जन आ गया। अब 302 का मुकदमा हमारा कायम हो जाय, जो 392 का मुकदमा आपका पहले से कायम है तो 302 का मुकदमा हम चाह रहे हैं कि कायम हो जाय। हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि 302 का मुकदमा कायम होते ही उनको फांसी पर आप लटका दीजिए। 392 में जो आपने कायम करा दिया, आपका वर्जन आया कि लूट हुई है, मुकदमा कायम हो गया। हम कह रहे हैं कि हत्या हुई है तो हमारे कहने के अनुसार भी तो मुकदमा कायम हो जाये। उसके बाद में जांच एजेंसी का प्रश्न आता है मान्यवर। जांच का प्रश्न क्यों है इसमें यह माना जा रहा है कि लोकल पुलिस इन्वाल्व है तो उससे हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की जो दूसरी जांच एजेन्सी है सी0बी0सी0आई0डी0 उससे हम जांच की मांग कर रहे हैं। मान्यवर, मुकदमा 392 में हो गया है तो 302 में भी हो जाये। फिर दोनों प्रकरणों की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच हो जायेगी।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट की स्लिंग आयी है। उसमें है कि यदि इस प्रकार की घटना होती है और उसमें 156(3) में यदि मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी या एफ0आई0आर0 के आदेश करता है तो उस सम्बन्ध में यदि पहले कोई मुकदमा लिखा गया है तो वह भी उसमें शामिल कर लिया जायेगा। और शामिल करके उसकी सुनवाई की जायेगी।

(सदन के वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुन लें जो डी0आई0जी0 की जांच हो रही है उसमें उस बिन्दु को भी ले लें जो आप दोषी पुलिस कर्मियों की बात कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, डी0आई0जी0 से जांच करायी जायेगी जैसे आपके निर्देश हैं। डी0आई0जी0 की जांचोपरान्त यदि अन्य कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो वह भी की जायेगी। बिना जांच के किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, जो वर्जन आया है एक अपराधी के कहने से, एक अपराधी मारा जाय। डकैत मारा जाय और डकैत कहे कि रिपोर्ट लिख लो। मान्यवर, आप देखें बैंक लूटने जा रहे थे। मान्यवर, अगर बैंक लूटने से बचाने की दिशा में काम सही हो तो क्यों एफ0आई0आर0 करेंगे ?

(सदन के वेल में खड़े सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना कहने लगे कि यह विल्कुल गलत है)

श्री लालजी वर्मा-

डी0आई0जी0 की मान्यवर जांच रिपोर्ट आ जाये जो भी उसमें बात आयेगी तो उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

जो मुकदमा दर्ज करने की बात है, उस जांच के लिये 4-5-10 दिन का समय निर्धारित कर लें। पूरी जांच आ जाये तो कोई बात हो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में विभाजन हो गया है। एक ग्रुप का नेतृत्व माननीय हुकुम सिंह जी कर रहे हैं और एक ग्रुप का नेतृत्व माननीय ओम प्रकाश सिंह जी कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के विचार को मानने का आपने काम नहीं किया है।

(सदन के वेल में खड़े भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल कहने लगे कि "कोई विभाजन नहीं हुआ है") (सदन के वेल में खड़े सदस्यगण नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब आप अपना कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं। यह लोग चर्चा नहीं चाहते हैं। यह अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं चाहते हैं। सरकार का पक्ष नहीं जानना चाहते हैं तब हम क्या करें। हम तो चाहते हैं कि सदन व्यवस्थित हो जाये और चर्चा हो जाये।

आप यह कहें कि अगर दोषी पुलिस कर्मी हैं तो वह भी उसमें जांच का बिन्दु रहे। उस बीच में जांच रिपोर्ट उनकी आयेगी तो आपको मौका मिलेगा। वह गलत आयी है आप यह कह सकते हैं। आप उन्हें जांच का मौका तो दे दें।

आप लोग सुन तो लें। उस बिन्दु की भी जांच करायी जाय उस बिन्दु की जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाये फिर आपका अधिकार बनता है अपनी बात कहने का कि आप उससे संतुष्ट होते हैं कि नहीं। फिर नियमों में आप आइये अभी 27 तक बैठ रहे हैं। समय निर्धारित कर दे और यह बिन्दु भी उल्लेख हो जाय कि वह मुकदमा पुलिसकर्मी के विरुद्ध दर्ज हो कि न हो उसको भी जांच का विषय बना दे वह निर्धारित समय में आ जाता है तो ठीक है नहीं आता है तो 27 तक बैठ रहे हैं, आपको 4 दिन बाद फिर मौका मिलेगा। खन्ना साहब इन नारों से लाभ नहीं मिल पायेगा केवल आप हल्ला करके संतुष्ट कर सकते हैं उस परिवार को। अगर कहना है तो जांच पर भरोसा रखिये नहीं तो हो जायेगा कि जांच आपने कराया ही नहीं। इसलिए जांच पर भरोसा रखिये। मैं एक चीज कह रहा हूं कि समय निर्धारित करा दें उसमें यह बिन्दु ले लें कि मुकदमा पुलिसकर्मी के विरुद्ध चले या न चले। इसकी भी जांच होकर के आ जाय, आप संतुष्ट न हो तो आप फिर नियमों में लाइये, सदन लम्बे समय तक बैठ रहा है। आप फिर आइये उस पर चर्चा हो जाय अनुदान मांगों पर। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय सदस्य, ठीक है आपकी एक

मांग है सत्ता पक्ष की तरफ से आया कि मैं डी0आई0जी0 से जांच कराऊंगा आपकी और मांग है। मैंने अपनी तरफ से सोचा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए कि दो दिन चार दिन पांच दिन का समय निर्धारित हो जाय और उस जांच में इस बिन्दु को जरूर जोड़ा जाय कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जो इस तरह की आशंका है कि निर्दोष लड़के को ले जाकर मारा है वह जांच का विषय यह भी बने कि वास्तव में इन लोगों ने निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है या इन्काउन्टर किया है जो भी हो और उसका एक समय निर्धारित हो जाय कि मुकदमा उनके विरुद्ध जांच हो कि न हो, यह भी डी0आई0जी0 की रिपोर्ट आ जाय। लम्बा समय न हो उस समय में आ जाय। इसके बाद आप, फिर सत्र चल रहा है उठा सकते हैं कि मैं उस जांच से असंतुष्ट हूं जिस जांच को आपने डी0आई0जी0 से कराया हैं लेकिन इस बिन्दु का संकेत जरूर हो जाय कि जो उनके ऊपर मुकदमा कायम होना है दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ, जो दोषी पुलिसकर्मी है या निर्दोष हैं या जो भी हो, उनके खिलाफ इस बिन्दु पर जरूर जांच कराकर सदन में दो दिन चार दिन, पांच दिन में आप मंगवा लीजिए। अगर हम लोग संतुष्ट होंगे या न संतुष्ट होंगे तो यह आपका पूरा अधिकार है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी मैं सुन रहा था, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि डकैती का इल्जाम अगर किसी पर हो तो क्या उसके खिलाफ एफ0आई0आर लॉज होगी। मान्यवर, कानून का देश है अगर किसी ने डकैती की है तो डकैती की एफ0आई0आर0 होगी लेकिन यह नहीं होगा कि अगर किसी ने डकैती की है तो उसका इन्काउन्टर कर दिया जाय। यह कानून नहीं है। आप कार्यवाही निकालकर देख लें माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने ऐसा ही कहा है। मान्यवर, एक बड़ी पार्टी पर खासतौर से समाजवादी पार्टी पर 3, 3, साढ़े तीन साल पुराने मामले की एफ0आई0आर0 हो रही है, मैंने अपने मामले में भी यही कहा था कि आपको यह अधिकार है कि किसी भी मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दे और एफ0आई0आर0 कराने वाले के खिलाफ 182 बनवा दे लेकिन एफ0आई0आर0 अवश्य दर्ज करें। इस मामले में भी अगर ऐसा हो, आप पहले एफ0आई0आर0 दर्ज कर लें, फिर जांच करायें, बिल्कुल भी नाजायज निकले तो आप फाइनल रिपोर्ट लगाये और उनके विरुद्ध 182 का मुकदमा भी दर्ज करायें।

श्री अध्यक्ष-

हम लोग उसी पर लग रहे हैं एक सरकार पक्ष की तरफ से आया कि जिस लड़के का इन्काउन्टर हुआ या बैंक डकैती करने गये थे इतने लाख की डकैती हुई वहां के प्रबन्धक ने फोटो से पहचान कर दिया कि यही लड़का है जो बैंक डकैती करने गया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बस यहीं हम आपसे न्याय चाहते हैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तिफाक है। एफ0आई0आर0 कराने का हर हिन्दुस्तानी का अधिकार है। उसे आप छीनेंगे तो अराजकता को न्योता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

उसी अधिकार के संरक्षण में, सदन बैठ रहा है माननीय ओम प्रकाश सिंह जी है, माननीय हुकुम सिंह जी हैं 5 दिन, 6 दिन, 2 दिन, एक दिन में इस बिन्दु का संकेत करा दें कि पुलिसकर्मी दोषी हैं इस बिन्दु पर भी जांच किया जाय कि उस बच्चे का या उस व्यक्ति का इन्काउन्टर नहीं बल्कि उसकी हत्या की गयी है इस बिन्दु को भी जांच के विषय में जुड़वाकर 2 दिन 4 दिन में सदन में मंगवा लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अगर वह निर्दोष है तो आपको पूरा अधिकार है, अपनी बात को रखने का। मैं इसको पूरी गम्भीरता से ले रहा हूं। यह बिन्दु साफ हो जाय कि पुलिसकर्मियों ने उनकी हत्या की है, 2-3 दिन में मंगवा लें, 4 दिन में मंगवा लें, जो आप चाहे सदन अभी 27 तक बैठ रहा है। मैं यह भी समझ रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय हुकुम सिंह जी कोई बात कहेंगे तो किसी को संतुष्ट करने के लिये या कोई इस तरह की खबर बनाने के लिये नहीं करेंगे। दो दिन चार दिन में यह बात आ जाय। आप तीन दिन का समय ले लें और अगर आप जांच से नहीं संतुष्ट हैं आपको पूरा अधिकार है जो चाहें आप करवा लें। जिस बिन्दु पर चाहें आप करवा लें। चाहे सी0आई0डी0 जांच के लिये करें चाहे जो भी करें, एक निश्चित बिन्दु पर जांच करवायें। हम नहीं कह रहे हैं कि 392 पर जांच हो, मैं कह रहा हूं कि उस बिन्दु का भी संकेत हो जाय कि एक पुलिसकर्मी द्वारा उस नौजवान की हत्या की गयी, इसका भी संकेत हो कि सरकार इस बिन्दु की भी जांच करावे कि वास्तव में पुलिसकर्मियों ने उस नौजवान की हत्या की या इन्काउन्टर किया है। मैं इसे गम्भीरता से ले रहा हूं। केवल आप हल्ला करके उसका अहित करना चाहते हैं, तो उससे भी नहीं हो पायेगा। आप एक प्रक्रिया में विश्वास कर लीजिए। 4 दिन के बाद आपके सामने फिर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी सरकार का क्या है, सरकार तो अपना कर रही है लेकिन मैं उसको गम्भीरता से ले रहा हूं। लेकिन हल्ला कराकर, नारेबाजी कराकर आप उस पीड़ित परिवार को संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं या लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इससे नहीं पहुंचा पायेंगे। एक प्रक्रिया शुरू हुयी है डी0आई0जी0 जांच की, इसमें आप संकेत करा दें कि वह इस बात की जरूर जांच करके आख्या दें कि उसकी निर्मम हत्या हुई है या इन्काउन्टर हुआ है, अगर दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर मुकदमा भी कायम कर दिया जाय। कभी-कभी जांच के बाद भी मुकदमे दर्ज हुये हैं। 156(3) में तो मजिस्ट्रेट लिखता है कि जांच करके मुकदमा दर्ज करें। अगर निर्धारित समय के अन्दर नहीं आता है तो आपको पूरा अधिकार है कि 2 दिन, 4 दिन के बाद अगर आप जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको पूर्ण अधिकार है कि ऐसे मसलों को आप सदन में लावें। अब आपके निर्णय के ऊपर है। आगे जैसा चाहें।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, सदन को स्थगित करके इनको भी बुला लें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अपने चेम्बर में बुला कर तय कर लें।

श्री अध्यक्ष-

हम हर चीज के लिये तैयार हैं माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा है तो मैंने प्रकरण को पूरी गम्भीरता से लिया हूं। अस्वीकृति के बाद भी माननीय खन्ना जी को सुना कि कहीं कोई बात हो सकती हैं मैं तो निष्पक्षता कर रहा हूं न सरकार और न विपक्ष की बात। मैं तो एक ड्यू टाइम की बात कह रहा हूं कि डी0आई0जी0 से अगर जांच की बात आई है तो नियम और नियमावली से हटकर मानवता के आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि इस बिन्दु का संकेत हो जाय कि पुलिसकर्मी जिसका इन्काउन्टर दिखा रहे हैं, कहीं हत्या न हुई हो, इस बिन्दु की जांच भी डी0आई0जी0 करें, केवल 392 की जांच न करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपकी निष्पक्षता पर हमें शतप्रतिशत विश्वास है। मैं सरकार की निष्पक्षता पर भी अभी अविश्वास नहीं कर रहा हूं। लेकिन पूरा विश्वास करने के लिये उनका कार्य सामने आना चाहिए। सवाल यह है कि पुलिस जिस तरह से कार्य करती है, अभी नया रिक्रूट आई0पी0एस0 ट्रेनिंग में है उसकी सहानुभूति है कि इसकी जिन्दगी न जाने पावे इसकी नौकरी न जाने पावे, अभी शुरुआत है, पूरी लाइफ है, लेकिन एक की जिन्दगी इसने समाप्त कर दी, पुलिस का सोच यही है। अब आई0जी0 तो कह चुके हैं कि नहीं साहब यह घटना सही है तो डी0आई0जी0 क्या कहेगा कि यह घटना गलत है। सवाल है कि किससे आप जांच करायेंगे, वह भी आई0पी0एस0 अधिकारी है जो अभी-अभी रिक्रूट होकर आया है। उसकी लापरवाही से यह घटना हो गयी है। इसलिए न आप 302 का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं न सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सी0बी0सी0आई0डी0 की आप बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं वह भी तो पुलिस का अधिकारी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी तो बाध्य हैं सरकार के वर्जन से, सरकार को आप कोई डिक्टेशन तो दे नहीं सकते। बहुत कर सकते हैं कि हां यह कर दीजिए। लेकिन अगर कल वह रिपोर्ट लेकर आवें कि नहीं यही है तो आप क्या कर पावेंगे और हम क्या कर पायेंगे। तीन दिन में किससे रिपोर्ट लेकर आयेंगे वह।

श्री हुकुम सिंह-

अगर आपकी अनुमति हो तो अभी महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ था, मैं पेज नं0 2 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पेज नम्बर दो में लिखा है कि प्रदेश की जनता में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर छोटे-बड़े अपराध की एफ0आई0आर0 दर्ज की जाए। हमारी सरकार फर्जी आंकड़ों के आधार पर यह झूठ नहीं बोलेगी कि यू0पी0 में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम। मान्यवर, यह राज्यपाल का अभिभाषण है, जिसके प्रति हमने आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया हैं इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि छोटा बड़ा अपराध जो भी लेकर जायेगा, उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज होगी। हम सदन में याचना कर रहे हैं, सरकार से याचना कर रहे हैं कि हमारा एक लाल मारा गया है, एक बच्चा मारा गया है, पुलिस की निगाह में वह अपराधी हो सकता है, हमारी निगाह में वह निर्दोष है और हम कह रहे हैं कि एफ0आई0आर0 दर्ज कर ली जाए। अगर हमें मात्र एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के लिए इतनी ताकत लगानी पड़ेगी तो फिर कैसे काम चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

हम दबाव तो सरकार पर डालेंगे नहीं लेकिन यह सरकार का बयान आया है कि हम डी0आई0जी0 से जांच करायेंगे। मैंने उसमें थोड़ा सा हट करके एक व्यवस्था दी है कि 392 का ही नहीं बल्कि इस बिन्दु की भी जांच करायी जाए कि पुलिसकर्मी द्वारा उस नौजवान की हत्या या इन्काउन्टर का जो भी विषय हो, इसकी जरूर जांच करायी जाए कि उस नौजवान की हत्या की गई या नहीं की गई है। इस बिन्दु पर भी डी0आई0जी बतायें सरकार अगर तैयार हो कि शीघ्र से शीघ्र जांच करा लेंगे तो ठीक है नहीं तो आपको अधिकार है सदन में। सरकार जितनी जल्दी से जल्दी दे दें, आप एक मौका ले लें। अगर उस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो एक मौका ले लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो आपका निर्देश होगा, एक सप्ताह में जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस बिन्दु पर कह रहा हूं कि जहां माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि जांच तो आप 392 की करेंगे उसमें मैं कह रहा हूं कि इस बिन्दु की जांच आप अवश्य करा लें कि वह जो इनका वर्जन है कि पुलिसकर्मी जिसने मारा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सम्पूर्ण घटना की जांच होगी, जो पुलिस का वर्जन है अगर वह बात गलत होगी तो निश्चित रूप से जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और अगर यह वर्जन सही है तो उसके बाद तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वह अलग विषय है लेकिन एक निश्चित समय सरकार तय कर दे और शीघ्र इसे लाकर सदन में दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

इस पर मैं तैयार हूं लेकिन पहले माननीय सदस्य सदन के वेल से जाकर आपना स्थान तो ग्रहण करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

कई बार यह बात आई है आपकी पीठ से भी कि न्याय होना चाहिए और न्याय होगा और हमेशा इसका भरोसा किया गया है। मैंने तो आपसे यहां तक कहा कि हमारा 25 साल का आपका साथ भी यही साबित करता है कि आप बहैसियत इंसान एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उसी रिश्ते से हम आपसे कुछ बातें वह चाहते हैं जो सही हैं और सही की मांग करते हैं। मान्यवर, न्याय होगा, मैं बराबर कह रहा हूं कि न्याय होगा, पहले भी मैंने कई दिन पहले भी कहा था कि न्याय होगा। हम यह मानकर चलते हैं कि न्याय होगा, लेकिन न्याय होने का प्रोसीजर क्या होगा, वह जानना चाहता हूं ? वह प्रोसीजर यही है कि पहले एफ0आई0आर0 दर्ज होगी, फिर जांच होगी, तब न्याय होगा। जब तक एफ0आई0आर0 नहीं होगी, उसका प्रोसेज इख्तियार नहीं करेंगे तो कैसे न्याय होगा ?

श्री अध्यक्ष-

दो बिन्दु हैं, एक पुलिस का वर्जन है कि यह लड़का लूट या डकैती में था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक सूचना पढ़ी, जिस लड़के का इन्काउन्टर हुआ है या हत्या हुई है, दोनों हम कह रहे हैं, यह डकैती के मामले में इन्वाल्व था और उसकी जांच पड़ताल हुई। उधर से आया कि नहीं पहले मुकदमा पुलिस के खिलाफ दर्ज कर दिया जाए और पुलिस का कहना है कि डकैती या लूट में सम्मिलित रहा है यह लड़का, जिसकी हत्या या इन्काउन्टर हुआ है। सरकार को भी मैंने निर्देश दिया, सरकार भी मान गयी, तो मैं यह कह रहा था कि आपकी उसके परिवार के प्रति संवेदना है, उन्हें न्याय दिलाना है, और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी करना है। एक वर्जन आ गया कि मैं डी0आई0जी0 से जांच कराऊंगा, मैंने उसमें कहा कि केवल 392 पर नहीं इस ऐंगिल पर भी आप जांच करायें कि वह पुलिसकर्मी जो मारे हैं उस लड़के को, उसकी हत्या की है न कि इन्काउन्टर हुआ है। इस बिन्दु पर मैं चाहता था कि ठीक है आप सी0आई0डी0 जांच की मांग कर रहे हैं, एफ0आई0आर0 आपकी प्रथम मांग है कि पहले एफ0आई0आर0 दर्ज हो तब अन्य प्रकरण हो। देखिये सरकार से मैंने कहा कि जो आपने जांच की घोषणा की है उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर दें, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, में रिपोर्ट मंगा लें। अगर आप न संतुष्ट हों, हो सकता है कि है कि आपकी लड़ाई सही है, आप उनकी मांग को सही मान रहे हैं 3 दिन या 5 दिन कुछ बिगड़ नहीं रहा है। 5 दिन के अन्दर अगर मान लिया सरकार को

दबाव नहीं डाले हैं, सरकार कह रही है मैं नहीं कर पा रही हूं। आप सदन में हल्ला-गुल्ला करके चले जायेंगे कोई प्रक्रिया भी नहीं स्टार्ट होगी। अभी मा0 हुकुम सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला दिया, वहां आप जायं उनके परिवार के लिए या उनकी संतुष्टि के लिए लेकिन सदन में जब इस बात को लिया है और सदन इस बात का विश्वास दिला रहा है कि दो-तीन दिन के अन्दर डी0आई0जी0 इन बिन्दुओं पर जांच कर लें, नहीं संतुष्ट होते हैं तो आपको पूरा अधिकार है सदन में नियमों के अन्तर्गत आ करके अपनी बात करें। मान लीजिए आपके खिलाफ आता है आपको फिर अधिकार है कि नियमों के अन्तर्गत सदन में लावें।

श्री महेश गुप्ता (वेल से)-

माननीय, वहां के बैंक मैनेजर ने मना कर दिया है, उसने स्पष्ट कहा है कि ये लड़के नहीं थे।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय हुकुम सिंह जी को अपने कक्ष में बुला लीजिए, बैठ लीजिए और निर्णय कर दीजिए और सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। इस सदन की परम्परा है मा0 हुकुम सिंह जी जानते हैं, एक नहीं बीस बार चर्चा होती है।

माननीय अध्यक्ष जी, ओम प्रकाश सिंह जी सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक मौका जरूर दें, यदि उसका भला चाहते हैं, कुछ मौका आप ले लीजिए, चाहे डी0आई0जी0 से जांच करा लीजिए दो-तीन दिन में रिपोर्ट मंगा लीजिए या अगर बैठना चाहें तो बैठ लीजिए, आपकी मर्जी के ऊपर है। इस पर हम दबाव नहीं डालते, आपका अधिकार है कि आप अपनी बात किस तरह से कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना (वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, एफ0आई0आर0 की मांग क्या गलत मांग है ?

श्री अध्यक्ष-

तीन-चार दिन के लिए खन्ना साहब आपको मौका दिया जा रहा है, यह कोई समय भाग नहीं रहा है। अगर उस दुखी परिवार को लाभ देना चाहते हैं या उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि ठीक है जांच करा लीजिए। यहां इसी सदन में यह हुआ है कि मैं जांच की बात मानता हूं लेकिन जांच शीघ्र मंगा लिया जाए। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो अलग नियमों में आप ले आयेंगे। चलिये, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाईये। मानवीय आधार पर आपकी बात को सुना और मानवीय आधार पर अगर आप चाहते हैं कि उस मृतक परिवार के लोगों को न्याय मिले तो आपको मौका पर भरोसा रखना चाहिए, मौका पर भरोसा नहीं रखेंगे,

केवल सदन में हल्ला करके आप शाम को 5.00 बजे चले जायेंगे तो कुछ कार्यवाही परिलक्षित नहीं होगी। लेकिन एक स्टेपवाइज आप चलेंगे तो हो सकता है कि दुखी परिवार को भी न्याय मिल जाए। खन्ना साहब आप हल्ला करेंगे तो करते रहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना (वेल से)-

मान्यवर, कभी-कभी बगावत फर्ज बन जाती है। एक निर्दोष नौजवान की हत्या हुई है, कोई गलत बात नहीं है और मेरी कोई गलत मांग नहीं है। केवल एफ0आई0आर0 दर्ज करने की मांग कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

उससे आप परिवार को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैंने बड़ा प्रयास किया है, अगर उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो हल्ला-गुल्ला करके न्याय नहीं दिला पायेंगे, प्रक्रिया में ही न्याय दिला पायेंगे, सरकार का एक वर्जन आ गया, भरोसा रखिये, सरकार से समय निर्धारित कराइये। आपकी गलत ही रिपोर्ट आये लेकिन मंगाईये फिर आपके अधिकारियों की रिपोर्ट देखें कि आपका डी0आई0जी0 क्या रिपोर्ट देता है, क्या रिपोर्ट आती है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना (वेल से)-

मान्यवर, प्रक्रिया यह है कि पहले एफ0आई0आर0 दर्ज हो फिर उसकी तफ्तीश हो।

श्री अध्यक्ष-

आप एक दिन, दो दिन में रिपोर्ट मांग लीजिए, कल तक, परसों तक। रिपोर्ट आने दीजिए, न्याय दिलाने के लिए हम भी आपके साथ है, लेकिन वह हो नहीं पायेगा आप हल्ला करके चले जायेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जायें, लेकिन बड़ा प्रयास किया गया कि चलिये जांच करा देते हैं। जब आप उस परिवार को न्याय दिलाने में कहीं प्रक्रिया का विश्वास नहीं रखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करें, जब विश्वास नहीं है तो चलिये हल्ला करिये।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से खबर बनाकर आप न्याय नहीं दिला सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-50 पर कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेगा।

(घोर व्यवधान के कारण किसी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं आया है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,10,02,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-52 पर कोई कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(घोर व्यवधान के कारण किसी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं आया है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,69,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-52 पर कोई कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(घोर व्यवधान के कारण किसी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं आया है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,46,33,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,31,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-44 पर कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(घोर व्यवधान के कारण किसी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,31,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,58,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-12 पर कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(घोर व्यवधान के कारण किसी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूंकि कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,58,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री महबूब अली-

माननीय अध्यक्ष जी, हम कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते थे लेकिन सदन व्यवस्थित नहीं है। इसको आप व्यवस्थित करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

मैं इतनी देर से प्रयास कर रहा हूं लेकिन यह लोग मान नहीं रहे हैं। हल्ला कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उसको राहत दिलाने की बात यही कर रहे हैं। सरकार चाह रही है न्याय दिलाने के लिये। यह चाहते हैं कि हल्ला हो जाय और बस खबर बन जाए। सरकार ने मान लिया है उसके बाद भी हल्ला कर रहे हैं। कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा है तो मैं क्या करूं।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, सदन व्यवस्थित करवाना आपका काम है।

(निर्दोषों की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाये जाते रहे)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान,

अनुदान-60-वन विभाग

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,39,69,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रार्थना है। आज की कार्यवाही में एक गम्भीर त्रुटि हो रही है, इसलिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हम तो बेबस स्थिति में है। अगर आपका संरक्षण नहीं मिलेगा। मान्यवर, आप बार-बार कह रहे हैं कि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ? जब कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा जा रहा है तब आप कह रहे हैं कि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा है। मान्यवर, अगर आप यह कह देते कि शोरगुल के मध्य कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख पा रहा है तो ठीक होगा। मान्यवर, इसको ठीक करा लें और लोग भी सदन की कार्यवाही सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मान्यवर, आप अपने निर्देश देख लें। आपने बार-बार कहा कि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा है। मान्यवर, यह गम्भीर बात हो जायेगी। मान्यवर, आपने स्वयं मुझे इंगित किया कि चौधरी साहब यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, मैं आपकी बात को मानता हूं।

(सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर से नारे लगाये गये)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 (6) पर माननीय सदस्य घोर व्यवधान के कारण कटौती का प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,39,69,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,68,21,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

घोर व्यवधान के कारण मद संख्या-13 (7) पर कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,68,21,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विभाग)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,42,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

घोर व्यवधान के कारण माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,42,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे।)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(श्री हुकुम सिंह द्वारा घोर व्यवधान के कारण संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(घोर व्यवधान के कारण किसी मा0 सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7 सन् 2004 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(कक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो उपाध्यक्ष, जो महिलायें होंगी और जिन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया हो और जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात् :-

राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सत्रह सदस्य, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो;

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में :-

(क) उपधारा (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप धाराएं रख दी जायेंगी अर्थात् :-

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारियों की पदावधि को बिना कारण बताये किसी भी समय प्रतिसहृत कर सकती है।

(2) अध्यक्ष 32 वर्ष की आयु से कम होने पर और 60 वर्ष की आयु के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा, कोई उपाध्यक्ष 28 वर्ष की आयु से कम होने पर और 60 वर्ष की आयु के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा और कोई अन्य सदस्य 22 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व और 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्य के राज्य मंत्री एवं उपमंत्री का दर्जा दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (5) को निकाल दिया जायेगा।

(ग) उपधारा (7) में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5-(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2007

2-ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य, संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(किसी सदस्य के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 को निरसित करने के लिए-

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-15 का निरसन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11, सन् 2007 का निरसन

3-उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ परिषद् द्वारा जोड़ा गया अंश अधोरेखांकित है)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-43 सन् 1975 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(कक) राज्य में सामाजिक एवं लोक जीवन में विशिष्ट ख्याति प्राप्ति तीन से अनधिक गैर सरकारी व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।"

धारा 6 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"(2-क) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) के नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और वह पुनः नाम निर्देशन के लिये पात्र होगा।"

धारा 7 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में, शब्द "खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन" के स्थान पर शब्द "खण्ड (क), (कक) तथा (ख) के अधीन" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 7-क का बढ़ाया जाना

5-मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"7-क-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अध्यक्ष के समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग, कर्तव्यों का निर्वहन या कृत्यों का सम्पादन ऐसे उपाध्यक्ष द्वारा, जैसा अध्यक्ष द्वारा, आदेश में यथाविहित, निगम के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन सामान्य या

विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाय, बिना शर्त या अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति सहित ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुये, किया जायेगा। तथापि इस प्रकार प्राधिकृत उपाध्यक्ष, निगम के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में, अपना पद निगम के अन्तिम नियंत्रण एवं निदेश के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में धारण करेगा।"

निरसन और अपवाद

6-(1) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवत्त थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसी मध्य भाजपा के सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 जुलाई, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की नगर निगम वाराणसी द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन का भुगतान रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मिसरौलिया की पुलिस द्वारा ग्राम गौरीडीह के कतिपय निवासियों के मकानों

पर जबरन कब्जा कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की ग्रेटर नोएडा सिटी में प्लाट आवंटन में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री अशोक कुमार सिंह जी प्रदेश में कोषागार विभाग अन्तर्गत की गयी अनियमित नियुक्तियों व पदोन्नति के लिए उत्तरदायी जनों के विरुद्ध संस्तुत कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज अन्तर्गत सिंचाई विभाग की रामपुर कसिहा लिफ्ट कैनाल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठवीं सूचना श्री शिवशंकर चौहान की जनपद बलिया के बांसडीह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बी0पी0एल0 सर्वे सूची में की गयी व्यापक धांधली के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना श्री भीमराव अम्बेडकर की जनपद इटावा में बन्द पड़ी सूत मिल को पुनः चालू कराने व श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों की बकाया देनदारियों के भुगतान के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र में बढ़ रही नक्सलवाद की घटनाओं के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। नौवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ महानगर में रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर स्थित अमीन काम्पलेक्स में चल रहे फूड प्लेनेट के संचालक को भवन स्वामी द्वारा रेस्टोरेन्ट खाली कराये जाने तथा रेस्टोरेन्ट के मालिक द्वारा पंजीकृत एफ0आई0आर0 में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। 10वीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की नगरपालिका महमूाबाद में पेयजल की समस्या के सम्यक् निराकरण के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। ग्यारहवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली की नगर पालिका मुगलसराय में विद्युत सब स्टेशन चन्धासी के 10 एम0बी0ए0 के ट्रान्सफार्मर के जल जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। बारहवीं सूचना श्री अशोक सिंह चौहान की जनपद मैनपुरी के डी0ए0वी0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लखौरा की प्रबन्ध समिति का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। तेरहवीं सूचना श्री सनातन की जनपद बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रानतर्गत नगरा गांव में सड़क तथा नाली के कार्य में की गयी अनियमितता व सरकारी धन के दुरुपयोग की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बनध में है। ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। चौदहवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच में बहराइच शहर को नानपारा रोड से मिलाने वाले मार्ग के जर्जर होने तथा उसके शीघ्र निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। पन्द्रहवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज अन्तर्गत नहरो तथा माइनरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। सोलहवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली कैराना अन्तर्गत आपराधिक घटनाओं यथा तार व ट्रांसफार्मरों की चोरी

की रिपोर्ट दर्ज न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। सत्रहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू की जनपद सीतापुर के बेहटा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 राशन कार्ड जाब कार्ड न जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल यादव, डी0पी0 यादव, श्रीमती उमलेश यादव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लालजी यादव, श्री उदयराज, डा0 अनिल चौधरी, श्री राम प्रकाश कुशवाहा, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री शम्भू चौधरी, श्री मदन चौहान, श्री पूरन प्रकाश, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री मो0 इमरान मसूद तथा श्री मदन भैया।

नियम-51 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर सम्बन्धित सदस्यों के उपस्थिति होने की तरफ पीठ का ध्यानाकर्षण

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, माननीय सदस्यगण नियम-51 के अनतर्गत सूचना देते हैं और पीठ से ऐसे निर्देश भी हुए हैं कि जो माननीय सदस्य नियम-51 की सूचना देते हैं तो वह अन्त समय तक उपस्थित रहें। तो मेरा अनुरोध है कि वह जो व्यवस्था पहले भी रही है तो इसको सुनिश्चित करने की कृपा करें क्योंकि माननीय सदस्य जो उपस्थित नहीं हैं और वह नियम-51 की सूचना दिये हैं और शासन भी उसका पूरा संज्ञान लेता हैं अगर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित रहें तो उसकी ज्यादा गम्भीरता भी रहेगी। मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें कि जो सदस्य नियम-51 के अन्तर्गत सूचना देते हें वह सदस्य कम से कम अन्तिम समय तक सदन में उपस्थित रहें।

श्री अध्यक्ष-

केवल नियम-301 के अन्तर्गत उपस्थित होना अनिवार्य होता है। नियम 51 में सूचना की व्यवहारिकता और गम्भीरता देखते हुए उपस्थित रहें, अगर उपस्थित नहीं रहना चाहते हैं तो न रहें।

जनपद सीतापुर में बेहटा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली घाघरा, शारदा और सरयू नदियों द्वारा हो रहे कटान तथा बचाव के लिये प्रस्तावित ठोकर के निर्माण को शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0 को नियम-51 के अन्तर्गत आने वाली घाघरा, शारदा और सरयू का विगत

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्षों की भांति इस वर्ष भी तांडव होने जा रहा है। इन नदियों से विकास खण्ड रेउसा का ग्राम मल्लापुर, काशीपुर मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा हैं पूर्व में मल्लापुर राज्य होने के कारण ऐतिहासिक ग्राम भी है गांव का अस्तित्व बचाने हेतु गांववासियों द्वारा पूर्व में धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल भी किया गया जिसके फलस्वरूप मल्लापुर काशीपुर ग्राम के अस्तित्व को बचाने हेतु नदी में ठोकर बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। यदि समय से ठोकर बनाने का काम प्रारम्भ नहीं किया गया तो हजारों एकड़ कृषि भूमि सहित हजारों का काम प्रारम्भ नहीं किया गया तो हजारों एकड़ कृषि भूमि सहित हजारों लोग घर से बेघर हो जायेंगे। जिससे बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। जीवन यापन की समस्या के साथ-साथ उनके रहने की बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी।

जनपद सीतापुर में बेहटा विधान सभा क्षेत्र के रेउसा विकास खण्ड के गांव मल्लापुर एवं काशीपुर शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित है, जिनकी आबादी लगभग 1500 है, जिसमें से 150 की आबादी कटान से प्रभावित हैं। दिांक 05-07-07 को अधिशासी अभियन्ता द्वारा इन ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि शारदा नदी की कटान से मल्लापुर, काशीपुर की आंशिक रूप से आबादी प्रभावित हुई हैं इस कटान को रोकने हेतु कटाव निरोधक योजना/ठोकर निर्माण का कोई प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा शासन को नहीं उपलब्ध कराया गया है। शासन की नीति के अनुसार ेक दो ग्रामों को नदी से कटान से बचाने हेतु कोई योजना नहीं बनायी जाती अपितु प्रभावित आबादी को अन्यत्र बसाया जाना उपयुक्त होता है।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षे. म बांधों में सिल्ट जमाव से पानी की अनुपलब्धता तथा नहरों में समय से पानी न आने के कारण सूखे जैसी स्थिति के मद्देनजर बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने तथा किसानों से बकायों की वसूली रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार जैन 'अदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[बुन्देलखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण वहां पर लोगों के समक्ष गम्भीर स्थिति बनी रहती हैं खरीफ की फसलों के लिये समय से पर्याप्त मात्रा में बरसात न होने के कारण नहरों आदि के माध्यम से ही फसलों की रोपाई एवं सिंचाई सम्भव होती है। इस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या से निपटने के लिये कुछ प्रमुख नदियों पर बांध बनाये गये हैं जिसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। बेतवा, केन, शहजफ आदि नदियों पर बांध बनाये गये हैं। इसके साथ ही साथ जामूनी एवं रोहिणी सहित कई अन्य नदियों पर भी बांध बनाकर सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत सिंचाई के लिये कुल 27 बांध/डैम बनाये गये हैं जिसके माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराया जाता है किसानों की फसलों की सिंचाई के लिये बनाये गये 27 बांधों में से कुछ लगभग 1.00 के पुराने हो चुके हैं जिनमें व्यापक पैमाने पर सिल्ट जमा हो गयी हैं सिल्ट जमा होने के कारण एवं उस सिल्ट की सफाई कई वर्षों से न कराये जाने के कारण इन बांधों की जल धारण क्षमता 14 या 15 प्रतिशत ही शेष रह गयी है। सिंचाई विभाग द्वारा 04 से 15 जुलाई के मध्य नहरों के संचालन का प्रस्ताव दिया है किन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुयी है। किसानों को खरीफ की फसल के लिये समय से पानी न उपलब्ध होने के कारण उनके फसलों की बुवाई/रोपाई का कार्य बाधित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अभी से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। उपरोक्त बातों को संज्ञान में रखते हुये य० आवश्यक है कि किसानों की वसूली रोकी जाय तथा बुन्देलखण्ड की क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय। क्योंकि सामान्य से कम वर्षा होने एवं बांधों में सिल्ट जमा होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिये पानी न उपलब्ध हो पाने के कारण उनकी खरीफ की फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा। इस क्षेत्र के लगभग 40-50 प्रतिशत व्यक्ति तो इस विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये अभी से पलायन कर गये हैं बांधों में सिल्ट जमा होने के कारण पानी की अनुपलब्धता एवं नहरों में समय से पानी न आने से लोग भुखमरी की समस्या से ग्रस्त होने वाले लोगों में चिन्ता तथा कोई सार्थक कार्यवाही न होने के कारण लोगों में रोष व्याप्त है।

वक्तव्य :-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल 28 बांध हैं, जिनसे नहरों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। मौदहा बांध, उर्मिला बांध, गुप्टा बांध, एवं पथराई बांध को छोड़कर लगभग सभी बांध पुराने समय के निर्मित हैं। पूर्व में निर्मित अधिकांश बांधों में सिल्ट जमा होने के फलस्वरूप उनकी क्षमता घट गयी है। बांधों में सिल्ट सफाई कराना व्यावहारिक/आर्थिक रूप से सम्भव नहीं है। बांधों में जो भी पानी उपलब्ध होगा, उसके अनुसार खरीफ 1415 फसली में सिंचाई हेतु प्रस्तावित रोस्टर के अनुसार नहरे चलायी जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1-खरीफ 1415 फसली (वर्ष 2007-08) हेतु जनपद झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट एवं हमीरपुर जनपद में रजवाहों का रोस्टर अनुमोदित किया गया है।

2-झांसी जनपद में पथरई बांध नहर प्रणाली में जल उपलब्ध न होने के कारण खरीफ 1415 फसली में चलाया जाना प्रस्तावित नहीं है। जनपद की शेश नहरों को रोस्टर के अनुसार दिनांक 15-07-2007 से 16-09-2007 के मध्य कुल 56 दिन तक चलाना प्रस्तावित है।

3-जालौन जनपद में रोस्टर के अनुसार नहर दिनांक 15-07-2007 से 16-09-2007 के मध्य कुल 56 दिन तक चलाना प्रस्तावित है।

4-बांदा जनपद में रोस्टर के अनुसार नहर दिनांक 04-07-2007 से 31-10-2007 के मध्य कुल 119 दिन तक चलाना प्रस्तावित है। वर्तमान में केन नदी के ऊपरी भाग में वर्षा न होने

के कारण गंगऊ, रनगवां, बरियारपुर जलाशयों में पानी की उपलब्धता नहीं हो सकी है, जिसके कारण नहरकें चलाना सम्भव नहीं हो पाया है।

5-चित्रकूट जनपद में बरुआ मुख्य नहर दिनांक 10-07-2007 से 05-08-2007 तक, 21-08-2007 से 10-09-2007 तक एवं 25-09-2007 से 15-10-2007 के मध्य कुल 70 दिवस एवं औगासी पम्प नहर 84 दिवस चलाना प्रस्तावित है। गुप्टा बांध नहर प्रणाली दिनांक 24-07-2007 से 20-08-2007 एवं 11-09-2007 से 15-10-2007 तक चलाया जाना प्रस्तावित है।

6-हमीरपुर जनपद के अन्तर्गत सिवनी रजवाहा से पोषित माइनरों पर रोस्टर के अनुसार दिनांक 15-07-2007 से 16-09-2007 के मध्य कुल 56 दिन चलाना प्रस्तावित किया गया हे।

7-महोबा जनपद के अन्तर्गत मौदहा बांध एवं जनपद ललितपुर के राजघाट बांध नहर प्रणाली एवं अन्य बांधों में समुचित पानी उपलब्ध न होने के कारण खरीफ 1415 फसली में चलाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार बांधों एवं जलाशयों में पानी उपलब्ध होने पर नहर चलाना प्रस्तावित है। उक्त बांधों की खरीफ फसल हेतु कुल 117.627 हजार हैक्टेयर सृजित सिंचन क्षमता है, परन्तु सिल्टिंग/जल उपलब्धता के कारण दिनांक 30-06-2007 तक अन्य लघु योजनायें एवं पम्प नहर को सम्मिलित करते हुये 10.120 हजार हैक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध खरीफ 1415 फसली में (13.20+0.908) 14.108 हजार हैक्टेयर सींच हो चुकी है।

सूखे जैसी स्थिति के कारण किसानों की वसूली रोकने के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि बांधों में उपलब्ध जल की उपलब्धता के अनुसार नहर चलाकर सींच की जाती है एवं तद्नुसार सींच के अनुरूप राजस्व की वसूली किया जाना नियमान्तर्गत है।]

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, मुझे इसमें कहना है। मान्यवर, मद संख्या-23 में जो वक्तव्य आया है इसमें कहा गया है कि बुन्देलखण्ड में जितने भी बांध हैं इसमें सरकार ने माना है कि इन सबमें सिल्ट है और पैसे के अभाव में सबकी सफाई नहीं हो सकती, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार सर्वजन हिताय की सरकार है और बुन्देलखण्ड की कृषि के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और पहले वहां पर सिल्ट हटी है और आज वहां पर लोग सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर राजस्व की वसूली स्थगित की जाये। वहां पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सिंचाई मंत्री जी यह स्वीकार कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित किया जाये और वहां के राजस्व की वसूली स्थगित कर दी जाय। चूंकि जो

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वक्तव्य आया है उसमें सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि बरसात न होने के कारण पानी नहीं है जिससे नहरें नहीं चल पा रही हैं। चाहे आप झांसी को ले लें, बांदा को ले लें सब जगह सूखे की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे मा0 मंत्री जी दिखवा लें।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूलों में सरकारी किताबों के उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[किया गया है कि पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों व जूनियर हाईस्कूलों में सरकारी पुस्तकें अभी तक उपलब्ध न होने के कारण पूरे प्रदेश में पठन-पाठन प्रायः ठप्प हो गया है व छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सरकारी किताबें न मिलने के कारण बच्चे स्कूल से वापस घर चले आ रहे हैं। इन सरकारी स्कूलों में प्रायः गरीब बच्चे ही पठन-पाठन करते हैं ऐसी स्थिति में सरकारी किताबें शासन द्वारा समय से उपलब्ध न कराये जाने से गरीबों के बच्चों के साथ मजाक साबित हो रहा है वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट हाईस्कूलों में पठन-पाठन प्रारम्भ हो गया है। यदि सरकारी किताबें तत्काल समय से उपलब्ध नहीं करायी गयीं तो छात्र-छात्राओं का भविष्य संकट में पड़ जायेगा। यह शासन के लोगों का घोर लापरवाही का मामला है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोलिखित सूचना के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बे0) से प्राप्त आख्यानुसार राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 1-2-2007 के अनुपालन में दिनांक 2-2-2007 को निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। तकनीकी बिड खोलने हेतु दिनांक 6-3-2007 की तिथि निर्धारित की गयी थी परन्तु शिक्षा निदेशक (बे0) जो निविदा समिति के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पदेन अध्यक्ष होते हैं, का पद तत्समय 16 फरवरी, 2007 से 30 अप्रैल, 2007 तक रिक्त होने के कारण तकनीकी बिड निर्धारित तिथि को नहीं खुल सकी। अन्ततोगत्वा दिनांक 12-5-2007 को तकनीकी बिड खोली गयी तथा दिनांक 23-5-2007 को वित्तीय बिड खोली गयी। इस प्रकार शिक्षा निदेशक (बे0) का पद रिक्त होने तथा साथ में विधान सभा चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण गत वर्ष के सापेक्ष वित्तीय बिड खुलने तक में ही कुल 69 दिनों का बिलम्ब हो गया है।

छात्र संख्या में होने वाली स्वाभाविक वृद्धि के कारण इस वर्ष मुद्रित होने वाली प्रतियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है किन्तु प्रकाशकों तथा मुद्रकों की संख्या में तथा उनकी क्षमता में विगत वर्ष एवं इस वर्ष में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं आया है।

विगत वर्ष वित्तीय बिड खुलने की तिथि दिनांक 27-3-2006 से पाठ्य पुस्तकों के बच्चों में वितरण की तिथि दिनांक 8-7-2006 के मध्य कुल 102 दिन का समय पूरी प्रक्रिया के सम्पन्न होने में लगा था। इस वर्ष जब वित्तीय बिड दिनांक 23-5-2007 को खुल सकी है तो समस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुस्तक वितरण हेतु 102 दिनों की अवधि दिनांक 3 सितम्बर, 2007 तक पूर्ण होती है। फिर भी कार्य की संवेदनशीलता एवं बच्चों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 102 दिनों की अवधि को कम करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इसके साथ ही मुद्रकों एवं प्रकाशकों को निर्देशित किया गया है कि कक्षा-1 से 8 तक की भाषा एवं गणित की पाठ्य-पुस्तकें प्रथम चरण में तथा विज्ञान एवं अंग्रेजी की पुस्तकें द्वितीय चरण में एवं शेष पुस्तकें अन्तिम चरण में मुद्रित कर जनपदों की आपूर्ति की जाये तथा जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जैसे-जैसे पुस्तकों की आपूर्ति होती जाए उन्हें प्राप्ति की तिथि से 03 दिन के अन्दर सत्यापित कर विद्यालयों को पहुंचा दिया जाये। दिनांक 9-7-2007 तक कक्षा-1 से 8 तक की भाषा एवं गणित की पाठ्य-पुस्तकों का 76 प्रतिशत आपूर्ति की जा चुकी है। अवशेष की आपूर्ति शीघ्रातिशीघ्र कर दी जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि माह जुलाई से प्रारम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र के प्रथम पखवारे में कक्षा-1 से प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को विद्यालय वातावरण में अनुकूलन करने के लिए मनोरंजक सहगामी गतिविधियां करायी जाती है तथा कक्षा-2 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को विगत कक्षा की पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति कराई जाती है।]

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में प्रदूषित रसायनिक नाले के पानी के हैण्डपम्पों में आने से जनजीवन के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में श्री मदन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मेसर्स सिम्भावली शुगर मिल, आसवनी इकाई, सिम्भावली गाजियाबाद द्वारा सीरे का प्रयोग कर 90 कि0ली0 प्रतिदिन औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। प्रक्रिया जनित

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदूषित उत्प्रवाह शुद्धीकृत कर शून्य निस्तारण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां बायोगैस डायजेस्टर, मल्टीपेन इवापरेटर तथा बायोकम्पोस्टिंग प्लान्ट है। इस प्रकार उद्योग में उत्प्रवाह से बायो गैस बनाने, जिसका प्रयोग ब्वायलर में ईंधन के रूप में किया जाता है एवं बायो कम्पोस्टिंग कर खाद बनाने का प्राविधान है ताकि प्रदूषित उत्प्रवाह परिसर के बाहर निस्तारित न हो। इस हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 23-5-07 द्वारा उद्योग को यह निर्देश भी दिये गये हैं कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उत्प्रवाह स्पेंटवाश को शुद्धिकृत कर बायोकम्पोस्ट बनाने में शत-प्रतिशत प्रयोग किया जाये तथा किसी भी परिस्थिति में निस्तारित न किया जाये। बोतल धुलाई से जनित उत्प्रवाह को बागवानी एवं सिंचाई में प्रयोग करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

मै0 गोपाल डेयरी प्रा0लि0 जिसका नाम मिलन डेयरी है, गढ़ रोड, स्याना बुलन्दशहर में स्थापित है, जिनके द्वारा 50 कि0ली0/दिन दूध की प्रॉसेसिंग की जाती है। इस जल में जल उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु संयंत्र स्थापित है। परन्तु स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित प्रकार से न किये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 27 (2) के अन्तर्गत दिनांक 31-12-2006 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वर्तमान में बोर्ड के स्थानीय प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 16-1-2007 को किया गया तथा सूचित किया गया है कि उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण संयंत्र (आयल ग्रीस ट्रैप, रिएक्शन चैम्बर, इक्वलाईजेशन टैंक, एरियेशन टैंक, सैकेण्डरी सैटलिंग टैंक तथा स्लज ड्राइंग बेडस इकाईयां) को सुधारा गया है तथा शोधन के उपरान्त ही उत्प्रवाह निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान शुद्धिकृत उत्प्रवाह का परीक्षण कराया गया था तथा पाया गया था कि समस्त प्रचालक बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। दिनांक 10-6-2007 को एकत्रित उत्प्रवाह के नमूने में बी0ओ0डी0 29 मि0ग्रा0/ली0 (मानक 30 मि0ग्रा0/ली0), सी0ओ0डी0 248 मि0ग्रा0/ली0 (मानक 250 मि0ग्रा0/ली0) तथा एस0एस0 96 मि0ग्रा0/ली0 (मानक 100 मि0ग्रा0/ली0) पाये गये।

दिनांक 30-11-2007 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आस-पास के क्षेत्र-पसवारा, सिम्भावली, सहसपुर, बहादुरगढ़, बक्सर स्थित एक-एक हैण्ड पम्पों के जल के नमूने एकत्र कर विश्लेषित किये गये, जिसके अनुसार भूगर्भ जल में जिंक, क्रोमियम, निकिल मानकों के अनुरूप पाया गया, जिसके अनुसार भूगर्भ जल जहरीला नहीं है। दिनांक 19-9-06 को किये गये सर्वेक्षण के अनुक्रम में उद्योग में कुछ हैण्ड पम्पों में हल्का पीला/भूरा पानी पाये जाने के कारण प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था हेतु योजना बनाकर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं तथा इस हेतु उद्योग ने बैंक गारण्टी दि0 7-6-07 भी प्रेषित की है कि उनके द्वारा बक्सर व सेल ग्रामों में प्रभावित भूगर्भीय जल के स्थलों पर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिम्भावली क्षेत्र तथा गढ़मुक्तेश्वर ब्लाक के क्षेत्र में कोई संक्रामक रोग अथवा महामारी नहीं फैली है। पानी पीकर नागरिकों के मरने

के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद की रिपोर्ट (पत्र दिनांक 4-10-07) प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार सिम्भावली क्षेत्र के आस-पास के गांवों में संक्रामक रोग फैलने के कोई तथ्य नहीं मिले हैं।]

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना में गढ़मुक्तेश्वर में सिम्भावली शुगर मिल से और गोपाल डेयरी से प्रदूषित रसायनिक नाले के पानी के हैण्डपम्पों में आने से जनजीवन के समक्ष गम्भीर संकट के सम्बन्ध में सूचना दी थी। वहां जो पानी है वह रसायनिक प्रदूषित है और इतना जहरीला वहां पानी आ रहा है कि उसको पीकर लोग बीमार होकर मर रहे हैं। इनका जो वक्तव्य आया है उसमें अधिकारी द्वारा इसको इन्कार करने का काम किया गया है। वहीं पर वहां के उप जिलाधिकारी का निर्देश है, मेरे पास इसकी कापी है, मैं आपके पास भिजवा दूंगा, इसको बन्द किया जाय तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब यह आदेश हैं उनके खिलाफ और वहां का पानी गंगा में गिरता है, वहां पर भी पशु पक्षी या जानवर पानी को पीता है और पीकर बीमार हो जाता है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं और मर रहे हैं। वहां पर जो गांव हैं, बक्सर, सहसपुर, पशुवारा इत्यादि गांव हैं वहां पानी इतना खराब हो गया है कि इन पर हैण्ड पम्प न लगाये जायें यह आदेश है। जब यह पानी इतना हानिकारक है और इनके अधिकारी द्वारा यह वक्तव्य दिया जाता है कि वह ठीक है तो इसकी शासन स्तर पर जांच करायी जाय ताकि जो उप जिलाधिकारी का आदेश है इसका उल्लंघन न हो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मंत्री जी इसको आप दिखवा लें। मा0 सदस्य, जो आप यह पत्र मुझे दे रहे हैं मैं इसे सरकार को दे दूंगा।

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पाण्डेयपुर राधे में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरण राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख करते हुए कि विधान सभा ...

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत ग्राम पाण्डेयपुर राधे तथा आस-पास के ग्रामों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व मातृ शिशु केन्द्र न होने से यह मरीजों को मऊ या गाजीपुर ले जाना पड़ता है, ग्राम पाण्डेयपुर राधे में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बनवाने की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद गाजीपुर में विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत ग्राम पाण्डेयपुर राधे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरदह के क्षेत्रान्तर्गत बरही उपकेन्द्र के अन्तर्गत आता है। उपकेन्द्र बरही से ग्राम पाण्डेयपुर राधे लगभग 5 कि0मी0 की दूरी पर है। उपकेन्द्र बरही से उसके क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों जिनमें ग्राम पाण्डेयपुर राधे भी सम्मिलित है, के लिए मातृ एवं शिशु कल्याण की सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।]

गोरखपुर नगर निगम द्वारा लोमोफेन जैसी प्रतिबन्धित दवा के वितरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधामोहनदास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना दिनांक 4-7-2007 में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि पूरा महानगर बरसात के पूर्व ही गैस्ट्रो की चपेट में आ चुका है। अब तक करीब 600 मरीज इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं, उनमें से 350 मरीज संक्रामक रोग से अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इस बीमारी से पीड़ित हुये अधिकांश नागरिक, समाज के आर्थिक रूप से गरीब एवं सामाजिक रूप से अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के हैं। इन्हें नगर निगम ने न तो पाईप्ड पेयजल उपलब्ध कराया है और न ही हैण्डपम्प का शुद्ध जल पहुंचाया गया है।

गोरखपुर के कूड़ाधार एवं बिशुनपुरा गांव के निरीक्षण के दौरान पाईप्ड पेयजल अत्यन्त दूषित मिला एवं इण्डिया मार्का का हैण्डपम्प भी अत्यन्त गन्दा पानी दे रहा था। महानगर के अन्य क्षेत्रों में भी हालत ऐसी ही है। पानी की लाईनें जर्जर एवं टूटी हुयी हैं तथा इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की गहराई भी सिर्फ 30-35 फीट है महानगर अधिकांश क्षेत्रों की नालियों तथा नालों की सफाई कराने में असफल रहा है।

गैस्ट्रो/डायरिया का यह प्रकोप अभी बरसात आते-आते अत्यन्त भयावह रूप लेने वाला है। अगर युद्ध स्तर पर नालियों, नालों, पानी की टंकियों की सफाई, जर्जर पानी लाइनों का बदलाव तथा इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को उखाड़कर उन्हें पुनः 110 फीट तक गाड़ना आदि नहीं किया गया तो ट्रेलर की जगह पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। सबसे दुखद प्रश्न यह है कि नगर निगम द्वारा संचालित संक्रामक रोग अस्पताल में भर्ती मरीजों को लोमोफेन जैसी प्रतिबन्धित दवायें

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बांटी गयीं। यह तथ्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर आयुक्त तथा मण्डलायुक्त आदि सभी के संज्ञान में है, लेकिन किसी ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम, गोरखपुर क्षेत्र में अतिसार का प्रकोप नहीं है लेकिन कुछ नगरीय इलाकों में गैस्ट्रो/डायरिया के मरीज विगत महीनों में हुये हैं, जो कि नगर निगम द्वारा संचालित संक्रामक रोग चिकित्सालय में इलाज कराकर घर चले गये। इस प्रकार के मरीजों की माह जून तक कुल संख्या-587 है, जिसमें जून माह में कुल 236 मरीज आये थे, उनमें से शहरी क्षेत्र में कुल 206 मरीज है। यह मरीज नगरीय क्षेत्र के विशेष कर कुछ मोहल्लों तथा यादव टोला, गिरधरगंज, विशुनपुरवा आदि से सम्बन्धित हैं। इन क्षेत्र में अधिकांश भागों में नगर निगम की पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है। प्रभावित अधिकांश मरीजों के घरों पर देशी हैण्डपम्प भी लगे पाये गये हैं। ज्यों ही इस प्रकार के रोगियों का पता चला नगर निगम द्वारा उस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते हुए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के पानी का प्रयोग करने हेतु परामर्श दिया गया तथा उनके हैण्डपम्प के हैण्डिल आदि खुलवा दिये गये और क्लोरीन टैबलेट बराबर बंटवाये गये। जिन मोहल्लों में पानी पाइप लाइन से आपूर्ति होती थी उनके समस्त लीकेज को अभियान चलाकर ठीक कराये गये और नाली के सहारे जिन लोगों ने कनेक्शन लिया था उसे ऊंचा करके ठीक किया गया। पूरे शहर में विशेष सफाई की व्यवस्था की गयी और क्लोरीनयुक्त पानी की आपूर्ति हेतु निर्यान्त जांच करायी गयी तथा विशेषकर प्रभावित क्षेत्रों का ओ0टी0 टेस्ट का नियमित अनुश्रवण भी किया गया और पाया गया कि वहां के सभी ओ0टी0 टेस्ट धनात्मक परिणाम आये। वैक्टीरिया जांच हेतु भी जल को राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ को भेजा गया है।

3-जिन इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प में शुद्ध पानी नहीं आ रहा था उनके रिबोर हेतु अभियान चलाया जा रहा है। कुल 305 हैण्डपम्प चिन्हित किये जा चुके हैं, जिसके रिबोर की कार्यवाही की जा रही है। प्रभावित क्षेत्र में इण्डिया मार्का-2 के रिबोर चिन्हित 02 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग करा दिया गया है। प्रत्येक इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प की बोरिंग द्वितीय वाटर स्टेटा तक की गयी है, जो कि नगरीय क्षेत्र से 90-115 फीट के बीच में है। इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के किसी भी जगह 30-35 फीट तक बोरिंग किये जाने का मामला संज्ञान में नहीं है। शहर के सभी नालों/नालियों की सफाई की कार्ययोजना बनाकर करायी जा रही है, जो 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और पानी की टंकी की सफाई नियमित रूप से करायी जा रही है। आवश्यकतानुसार पाइप लाइनों का विस्तार भी किया जा रहा है।

लोमोफेन दवा के बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि यह दवा प्रतिबन्धित श्रेणी की है। तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 डी0ए0 खान ने अवगत कराया है कि उक्त दवा गत वर्ष पूर्व चिकित्साधिकारी डा0 एच0पी0 खरे द्वारा क्रय की गयी थी। औषधि के प्रतिबन्धित होने की सूचना चिकित्सालय में न होने के कारण इसका उपयोग किया गया

तथा बच्चों हेतु दवा का उपयोग नहीं हुआ है। उक्त दवा का स्टाक दिनांक 15-5-2007 को समाप्त हो गया। जिन मरीजों को चिकित्साधिकारी के परामर्श के अनुसार यह दवा दी गयी है उनमें से किसी भी मरीज के सम्बन्ध में किसी प्रकार का साइडइफेक्ट का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। वर्तमान समय में इस दवा का उपयोग नहीं किया जा रहा है और न ही स्टाक में दवा है। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को प्रतिबन्धित दवाओं के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने हेतु निर्देशित किया गया है।]

जनपद इटावा के लखना क्षेत्र में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4-7-07 को मा0 सदन में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि निर्वाचन क्षेत्र 287 लखना जनपद इटावा में गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा संचालित त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत कोई सड़क नहीं बनवाई गयी, जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पक्की सड़कों का जाल बिछा दिया गया, जिसके फलस्वरूप उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता में असन्तोष है अतः मा0 सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र लखना में जनपद इटावा के अन्य विधान सभा क्षेत्रों की भांति पक्की सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, (कानपुर क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, कानपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0-48/35-4-2007 नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 6-1-07 द्वारा जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र लखना के लिये 16 कार्यों जिनकी लम्बाई 50.20 कि0मी0 तथा स्वीकृत लागत रु0 989.04 लाख थी, की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृत कार्यों की निविदायें भी आमंत्रित कर ली गयी थी परन्तु सामान्य विधान सभा चुनाव प्रक्रिया के कारण चुनाव आदर्श आचार संहिता घोषित होने के फलस्वरूप एवं जिलाधिकारी इटावा से धन अवमुक्त न हो पाने के कारण प्राप्त निविदाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। प्रमुख सचिव, नियोजन ने अपने पत्रांक-ए0क्यू0-7/35-4-07 दिनांक 4-7-07 द्वारा यह अवगत कराया है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना अब समाप्त कर दी गयी है। इसलिए इस योजना में अब नये कार्य स्वीकृत नहीं हो पायेंगे। त्वरित आर्थिक विकास योजना नियोजन विभाग से सम्बन्धित है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उन्नाव के सिकन्दरपुर कर्ण ब्लाक के ग्राम मेहरामऊ के कालाबाजारी के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[श्री सुन्दर लाल लोधी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है कि उनके विधान सभा क्षेत्र जनपद उन्नाव के कर्ण के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम महरामऊ में ग्राम के निवासियों को मिट्टी का तेल व खाद्यान्न नहीं मिल रहा है जिससे घरों में उजाला से वंचित है। ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 26-7-06 को उपजिलाधिकारी, उन्नाव को एक शिकायती-पत्र दिया गया और सैकड़ों ग्रामीणों ने भी शिकायत की। मिट्टी का तेल उठान व वितरण पर कभी प्रधान के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। एस0डी0एम0 उन्नाव व लेखपाल की जिम्मेदारी में वितरण होता है। इस तरह एस0डी0एम0 उन्नाव के सह पर कोटेदार व लेखपाल मिलकर मिट्टी का तेल व खाद्यान्न की कालाबाजारी कर रहे है। जनता में रोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

जिलाधिकारी उन्नाव से प्राप्त सूचना के अनुसार उपजिलाधिकारी उन्नाव के कार्यालय में ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया पत्र दिनांक 26-7-2006 प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम महरामऊ में उचित दर विक्रेता भी राम सजीवन के वितरण के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान एवं प्रशासनिक समिति के सदस्यों के साथ पूर्ति निरीक्षक सिकन्दरपुर कर्ण से जांच कराई गई। ग्राम प्रधान व प्रशासनिक सदस्य गण ने अपने बयानों में कहा है कि उचित दर विक्रेता श्री राम सजीवन के वितरण सम्बन्धी कोई शिकायत व परेशानी नहीं है और प्रधान के पद पर निर्वाचित होने के उपरान्त आज तक उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र उनके द्वारा नहीं दिया गया है। उचित दर विक्रेता श्री राम सजीवन द्वारा कार्ड धारकों को प्रतिमाह उचित मात्रा एवं निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी तेल का वितरण किया जाता है। ग्राम सभा की खुली बैठक में विक्रेता का वितरण प्रमाण-पत्र पर प्रमाणित/सत्यापित किया जाता है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 11-7-07 को पुनः 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 04 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 10 जुलाई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 362 विधान सभा (701)-19-12-07-813 (कम्प्यूटर)।